

काव्य सम्प्रदाय

लेखक

श्री अशोककुमारसिंह

वेदालकार, प्रभाकर, एम० ए०, एल० टी

प्रकाशक

ओरिएग्टल बुक डिपो

१७०४, नई सड़क दिल्ली

ब्राह्मः—प्रताप रोड, जालन्घर

प्रकाशकः—
ओरिएटल बुक डिपो
नई सड़क, दिल्ली

मूल्य ३)

मुद्रक
विश्व भारती प्रेस
पहाड़गांज, नई दिल्ली

विषयानुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ
भूमिका	क से ठ
भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास	३
रस-सम्प्रदाय	२७
अलकार-सम्प्रदाय	७५
रीति-सम्प्रदाय	८१
च्वनि-सम्प्रदाय	८८
चक्रोक्ति-सम्प्रदाय	९२६

भूमिका

नियतिकृतनियमरहिता ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्नाम् ।

नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति ॥ ममटाचार्य ॥

“यदि मुझे निखिल विश्व में से एक ऐसा देश, जिसे प्रकृतिदेवी ने अपने अभित वैभव, शक्ति और सौन्दर्य से विभूषित किया है, भू पर स्वर्गोपम रचा है, द्वै डना पड़े तो मैं भारत की ओर सकेत करूँगा । यदि मुझसे पूछा जाय कि वह कौनसा आकाश-खण्ड है जिसके नीचे मानवीय प्रतिभा ने अपने सबों तम वरदानों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया है, जीवन के शाश्वत एवं गूढ़तम प्रश्नों की तह में पहुँचने का सफल प्रयास किया है और उनमें से कहाँयों का प्रामाणिक समाधान, जो कि प्लेटो और कार्ट के अध्येताओं तक का ध्यान आकृष्ट कर सके, प्रस्तुत किया है—तो मैं भारत की ओर सकेत करूँगा । और यदि मैं स्वयं ही अपने से प्रश्न करूँ कि हम योरुपवासी, जो कि लगभग समग्रत ग्रीक, रोमन और एक सेमेटिक यहूदी जाति की विचार-धाराओं पर पालित-पोषित हुए हैं, कौन से ‘साहित्य’ से उस अनिवार्यरूपेण वाञ्छित स्फूर्ति को प्राप्त कर सकते हैं तो हमारे आन्तरिक जीवन को अधिक पूर्ण, व्यापक, विश्वजनीन और वस्तुत—न केवल इस जीवन को अपितु परवर्ती शाश्वत जीवन को भी—अधिक मानवीय बना दे—तो मैं पुनरपि भारत का ही निर्देश करूँगा ।”—मैक्समूलर ।

ये उद्गार पीरस्त्य विद्याओं एव साहित्य के विद्यात मर्मज्ञ, पाश्चात्य विद्वान् श्री मैक्समूलर के हैं । किसी भी देश और उसके दार्शनिक मीमांसा-शास्त्र, और साहित्य के विषय में इससे अधिक

गीरखपूर्ण शब्दावली का प्रयोग सम्भवत आज तक किसी प्रामाणिक आलोचक द्वारा नहीं किया गया। उक्त सक्षिप्त सम्मति का महत्त्व इस कारण कही बढ़ गया है कि यह एक ऐसे विदेशी विद्वान् के दीर्घकालीन अध्ययन का निष्कर्ष है, जिसने अपने जीवन का अधिकाश समय सासार के साहित्यमहोदयि का तुलनात्मक अवगाहन करने में व्यतीत किया है। आज का स्वतन्त्र भारत इसी साहित्य का एकमात्र उत्तराधिकारी है।

सस्कृत-साहित्य सासार के प्राचीनतम साहित्य-संग्रहों में से अन्यतम है। इसके विषय में अब तक, निश्चित रूप से, यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितनी सहस्राविद्यों के मनीषियों की चिन्तन-साधना का 'सत्' सञ्चित है। इस अक्षय ज्ञाननिधि की, जैसा कि मैक्समूलर के उद्गारों से स्पष्ट है, आवश्यकता केवल भारत-सन्तान के लिए ही नहीं, अपितु विश्व के 'मानव' को 'मानवीय' बनाने के लिए भी है। तो एक राष्ट्रीय प्रश्न हमारे सामने आता है—क्या स्वतन्त्र भारत इस दुष्प्राप्य महानिधि को सुरक्षित रख सकेगा?

आज के मानव का अग्रणी, वह मानव! और उसकी नवेली सहनरी पाश्चात्य सभ्यता!! कौन नहीं जानता कि पाश्चात्य सभ्यता का नाड़ना वह मानव आज अपने वैभव के सर्वोच्च शिखर पर आसीन है? महायन्त्र-प्रवर्तन की अपार क्षमता और आणविक शस्त्रास्थों की वत्पन्नातीत शक्तिमत्ता के अनुपम वरदानों ने उसके मन में 'प्रकृति-प्रिया' के हठान् वरण की अदम्य आकाशा उद्धीप्त कर दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वृद्ध विश्व की चिर अभिलापा की तृप्ति का वह स्वयंवर-नमारोह, जिसमें हठीनी प्रकृति को 'मानव' के गले में विजयमाला ढालनी पड़ेगी, नवंथा निकट आ गया है। ऐश्वर्यों का स्वामी 'मानव' गजन्य यज्ञ की पूरणाद्वितीय नम्पन्न कर 'शतऋतु' की पदवी पाने को है, और यह विजय-वैजयन्ती पुण्य-नवुडियों को नभ से विवेरती हुई फहराना

ही चाहती है । ०० 'परन्तु औरे ! इस शुभ घड़ी में यह शका कौसी ? क्या कहा —'अधूरा मानव !' हाँ, ग्रीक, रोमन और एक सेमेटिक जाति यहूदी के सम्पूर्ण साहित्य की 'मिश्रित खुराक' पर पोषित होकर भी यह मानव अबूरा ही है । सम्भव है, लक्ष्यभ्रष्ट होकर वह मानवता का ही महार कर वैठे । तब यह स्वयंवर-समारोह विश्व-श्मशान के रूप में परिणत हो जायेगा ।

तब मानवता की रक्षार्थ भावनाओं के परिष्कार का आयोजन आवश्यक है । विश्व-शान्ति का आधार पारस्परिक सद्भावनाएँ ही हो सकती हैं । कलात्मक साहित्य, समन्वय-प्रधान दर्शन और 'सर्वभूतहितेरत' वाली आध्यात्मिक विचारक्षारा भावनाओं को उदात्त बनाने में अमोघ मानी जा सकती है । यदि शुष्क एवं बुद्धिमूलक विज्ञान के अव्ययन ने आज के मानव को हृदयहीन बना दिया है तो कलात्मक साहित्य अपनी मोहक माधुरी से उसमें सच्ची सहदेयता की चेतना फूँक सकता है । यह कहना अतिचार न होगा कि स्स्कृत-साहित्य में मानवीय भावनाओं के परिष्करण की अनुपम क्षमता है । विश्व के दूसरे महान् सत्साहित्यों के समानान्तर स्स्कृत-साहित्य मानवीयता के प्रसार में महत्वपूर्ण योग दे सकता है, इसमें सन्देह नहीं ।

विश्व और मानवता के लिए स्स्कृत का पुरातन साहित्य बड़ा उपयोगी है, यह माना जा सकता है । परन्तु नवोदित भारतीय राष्ट्र के लिए इसकी क्या महत्ता है ? यह प्रश्न भी गम्भीरता से विचारणीय है ।

स्स्कृति भूतकाल की प्रगति का जातीय प्रवाह है, जिसका 'प्रवेग' जाति को भविष्य के पथ पर अग्रसर करता है । इस प्रवाह में वह सभी कुछ शामिल रहता है, जो भूत में जाति के भार्ग में आ उपस्थित होता आया है । और उस 'समग्र' का प्रत्येक अश प्रवाह के 'प्रवेग' से शक्ति

प्राप्त कर उसी प्रवाह को इस प्रकार से 'प्रवेग' प्रदान करता है, जिससे जातीय प्राचार-विचार की धारा एक सुनिश्चित दिशा में प्रगतिशील हो उठती है । इस प्रकार सस्कृति का मूल तत्त्व प्रवेग या "प्रगति के लिए सुनिश्चित आतुरता" है । यह आतुरता 'प्रवाह' की ससवित अथवा एकता पर निर्भर है । यदि जातीय प्रवाह में ससवित (एकनिष्ठता) न रहे तो जाति छिन्न-भिन्न हो बिखर जाती है । फलत सामृहिक जीवन का विकास थरवृद्ध हो जाता है । इसीलिए जातीय उत्थान और प्रगति के लिए स्वस्कृति की आवश्यकता होती है ।

भारतीय राष्ट्र लगभग एक सहस्राविंशत्यन्त राजनीतिक अध पतन के महागर्त में निमग्न रहा । इस महागर्त से हमारे राष्ट्र का उद्धार कैसे हुआ ? यह एक सास्कृतिक एकता की सूक्ष्म शवित की विजय की रहस्यमयी वहानी है । भारतीय सस्कृति के प्रवेग में से तिलक, ऋषि दयानन्द, मालवीय, रवीन्द्र और गांधी जैसे महापुरुष सामने आये, जिन्होंने राष्ट्र के जातीय प्रवाह की अनुलित शवित को पहचान लिया और उसे काम में लाये, जिसका फल यह हुआ कि आज भारतीय राष्ट्र उत्तप्त भट्टी में से तपकर निष्पन्न बड़चन की तरह अवदात होकर नव प्रश्णोदय के रूप में जगती के रङ्गभड़च पर सहसा आ खड़ा हुआ है । श्रव उसे मानवीय सरकृति के विकास तथा आत्म-अभ्युदय के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करना है ।

राष्ट्रजायक जवाहरलाल के शब्दों में यदि कहा जाय तो आज दिन भारतीय राष्ट्र को सर्वोपरि जिस वस्तु की आवश्यकता है, वह है-- 'राष्ट्रीय एकता' । परन्तु यह वात मर्वणा सुविद्धित है कि राष्ट्रीय एकता का आधार होता है 'सास्कृतिक एकता' । यही वह वस्तु है, जिसने असमय में भारतीय राष्ट्र की रक्षा की, जो भारतीय राष्ट्र को राष्ट्र बनाती है, और जो भारतीय राष्ट्र को विश्व-सेवाओं में गीरव प्रदान करता नहीं है । परन्तु दुर्भाग्य से हमारी 'सास्कृतिक एकता' प्रान्तीयता,

पद-लोन्पता, कुनवा-परस्ती और भाषा-विप्लव जैसी महामारियों से आक्रमण-सी दीख रही है। भौतिक सुखोपभोग और महत्वाकांक्षाओं की लिप्सा के कारण भारतवासियों के 'समान-जीवन-दर्शन' के तिरोहित होने का भय उपस्थित हो गया है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की आधारभूत 'वर्णाश्रिम-मर्यादा', जिसने सहजों वर्षों तक इस विशाल-मानव-समूह की नीव में रहकर काम किया है, आवृन्धिक प्रजातन्त्र में पोषण के अभाव में सूखने लगी है। वर्णाश्रिम-मर्यादा समाज और व्यक्ति के जीवनों को उचित रूप में मर्यादित कर एक-दूसरे के प्रति ममन्वित करती थी। उसका यह कार्य तो समाप्त हो गया, मिर्फ उसके ध्वसावशेष के रूप में बचे जाति-पाँति के बन्धनों के जाल ने समाज को कसकर जकड़ दिया है। इसके अतिरिक्त सास्कृतिक चेतना और मातृभूमि की उपासना के केन्द्रीभूत 'तीर्थस्थान' भी 'सिटी' रूप में परिणत होते जा रहे हैं। भौतिक मिथ्याचार ने श्रद्धातत्त्व की सजीवता पर पावन्दी लगा दी है। भाषा-विप्लव ने तो सास्कृतिक क्षेत्र में कानन-कानून को चरितार्थ कर रखा है। भारतीय इतिहारा में वह दिन दुर्भाग्य का ही कहा जा सकता है, जिस दिन संस्कृत-भाषा का राष्ट्रीय गौरव समाप्त किया गया। सास्कृतिक एकता की जड़ में यह प्रबलतम कुठाराघात था। जब भगवान् वुद्ध ने लोक-बोलियों को मान्यता देकर 'विकार' और 'प्रमाद' के लिए रास्ता साफ कर दिया तो भाषा-विज्ञान के नियमों के अनुसार नित्य-नूतन प्रादुर्भूत होनेवाली बोलियों के दुर्दमनीय प्रवाह ने भारत-भू को एकदम निमज्जित कर दिया। इस विकट परिस्थिति को तीन महापुरुषों ने खूब समझा। इनमें दो मज्जन गुजराती और एक अँग्रेज थे। गुजराती महानुभाव स्वामी दयानन्द और महात्मा गांधी ने सुधार के उपाय के रूप में संस्कृतनिष्ठ हिन्दी को असन्दिग्ध रूप में राष्ट्रभाषा स्वीकार कर भाषा-विप्लव की समाप्ति की उद्दोषणा की। अँग्रेज महानुभाव थे— मैकाले साहब। इन्होंने भारत में अँग्रेजी भाषा को नई

प्राप्त कर उसी प्रवाह को इस प्रकार से 'प्रवेग' प्रदान करता है, जिससे जातीय आचार-विचार की धारा एक सुनिश्चित दिशा में प्रगतिशील हो उठती है । इस प्रकार संस्कृति का मूल तत्त्व प्रवेग या "प्रगति के लिए सुनिश्चित आतुरता" है । यह आतुरता 'प्रवाह' की संसदित अथवा एकता पर निर्भर है । यदि जातीय प्रवाह में संसदित (एकनिष्टता) न रहे तो जाति छिन्न-भिन्न हो विखर जाती है । फलत सामृहिक जीवन का विकास अवरुद्ध हो जाता है । इसीलिए जातीय उत्थान और प्रगति के लिए संस्कृति की आवश्यकता होती है ।

भारतीय राष्ट्र लगभग एक सहस्राविंदपर्यन्त राजनीतिक अधिकार के महारार्थ में निमग्न रहा । इस महारार्थ से हमारे राष्ट्र का उद्धार कैसे हुआ ? यह एक सांस्कृतिक एकता की सूक्ष्म शक्ति की विजय की रहस्यमयी कहानी है । भारतीय संस्कृति के प्रवेग में से तिलक, ऋषि दयानन्द, मालवीय, रवीन्द्र और गांधी जैसे महापुरुष सामने आये, जिन्होंने राष्ट्र के जातीय प्रवाह की अतुलित शक्ति को पहिचान लिया और उसे काम में लाये, जिसका फल यह हुआ कि आज भारतीय राष्ट्र उत्तप्त भूमि में से तपकर निष्पन्न कञ्चन की तरह अवदात होकर नव अरणोदय के रूप में जगती के रङ्गमङ्गल पर सहसा आ खड़ा हुआ है । अब उसे मानवीय संस्कृति के विकास तथा आत्म-अभ्युदय के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करना है ।

राष्ट्रनायक जवाहरलाल के शब्दों में यदि कहा जाय तो आज दिन भारतीय राष्ट्र को सर्वोपरि जिस वस्तु की आवश्यकता है, वह है— 'राष्ट्रीय एकता' । परन्तु यह बात सर्वथा सुविदित है कि राष्ट्रीय एकता का आधार होता है 'सांस्कृतिक एकता' । यही वह वस्तु है, जिसने असमय में भारतीय राष्ट्र की रक्षा की, जो भारतीय राष्ट्र को राष्ट्र बनाती है, और जो भारतीय राष्ट्र को विश्व-सेवाओं में गौरव प्रदान करवा सकती है । परन्तु दुर्भाग्य से हमारी 'सांस्कृतिक एकता' प्रान्तीयता,

पद-लोनुपत्ता, कुनवा-परस्ती और भाषा-विप्लव जैसी महामारियो से आकान्त-सी दीख रही है। भौतिक सुखोपभोग और महत्वाकाङ्क्षाओं की लिप्सा के कारण भारतवासियों के 'ममान-जीवन-दर्शन' के तिरोहित होने का भय उपस्थित हो गया है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की आधारभूत 'वर्णश्रिम-मर्यादा', जिसने सहनो वर्षों तक इस विशाल-मानव-समूह की नीव में रहकर काम किया है, आवृन्ति प्रजातन्त्र में पोषण के अभाव में सूखने लगी है। वर्णश्रिम-मर्यादा समाज और व्यक्ति के जीवनों को उचित रूप में मर्यादित कर एक-दूसरे के प्रति समन्वित करती थी। उसका यह कार्य तो समाप्त हो गया, मिर्फ उसके ध्वसावशेष के रूप में बचे जाति-पाँति के बन्धनों के जाल ने समाज को कसकर जकड़ दिया है। इसके अतिरिक्त सास्कृतिक चेतना और मातृभूमि की उपासना के केन्द्रीभूत 'तीर्थस्थान' भी 'सिटी' रूप में परिणत होते जा रहे हैं। भौतिक मिथ्याचार ने श्रद्धात्म्व की सजीवता पर पावन्दी लगा दी है। भाषा-विप्लव ने तो सास्कृतिक क्षेत्र में कानन-कानून को चरितार्थ कर रखा है। भारतीय इतिहास में वह दिन दुर्भाग्य का ही कहा जा सकता है, जिस दिन संस्कृत-भाषा का राष्ट्रीय गौरव समाप्त किया गया। सास्कृतिक एकता की जड़ में यह प्रवलतम कुठाराघात था। जब भगवान् वुद्ध ने लोक-बोलियों को मान्यता देकर 'विकार' और 'प्रमाद' के लिए रास्ता साफ कर दिया तो भाषा-विज्ञान के नियमों के अनुसार नित्य-नूतन प्रादुर्भूत होनेवाली बोलियों के दुर्दमनीय प्रवाह ने भारत-भू को एकदम निम्जित कर दिया। इन विकट परिस्थिति को तीन महापुरुषों ने खूब समझा। इनमें दो सज्जन गुजराती और एक अँग्रेज थे। गुजराती महानुभाव स्वामी दयानन्द और महात्मा गांधी ने सुधार के उपाय के रूप में संस्कृतनिष्ठ हिन्दी को असन्दिग्ध रूप में राष्ट्रभाषा स्वीकार कर भाषा-विप्लव की समाप्ति की उद्घोषणा की। अँग्रेज महानुभाव थे— मैंकाले साहब। इन्होंने भारत में अँग्रेजी भाषा को नई

बला के रूप में सत्तारूढ़ कर भाषा की समस्या हल करनी चाही । पर उन्हे सफलता न मिली । कारण स्पष्ट है, मैंकाले साहब की धारणा थी—“भारत और अरेविया का सम्पूर्ण साहित्य योरुप के किसी पुस्तकालय की अल्मारी के एक स्थाने की तुलना मुश्किल से कर पायेगा ।” मैंकाले साहब की गलत धारणा के कारण ही सार की सर्वाधिक विकसित भाषा अँग्रेजी, सार के सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य की शक्ति को पीठ पर पाकर भी, भारत में स्थायित्व न पा सकी । अस्तु । इधर अृषि द्यानन्द और महात्मा गांधी के प्रयत्न के बाबजूद भी भाषा-विष्वव की विकास आँधी पूरी तरह शान्त नहीं हो पाई है, और आज भी सांस्कृतिक एकता के लिए वह सर्वाधिक भय का कारण है ।

हमारा युक्ति-क्रम यह है कि राष्ट्रीय एकता के लिए सास्कृतिक एकता अनिवार्य है । इसमें अन्य साधारण बाधाओं के अतिरिक्त भाषा-विष्वव की बाधा सबसे उम्र है । यह वह बिन्दु है, जहाँ पर चोट करने से सास्कृतिक एकता का सिंहासन उलट जाता है । भारतीय भाषा-विष्वव के प्रसग में उर्दू का उत्पात और अँग्रेजी का अहकार चिर-स्मरणीय रहेगे । वस्तुतस्तु उर्दू कोई अलग भाषा नहीं है । उसके बाक्यों का विन्यास और ढाँचा तथा क्रिया-पद सभी हिन्दी-त्याकरण-सम्मत है । उसमें यदि कोई नवीनता है तो केवल अरबी-फारसी के तत्त्वम् शब्दों की । इसका भी कारण है । उक्त देशों से आनेवाले मुस्लिम शासकों ने अपने अरबी-फारसी प्रेम को मूर्त रूप देने के लिए हिन्दी में उन भाषाओं के शब्दों की खुली भर्ती का ऐलान कर दिया जिससे हिन्दी बेचारी का हुलिया ही तब्दील हो गया । इसका अर्थ यह हुआ कि अरबी-फारसी की भरमारवाली जो भाषा उर्दू-रूप में हमारे सामने आती है, उसमें उन शब्दों की भर्ती का आग्रह उन शासकों की विशिष्ट भनोवृत्ति का परिचायक है । स्पष्ट है कि प्रजातन्त्र के समुन्नत-

समय में शासकों की तथाकथित विशिष्ट मनोवृत्ति की समाप्ति हो जाती है और उसके साथ उस मनोवृत्ति के अलङ्करण भी निस्तेज व निर्वर्य होकर स्वतं मूर्छित हो जाते हैं। अत अब उर्दू भाषा में विदेशी शब्दों की वैसी भरमार को सम्भवत प्रोत्साहन न मिल सकेगा। तब उर्दू और हिन्दी एक ही रह जाती है।

अब जुरा अँग्रेजी भाषा के 'अहकार' पर भी विचार कर लेना चाहिये। उर्दू के उत्पात के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक आधार कभी नहीं रहा। वह केवल कतिपय विदेशी शासकों की कमज़ोरीमात्र थी, जिसे बाद में कुछ साम्प्रदायिक रग देकर अखाडे में उतारा गया। वास्तविक रूप से मुस्लिम जनता का, जो हिन्दुओं में से निकलकर इस्लाम धर्म में दीक्षित हुई थी, अरबी-फारसी शब्दावली से बैसा कोई लगाव कभी न था। मुस्लिम जनता की यदि कोई स्वाभाविक साहित्यिक परम्परा हो सकती थी तो वह रसखान और जायसीवाली ही थी। इसके विपरीत अँग्रेजी भाषा के पीछे एक गौरवपूर्ण तत्त्व है। यह एक सर्वसम्मत तथ्य है कि अँग्रेजी भाषा सासार की समृद्धतम भाषाओं में से एक है। अँग्रेजी शासनकाल में स्थकृत-भाषा का विकास सर्वथा निरुद्ध और भारतीय लोक-भाषाओं का सीमित किया जा चुका था। ऐसी अवस्था में अँग्रेजी अपने साहित्यिक विकास के पूर्ण योवन में भर गासनसत्ता की मदिरा से उन्मत्त हो मोहक लास्य नृत्य कर उठी, जिसने भारतीय विद्वज्जनों के मन को भी मोहित कर लिया। राज्यभाषा होने के कारण इसके उपासकों को 'पद' और 'अर्थ' दोनों का लाभ होता ही था। इस सबके कारण भारतीय प्रतिभाओं को निखिल भारतीय रूप में आकर चमकने का अवसर न मिला। महाकवि रवीन्द्र बगाल के और श्री प्रेमचन्द्र इधर के होकर रह गये। इन प्रतिभाओं का अँग्रेजी रूपान्तर भारतीय जनभानस से बहुत दूर की चीज़ हो जाता था। उसमें शासकीय रौप एवं दुरुहता की गन्ध आने लगती थी। जब भारत में

विचारो के माध्यम के रूप में—ग्रंथिलदेशीय रूप से—कोई भाषा न रही तो यहाँ विचार-दारिद्र्दय और भौलिकता का महा अकाल पड़ गया। इसे देख लोगों की यही धारणा रह गई कि 'हिन्दुस्तानी' अच्छा गुलाम होता है।' इस बढ़ते हुए मर्जन की रोकथाम के लिए महात्मा गांधी ने लै-डेकर उन विप्रम परिस्थितियों में 'हिन्दुस्तानी' का आविष्कार किया। परन्तु समय ने सिद्ध कर दिया कि रोगी की प्रकृति के प्रतिकूल दी गई ओषध फलवती सिद्ध नहीं होती। भाषा-विप्लव-काण्ड में 'हिन्दुस्तानी' का हुड्डग एक धमाका बनकर रह गया।

यदि सक्षिप्तरूपेण भारतीय भाषा-विप्लव की अराजकता पर दृष्टि-पात करें तो हमें निम्न विनाशक परिणाम स्पष्टतया लक्षित होगे—

- (क) भारतीय सास्कृतिक भाषा सस्कृत अपने चिर-अधिष्ठित सिंहासन से पदच्युत कर दी गई। उसका स्थान लेने के लिए शासकीय शक्ति का सहारा लेकर ऋमश फारसी और अँग्रेजी व हिन्दुस्तानी भाषाएँ आईं। परन्तु सफल न हो सकी, क्योंकि उनके पीछे भाषा-वैज्ञानिक नियमों का बल न था।
- (ख) सास्कृतिक भाषा के अभाव में सास्कृतिक चेतना और प्रतिभा की भौलिकता को फलने-फूलने का माध्यम अनुपलब्ध हो गया। फलत सास्कृतिक दैन्य के लक्षण प्रकट होने लगे और भारत में मानसिक दासता का जन्म हुआ।
- (ग) इन सबके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्वरूप में विकार आने लगा।
- (घ) व्यावहारिक भाषा का स्थान अँग्रेजी को मिल गया। राष्ट्रीय चेतना प्रान्तीय दैशिकता का रूप धारण कर खण्डित होती गई।
- (च) भारतीय समाज कुछ ऐसे समुदायों में विभक्त हो गया जिनके

मव्य बड़ी प्रसवाभाविक दीवार खड़ी हो गयी। अँग्रेजी जानने-वालों तथा अँग्रेजी से अनभिज्ञ लोगों के मध्य मिथ्या आडम्वर स्थान पा गया।

(छ) ग्रामीण समाज को मानसिक और सास्कृतिक चेतना की धारा से वञ्चित हो जाना पड़ा।

आखिर वह दिन भी आया, जबकि भारतीय सविधान में सस्कृत-निष्ठ हिन्दी को राजकीय भाषा स्वीकृत किया गया। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दी की सस्कृतनिष्ठता वहे महत्व की है। यदि हिन्दी को सम्मुक्त के आवार पर विकसित न किया गया तो यह भी पूर्ववर्ती प्रयोगों की तरह व्यर्थ होगा। सस्कृत-साहित्य अपनी विविध और समुन्नत परम्पराओं को प्रदान कर हिन्दी को गौरवान्वित कर सकता है। हमारे प्राचीन साहित्य की सर्वोत्कृष्ट देन—भारतीय नव-राष्ट्र के लिए—यही हो सकती है। सस्कृत में ही वह शक्ति निहित है जो एक सहस्र वर्षों से पथ-भ्रष्ट राष्ट्र को सस्कृति के उस पथ पर ढाल सकती है जो राष्ट्रीय गौरव के उपयुक्त है।

इस परिस्थिति में राष्ट्रभाषा-सेवकों पर जो महान् उत्तरदायित्व आ पड़ा है, उसके प्रति सजग रहने से ही सफलता सम्भव है। यह नितान्त आवश्यक है कि राष्ट्रभाषा के अध्ययन-क्रम के पीछे जो दृष्टि है उसमें मौलिकता एवं गाम्भीर्य दोनों आ जायें। सस्कृत माता की सुखद गोद में वगाली, महाराष्ट्री और गुजराती आदि वहिनें इस प्रेम से मिल जाये कि मानो पितृगृह में आकर सगी वहने परस्पर गले मिल गई हों। भारतीय गणतन्त्र की छत्रछाया में यह स्नेह-सम्मेलन चिरकाल तक सुधारस-धार प्रवाहित कर जन-मन को तृप्त करता रहे।

अँग्रेजी शिक्षा-विशारदों के निर्देश में आवुनिक भारतीय भाषाओं की उच्च कक्षाओं एवं सस्कृत भाषा का जो पाठ्य-क्रम निर्धारित था-

वह पल्लवग्राही पाण्डित्य को ही जन्म दे सकता था । श्रव उस श्रद्धयन में ठोस गाम्भीर्य आने की आवश्यकता है । इस सबके अतिरिक्त अँग्रेजी भाषा को यहाँ से सादर विदा करने से पूर्व उसके अन्दर विद्यमान वैज्ञानिक साहित्य की अपूर्व विभूति को आत्मसात् करने का उपक्रम भी बाज़नीय है । आधुनिक वैज्ञानिक साहित्य के बिना सस्कृत, हिन्दी और अन्य सभी देशीय भाषाएँ युग-दृष्टि से अद्वितीय ही हैं ।

इतनी पृष्ठभूमि के पश्चात् अपनी बात भी कहनी आवश्यक है । भारतीय साहित्यिक परम्परा के सम्बन्धवोध के बिना किसी भी भारतीय भाषा का अध्ययन अपूरण है । अत इस तुच्छ प्रयास में आधुनिक हिन्दी काव्य-धाराओं को प्राचीन भारतीय काव्य-मतों की शृङ्खला में रखकर हिन्दी-काव्य की प्रगति को परखने की चेष्टा की गई है । आशा है कि हिन्दी और सस्कृत-साहित्य की उच्च कक्षाओं के अध्येता छात्रों को एक शृङ्खला में आबद्ध भारतीय काव्य-परम्पराओं को देखने का अवसर मिलेगा । आरम्भ में ‘अलङ्कार-सान्त्र’ के सक्षिप्त इतिहास को रख दिया है, ताकि विषय की रूपरेखा पहिले ही ज्ञात हो सके ।

काव्यमतों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में साधारण रूपेण निम्न तथ्य ध्यान रखने उचित है, ताकि युद्ध माहित्यिक विवेक का अनुसरण सम्भव हो सके—

- (१) प्राचीन भारतीय काव्यमत काव्य के स्वरूप की खोज में निकले हुए काव्यालोचकों द्वारा स्थापित हुए थे ।
- (२) जबकि आधुनिक हिन्दी के ‘वाद’ कवियों की रचनाओं को ‘श्रेणी-बद्ध’ करने से दीखने लगे हैं ।
- (३) कुछ ‘वाद’, जैसे ‘प्रगतिवाद’, रोटी के राग के रूप में साहित्यक्षेत्र में लाये गये हैं । इनका प्रादुर्भाव न कविकृत है और न आलो-वकान्वेषित ।

(४) अनेक वाद ऐसे भी हैं जो विदेशी 'आलोचना-स्थेत्र' से यहाँ आकर अम्भागत रूप में उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति से हमारे आलोचना-साहित्य की शोभा बढ़ी है।

अलच्छार-शास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है और उसके द्वारा किस लक्ष्य की पूर्ति होती है, यह भी विचारणीय है। 'हमारे यहाँ सभी कुछ हैं' की प्रवृत्ति जिस तरह कूपमण्डूकता की जन्मदात्री है, उसी तरह विलायत के नित्य-नवीन जन्म लेने वाले फैशनात्मक सिद्धान्ताभास भी जिज्ञासु को 'आकाश-वेल' बनाने के लिए काफी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि तर्क-सगत विवेचन के सहारे विचारों की पारस्परिक तुलना, उनका साम्य वैषम्य के आधार पर वर्गीकरण और तदनन्तर शासक नियमों का उद्घाटन कर सकने की विश्लेषणात्मक क्षमता का उदय हो, ताकि सिद्धान्तों के वैज्ञानिक प्रत्यक्षीकरण का मार्ग प्रशस्त होता रहे। यह सब, उथले और भ्रमाण-पत्र-प्रदायक परीक्षा-प्राप्त-मात्रात्मक अध्ययन से न हो सकेगा। डा० देवराज के अघोलिखित अभिमत से सहमत होते हुए हमारी कामना है कि यह तुच्छ प्रयास साहित्य के सतुलित अध्ययन में स्तृत-हिन्दी के छात्रों व जिज्ञानुप्रो को सहायक हो। इसी में हमारे श्रम की सफलता है—

"जो व्यक्ति काव्य-साहित्य का रस ग्रहण कर सकता है, उसे हम भावुक या सहृदय कहते हैं।" यदि पाठकों और भावी आलोचकों की रस-ग्राहणी शक्ति का स्वाभाविक रूप से विकास हो, तो सम्भवतः उसकी इतनी कमी, उसमें इच्छना विकार, न हो। किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि हमारी काव्याभिरचि का विकास काव्य-शास्त्र-सम्बन्धी मतमतान्तरों के बीच होता है। हमारे शिक्षकों का उद्देश्य हमारी काव्यशास्त्र की रस ग्रहण करने की शक्ति को प्रबुद्ध और पुष्ट करना नहीं, अपितु कुछ विशिष्ट आलोचना-प्रकारों से परिचित कराकर परीक्षा में

भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास

“भरत से लेकर विश्वनाथ या जगन्नाथ पर्यन्त हमारे देश के अलङ्कार-ग्रन्थों में साहित्यविषयक जैसी आलोचना ढोख पढ़ती है वैसी ही आलोचना दूसरी किसी भाषा में आज तक हुई है, यह सुनके जात नहीं।” डा० सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त

भारतीय विद्वानों का काव्यशास्त्र का अनुशीलन समृद्ध, प्रोढ, सूक्ष्म और वैज्ञानिक है। इसके पीछे सहजों वर्षों का इतिहास और न जाने कितने मनीषियों की साधना छिपी हुई है। विश्व के पुस्तकालय के प्राचीनतम ग्रन्थो—वेदों में, स्वयं वेद को काव्य कहा गया है। नि सन्देह वहाँ यह ‘काव्य’ शब्द एक विशिष्ट अर्थ में ही प्रयुक्त किया गया है—“पश्य देवम्य काव्य न ममार न जीर्यति।” अर्थात् ऐ मनुष्य ! तू परमात्मदेव के उस काव्य को देख जो न कभी मरा है और न जीर्ण होता है। काव्य की इसमें श्रधिक मौलिक एव स्पष्ट व्याख्या क्या हो सकती है ! काव्य को अजर-अमर कहकर कला के तत्त्वों को एक स्थान में समाहृत कर दिया है। इतनी पुष्ट व्याख्या के साथ-साथ काव्य शब्द का प्रयोग असन्दिग्धरूपेण इस बात का ज्ञापक है कि वैदिक ऋषि काव्य के स्वरूप व महत्ता से मम्यकृत्या परिचित थे। इसके अतिरिक्त वैदिक ऋचाओं में भी उत्कृष्ट कोटि का काव्यत्व प्राप्त होता है, यह अब हम यथान्यान देखेंगे।

यद्यपि भारतीयों ने नहमों वर्षों की विशाल ग्रन्थ-रत्न-राशि और उसकी अमूल्य ज्ञान-निधियों को अद्भुतरीत्या सुरक्षित रखने की जो तत्परता दिखाई है वह न केवल प्रशसनीय ही है, अपिनु ग्राहन्त्रपर्वतनक

भी है, तो भी आत्मविज्ञान की अत्यन्त अरुचि के कारण इतिहास के प्रति उनकी उदासीनता साहित्य-शास्त्र के विकास-क्रम को समझने में भारी कठिनाई उपस्थित करती है। प्रचुर एव पर्याप्त इतिहास-सामग्री के ग्रभाव में अनेक प्रकार की भ्रान्तियाँ तक पंदा हो जाती हैं। विकास-क्रम के उत्साही छात्र की इस असहायावस्था में एकमात्र मार्ग यही है कि वह अपने काव्यशास्त्र के इतिहास का अध्ययन भरतमुनि के 'नाट्यशास्त्र' से प्रारम्भ करे।

काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों और विवेचनों के सम्बन्ध वोध के लिए उसकी ऐतिहासिक क्रम-बद्धता भी श्रावश्यक है। परन्तु उसे प्राप्त करना अति कठिन है। उसके लिए एतद्विषयक भारी अनुसन्धान-सामग्री और श्रम की अपेक्षा है। जिन कारणों से काव्यशास्त्र का इतिहास दुर्लभ बना हुआ है उनका यहाँ निर्देश कर देना श्रावश्यक है —

१. विद्वानों के उपलब्ध ग्रन्थ अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं हैं। प्रक्षिप्त अश काफी रहता है। फिर मूल और प्रक्षिप्ताश का विवेक करना और भी दुसाध्य है। अत इस प्रकार के मिश्रित ग्रन्थों के काल-निर्णय में त्रुटि रह जाती है। अथव मानवजाति के दुर्भाग्य से पता नहीं कितने ग्रन्थ श्रप्राप्त हैं, और कितने ही विनष्ट होकर सदा के लिए अस्तित्वहीन हो काल के गाल में समा गये। उदाहरणार्थ नन्दिकेश्वर के नाम से कामशास्त्र, गीत, नृत्य और तन्त्रसम्बन्धी पुस्तकों का उल्लेख तो मिलता है परन्तु अद्यावधि उनमें से कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है।

२ भारतीय विद्वानों ने अपने विषय में प्राय कुछ भी परिचय नहीं दिया है। अत उनके जीवन, काल, रचित ग्रन्थों और प्रतिपादित सिद्धान्तों का पता पाना कठिन है।

३ अनेक ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनका क्रमश विकास होता रहा है। भरत का 'नाट्यशास्त्र' ऐसा ही ग्रन्थ है। उसे देखकर यह प्रतीत होता

है कि यह अनेक जन्मयों में अनेक व्यक्तियों द्वारा सम्पादित होता रहा है।

अस्तु ! जब तक काव्यशास्त्र के इतिहास का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो पाता तब तक काव्यशास्त्र के अन्तर्गत उठनेवाले साहित्यिक मतों और वादों का ममझना व उनका महत्व अद्वितीय करना नितान्त किलष्ट है। फिर भी श्रमशील विद्वज्जनों की कृपा से हमें काव्यशास्त्र के इतिहास का एक मोटा-सा ढाँचा प्राप्त है। इसलिए उस ढाँचे की रूपरेखा से अवगत होकर हमें अपना काम चलाना पड़ेगा।

X X X

जग्राह पाष्ठ्यमृग्वेदात् सामन्यो गीतमेव च ।

यजुर्वेदाद्विभिन्नयान् रसानाथर्वणादपि ॥ नाव्यशास्त्र ॥

जब किसी सुनसान बीहड़ वन के खण्डहर में किसी भगोड़े सम्राट् की रानी के गर्भ से युवराजपदभाक् कुमार का जन्म हुआ होगा तो राज-इम्पती की तात्कालिक मानसिक वेदना, विक्षोभ और निरीहता का अनुमान आज वीणापाणि भगवती देवी को अवश्य ही हो रहा होगा। आधुनिक वृद्धिवादी रिमचं-स्कॉलर जब महारानी सरस्वती तक के वरेण्य पुत्र “काव्यपुरुष” का जन्म किसी घुनखाई प्राचीन पुस्तक में खोज निकालते हैं और ‘कुमार’ के विकासक्रम को तर्कपूर्ण अनुसन्धानों में शनैं शनैं उद्धाटित करते चलते हैं तो उन्हें ‘काव्यमीमांसा’ में राजशेखर द्वारा वर्णित ब्रह्मा की आज्ञा से सम्पन्न पुत्र-जन्मोत्सव की याद अवश्य शर जाती होगी। कहाँ वह ऐश्वर्य, कल्पना और वाग्विभूति से भूपन्न चमचमाता जन्मोत्सव और कहाँ ग्राज की दायित्यपूर्ण पहाड़ की चढाई जैसी शुष्क सोज। खैर, यह तो काल-ऋग्य से प्राप्त मरस्वती-देवी की विपत्ति की कहानी है। शाज के इस मैंहगे वैज्ञानिक युग में सरस्वती-पुत्र काव्यपुरुष तक के जन्मोत्सव में कल्पना, और वाग्विभूति जैसी मूल्यवान् वस्तुओं को देख-भाल कर खर्च करना पड़ेगा। अतः

राजशोस्त्र के आलङ्कारिक वर्णन से काव्यशास्त्र का जन्म कब, कहाँ, कैसे हुआ इसका समाधान न हो सकेगा। उसे छोड़ हम सीधी तरह बुद्धि व तर्क से निश्चित 'ऑपरेशन' के सभी प्रकार के औजार लेकर प्राचीन ग्रन्थों के किसी आवास-गृह में पहुँचे और अपने चीर-फाडात्मक कार्य से गुरु-गृहों में गुरु-मुख से निरन्तर श्रूयमाण किम्बदत्तियों और जनश्रुतियों का मवाद श्रलंग कर शुद्ध तथ्य का रूप सामने लायें। और ऐसे समय जिस स्थान में 'काव्यपुरुष' के प्रथम दर्शन हो वही दिन वही स्थान उसकी जन्मतिथि व जन्मभूमि उद्घोषित कर दे। ऐसा करके शायद हम वैज्ञानिक होने का श्रेय प्राप्त कर सकेंगे।

भारतीय वाङ्मय की प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक ऋग्वेद है, जो शायद ससार की भी सबसे पुरानी पुस्तक होने के साथ-साथ पद्यवद्ध भी है। उसे स्वय वेद-भगवान् 'काव्य' कहते हैं, ऐसा हमने ऊपर निर्दिष्ट किया है। भारतीय आस्तिक्य बुद्धि और निष्ठा के अनुसार वेद के अजर-अमर काव्य का कर्ता यदि ईश्वर को मान लिया जाय तो उसके कवि होने के लिए प्रभाण चाहिये। वेद-भगवान् हमें ऐसा ही बताते हैं कि वह—“कविर्मनीपो परिभू रवयभू”—है। अर्थात् वह क्रान्तदर्शी, मननशील, व्यापक और स्वयमेव होनेवाला है। वेद ने अपनी विचित्र शैली में हमें यह भी बता दिया कि कवि का लक्षण क्या है?—वह क्रान्तदर्शी, मनन करनेवाला, व्यापक दृष्टि सम्पन्न और 'स्वत जात' होता है। 'निराला' के "कुकुरमुत्ते" की तरह कवि भी पैदा नहीं किये जाते, वे स्वयमेव हुआ करते हैं। जिन व्यक्तियों में इन चार मूलभूत विशेषताओं की सम्पत्ति पृष्ठभूमि के रूप में विद्यमान होती है वे ही अपनी अनुभूतियों को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं जो समान रूप से दूसरों के हृदय में भी उसी प्रकार की अनुभूतियाँ जगा सकें—अर्थात् उनमें साधारणीकरण की अलौकिक क्षमता वर्तमान रहती है। आधुनिक साहित्य-समीक्षक भी उसे कवि ही बताते हैं।

ऊपरलिखित कवि के 'काव्य' में काव्य का "व्यवहारगत रूप" और विवेचन से सम्बन्धित सकेत, दोनों ही मिलते हैं। यहाँ पर हम क्रमशः इसी का उल्लेख करते हैं —

[क] १ निम्न मन्त्र की उपमाओं को कालिदास व अश्वघोष की उप-माओं से मिलान करके देखिये। उनकी चिन्हवत् मूर्तविज्ञायिनी क्षमता स्वतः स्पष्ट हो जायेगी—

(१) सूर्यस्येव वज्रयो ज्योतिरेषा ससुद्रस्येव महिमा गभीरः ।

वातस्येव ग्रजयो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवेवः ॥

(इन क्रृषियों का तेज सूर्य के तेज की तरह महिमा समुद्र की गहराई के समान अथाह और वल वायु-प्रवेग के समान होता है। . . .)

(११) कालिदास दिनीप का चित्र इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं —

व्यूहोरस्को वृषस्कन्धं शालप्राशुर्महाभुज ।

(रघु० ११२)

(सुविशाल वक्षेवाला, वृप के समान स्कन्धवाला और शाल वृक्ष के समान प्रलम्बमान वाहवाला)

(३३) और नन्द-वर्णन में अश्वघोष कहते हैं —

दीर्घवाहुर्महावज्ञा सिहासो वृपभेद्धणः ।

(दीर्घ भुजाओं वाला, महान् वक्षवाला इत्यादि)

२ वैदिक उवित की वधता की बानगी भी इस अन्योक्ति में दर्शनीय है —

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते ।

तयोरन्य. पिष्पल स्वादूत्यनशनन्नभिचाकशीति ॥

॥१,१६४;२०॥

(दो पक्षी—ग्रात्मा और परमात्मा - मिश्रभाव से मिलकर एक ही वृक्ष—जड़ प्रकृति—पर वैठे हैं। उनमें से एक—जीवात्मा—स्वादु पिष्पाली को खाता है—प्रकृति का उपयोग करता है। दूसरा परमात्मा —

केवल द्रष्टा रूप से स्थित है)। इसमें ईश्वर, जीव और प्रकृति सम्बन्धी वैदिक त्रैतवाद का निर्देश है।

३ प्रकृतिवर्णन में भी काव्य-दृष्टि रमणीय है। अशनिपात का आलच्छारिक वर्णन कितना सुन्दर है —

अपोषा अनस सर्त्सपिष्ठाद्विष्मुषी नियस्ती शिशनथद् वृषा ॥

॥४ ३०. १०॥

(जब वृष्टिकर्ता वायुरुपी सौंड ने इन मेघ-शकट पर प्रहार किया तब उस पर स्थित शकट-स्वामिनी दामिनी भयभीत होकर सचूरिणि मेघ-शकट से भाग निकली)। यहाँ पर वेद का कवि एक शुष्क वैज्ञानिक तथ्य को काव्यमय भाषा में प्रकट करता है।

४ आकाश के गायक मेघों के लिए भी कामना है —

सुजातासो जनुषा रुक्षमवक्षमो द्विवो अर्का अमृत नाम भेजिरे ॥

॥४० ५।४७।५॥

(कल्याणार्थ उत्पन्न ज्योतिर्मय वधवाले इन आकाश के गायकों की स्याति अमर हो ।)

[ख] अब काव्य-विवेचन सम्बन्धी कृतिपय वैदिक सकेतों को लीजिये —

(१) सुबुध्न्या उपमा अस्य विष्ठा ॥यजु० १०।१६।११॥

(जिसके विविव स्थलों में स्थित अन्तरिक्षस्य लोक-नोकान्तर उपमामूर्त है)।

(२) यो अर्णि काव्यवाहन पितृन् ॥ऋ० १०।१६।११॥

(जो कवियों के लिए हितकारी, तेजस्वी ब्रह्मवारी है)

(३) विधु दद्राण समने वहना युवान सन्त पलितो जगार ।

देवस्य पश्य कान्य महित्वाद्या समार स व्य समान ॥१०।१८।४॥

इन उद्घृत मन्त्रों में “कवियों के लिये हितकारी काव्य और उपमा सभी मौजूद हैं ।”

वेदों के सिवाय न्नाह्यणादि ग्रन्थों में हमारे काम की सामग्री प्राय नहीं है। हाँ, महाकाव्य-काल के रामायण और महाभारत में काव्य के सभी अङ्गों की सुन्दर परम्परा पाई जाती है। रामायण के बालकाण्ड में नव-रसों का उल्लेख मिलता है —

रसै शृंगारकृत्यरौद्रभयानकैः ॥

वीरादिभिः रसैर्युक्तं काव्यमेतद्गायताम् ॥

यद्यपि अधिकाश विद्वान् इसे प्रक्षिप्त मानते हैं तो भी रामायण में काव्यग्रन्थ के विदचेन की सामग्री का अभाव नहीं है। आदि कवि का प्रथम छन्दोच्चारवाला उपाख्यान अवश्य ही काव्य की मूल प्रेरक शक्ति क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में है।

निशम्य रुदरीं क्रौञ्चवीमिद वचनमववीत् ॥

मा निषाद् प्रतिष्ठा त्वमगम् शाश्वतीसमा ।

यक्षौञ्चमिथुनादेकमवधी काममोहितम् ॥

क्रौञ्चमिथुन में से एक का वध हो जाने पर क्रौञ्ची की वियोग-कातर अवस्था ने कवि-हृदय में वेदना का सञ्चार किया, इस प्रकार उद्देलित हृदय का उद्गार श्लोक-रूप में सामने आ गया। कवि स्वय-मेव काव्यस्फुरण की इस घटना का पर्यालोचन कर बताते हैं कि—

शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोक भवतु नान्यथा—

सिवाय कविता के यह और कुछ भी नहीं है। दूसरों ने भी इसे इसी रूप में स्वीकार किया —

काव्यस्यात्मा न एवार्थस्तथा चादिकवे पुरा ।

क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थ शोक श्लोकत्वमागत् ॥

॥ ध्वन्यालोक ११५५॥

काव्यालोचन के सिद्धान्तों की मूलभूत समस्या, जो भारतीय चिन्तकों को सदा सताती रही है, यही है कि काव्य की आत्मा क्या है? सभी प्रश्न इस एक ही प्रश्न के समावान की प्रतीक्षा में है। आदिकवि ने

अपनी तात्त्विक दृष्टि से इसका व्याख्यान सर्वथा मौलिक ढंग से कर दिया। यही व्याख्यान हमारे काव्यालोचन की आधारभूत भित्ति बना। इसी कारण वात्मीकि को आदिकवि कहा गया। डॉ नगेन्द्र के अनुसार उक्त व्याख्यान से निम्न काव्य-सिद्धान्त निष्कर्ष रूप से हमें प्राप्त होते हैं —

- (i) काव्य की मूल प्रेरणा भावातिरेक है। संद्वान्तिक शब्दावली में काव्यात्मा भाव या रस है।
- (ii) काव्य अपने मूल रूप में, आत्माभिव्यक्ति है।
- (iii) कवि रससंष्टा होने से पूर्व रस-भोक्ता है।
- (iv) भावोच्छ्वास और छन्द का मूलगत सम्बन्ध है।

कहना न होगा कि उक्त चारों सिद्धान्त भारतीय काव्यालोचन के भव्य भवन के आधार-स्तम्भ बन गये हैं।

महाकाव्यों के पश्चात् शब्दशास्त्र के ग्रन्थों में भी काव्य-सिद्धान्तों का प्रासङ्गिक व्याख्यान मिलता है। यासकाचार्य ने वैदिक कोष निघट्टु और निष्कृत में सम्पूर्ण क्रियाओं का पड़भावविकारों में समाहार, शब्दों का नित्यत्व प्रतिपादन, देवताओं के भक्तिसाहचर्य-प्रकरण में छन्दों का विभाजन एवं निर्वचन और उपमाओं का विवेचन करने के द्वारा काव्य-शास्त्र के संद्वान्तिक अनुशीलन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसी प्रकार पाणिनि और महाभाष्यकार पतञ्जलि के व्याकरण में काव्यशास्त्र-सम्मत 'उपमित', 'उपमान' और 'सामान्य' का उल्लेख है। हमारे वैयाकरणों ने शब्दशास्त्र का जिस वैज्ञानिक प्रौढ़ता से निर्माण व सम्पादन किया है उस सबसे यही प्रतीत होता है कि काव्य-सम्बन्धी सिद्धान्तों का भी विवेचन उसी प्रणाली पर होता रहा होगा, क्योंकि काव्यशास्त्र शब्दविचार के अन्तर्गत ही है। इस तथ्य की स्वीकृति 'काव्य-प्रकाश' में यह कहकर—‘बुधैवैयाकरणै प्रधानभूतस्फोटस्पृष्यग्यब्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारं कृत । ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरपि न्यग्भा-

वित्तवाच्यव्यंग्यब्जनक्षमस्य शब्दार्थयुगलस्य”—की है। यहाँ पर वे स्पष्टतया बताते हैं कि उन व्याकरणों के ही मतानुसार ग्रन्थों ने भी वाच्यार्थ को गौण बना व्यञ्जनार्थ के ज्ञापक शब्द अर्थ दोनों को ही ‘ध्वनि’-काष्ठ भाना है।

व्याकरण की तरह भारतीय दर्शनशास्त्र भी अपनी सूधमवीक्षण शक्ति तथा परिपूर्णता के लिए विख्यात है। प्राचीन समय में अध्ययन की परिपाठी गुरु को केन्द्र भानकर चलती थी। शिष्य अपने गुरु के दार्शनिक सिद्धान्तों का कट्टर अनुयायी होता था। इसी में उभका शिष्यत्व था। ऐसे शिष्य जब व्याकरणादि अन्य क्षेत्रों में पहुँचते थे तो वे उन शास्त्राओं के सिद्धान्तों की व्याख्या अपने दार्शनिक मतों के अनुकूल करते थे। इस प्रकार व्याकरणादि और दर्शन के सिद्धान्त परस्पर मौज-बुल कर गुरु-थे हुये हैं। सिद्धान्तों के इस परिमार्जन का क्षेत्र काव्यशास्त्र तक भी अवश्य विस्तृत हो गया होगा। इसी कारण हम बाद को भी इसी परिपाठी का अनुसरण करते हुए लोत्लट, शकुक, भट्टनायक, अभिनव-गुप्त आदि को देखते हैं, ये सभी क्रमशः मीमांसा, न्याय, साम्य और वेदान्त दर्शनों के अनुयायी ये और अपने दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रकाश में ही काव्यशास्त्र-सम्बन्धी तथ्यों का विवेचन करते थे। अत व्याकरण व दर्शन ग्रन्थों की शैलियों को देखने से प्रतीत होता है कि प्राचीन पण्डित विभिन्न शास्त्रों के क्षेत्र में दिग्विजय कर अपने दार्शनिक मत की सर्वोपरि प्रतिष्ठा के लिये अवश्य लालायित रखते होगे। अत काव्यशास्त्र में भी उनका प्रसार अवश्य रहा होगा। यह बात तब अनुमान कोटि से बढ़कर सिद्ध तथ्य तक जा पहुँचती है जब हम भरत को अपने ‘नाट्यशास्त्र’ में कृशाश्व व शिलालिन् जैसे काव्यशास्त्राचायों का उल्लेख करते हुए पाते हैं।

अभी तक हमने यह देखा कि काव्यपुरुष के चरणचिह्न सभी प्राचीन ग्रन्थों में अधिकता से पाये जाते हैं। परन्तु उसका मूर्त्ति साक्षा-

त्वार भरत के नाट्यशास्त्र के रूप में ईशापूर्व द्वितीय शताब्दी में ही आकर होता है। तथापि काव्यशास्त्र के नाट्यशास्त्र के रूप में अनुशीलन की परिपाठी भरत से प्राचीनतर है।

काव्यशास्त्र का स्व-
तन्त्ररूपेण दर्शन ' पुरुष की उत्पत्ति वताते हुए लिखा है कि साहित्य-शास्त्र का प्रथम उपदेश यिव ने ब्रह्मा को किया, ब्रह्मा से द्व्यरो को मिता। और यह भी निर्देश किया कि उसके अठारह अधिकरणों के अठारह आदि-प्रवक्ता कौन-कौन ये? रस-प्रकरण के विषय में—“रसाधिकारिक नन्दिकेश्वर” — कहकर रस का आदि व्याख्याता नन्दिकेश्वर को वताया है। यह बात मम्भव हो सकती है, क्योंकि नन्दिकेश्वर का उल्लेख अन्य अनेक लेखकों ने भी किया है। अभिनवभारती में अभिनवगुप्ताचार्य लिखते हैं—“यत्कीर्तिधरेण नन्दिकेश्वर-भत्तमन्नागमित्वेन दीर्घितं तदस्माभि साज्जान्नदृष्टं तस्मत्यथात् लिख्यते सच्चेष्टते . . .” अर्थात् नन्दिकेश्वर की कृति को हमने देखा नहीं है परन्तु उनके मत के विषय में कीर्तिधर को प्रमाण मान लिया है। इसी प्रकार प्राचीन श्रमिलेखों में ‘सुमति’ नामक किसी विद्वान् के ‘भरताणंव’ नामक ग्रन्थ का, जो नन्दिकेश्वर के ग्रन्थ के आधार पर निर्मित हुआ था, उल्लेख पाया जाता है। शारदातनय के ‘भावप्रकाशन’ में तो स्पष्टतया यह वताया गया है कि नन्दिकेश्वर ने भरतमुनि को नाट्यशास्त्र का उपदेश दिया। इस सबके अतिरिक्त नाट्यशास्त्र में रस-मिद्दान्त का व्याख्यान मक्षिप्त होते हुए भी अत्यन्त प्रौढ़ एवं वय प्राप्त प्रतीत होता है। अत यह मान लेना कि रस-सिद्धान्त का प्रतिपादन भरत के पूर्व समय से ही होता चला आया था सर्वथा तर्कसंगत है, चाहे हमारे पास एतद्विषयक नाट्यशास्त्र के सिवाय और कोई प्राचीनतर ग्रन्थ न भी हो।

इतना ही नहीं, सस्कृत के काव्यशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में अनेक उद्धरण ऐसे भी हैं जिनसे भरत के पूर्व हुए अन्य अनेक आचार्यों और

उनके ग्रन्थों के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। नान्यदेव ने अपने भरतभाष्य (नाट्यशास्त्र की टीका) में मतञ्ज, विशाखिल, कश्यप, नन्दिन् और दन्तिल आदि पूर्वचार्यों का नामोल्लेख किया है। 'काव्यादशं' की 'हृदयञ्जमा' टीका में—‘पूर्वेषां काव्यपवररुचिप्रभृतीनामाचार्याणा लक्षणशास्त्राणि संहत्य पर्यालोच्य ।’ इस प्रकार से पुरातन आचार्यों का स्मरण किया गया है।

इन अवस्थाओं में राजशेखर की साक्षी के सहित नन्दिकेश्वर को आदि आचार्य माननेवाली किम्बदन्ती, भरत द्वारा कृशाश्व व शिलालिन् नामक पूर्वचार्यों का उल्लेख और भामह व दण्डीकृत मेधाविन् व कश्यप का स्मरण इत्यादि सभी के होते हुए भी काव्यशास्त्र का प्रथम ग्रन्थ नाट्यशास्त्र को ही मानना पड़ता है, क्योंकि उक्त किम्बदन्ती, उल्लेख और स्मरणमात्र तत्तद् ग्रन्थों के अभाव में कोई विशेष सहायता नहीं कर सकते। परन्तु इतना अवश्य स्वीकार करके चलना पड़ेगा कि हमारा यह ऐतिहासिक अध्ययन अपूर्ण ही है।

नाट्यशास्त्र आकार व महत्व दोनों की दृष्टि से विशाल ग्रन्थ है। उसका मुख्य प्रतिपाद्य रूपक है, काव्य नहीं। तथापि नाटक के साञ्जोपाञ्ज वर्णन के साप्र प्रसञ्ज वश छठे और सातवें प्रक-भरत का नाट्यशास्त्र रण में रस का निर्देशन भी है। “विभावानु-भावध्यभिचारिसंयोगाद्वसनिष्पत्ति”—यह प्रसिद्ध सूत्र भरत का ही है। सोलहवे प्रकरण में श्रलङ्घारनिरूपण सक्षिप्त ही है। नाट्यशास्त्र पर अनेक टीकाएँ भी हैं, परन्तु उन सबमें अभिनवगुप्त की ‘अभिनवभारती’ सर्वाधिक निद्रत्तापूर्ण है।

शैली की दृष्टि से इसमें सूत्र, कारिकाएँ और भाष्य का क्रम क्रियमान है। श्लोकों के साथ कही-कही गद्यखण्ड का भी समावेश है। यद्यपि नाट्यशास्त्र का कुछ अ श वहूत वाद का मालूम होता है तो भी कुछ भाग निश्चय ही इसापूर्व द्वितीय शताब्दी से भी पूर्व का दीखता है।

सम्भव है कि वर्तमान नाट्यशास्त्र किसी प्राचीनतम कृति का विकसित रूप हो।

नाट्यशास्त्र का कर्ता भरतमुनि को बताया जाना है। डॉक्टर कारो का अनुमान है कि नाट्यशास्त्र किसी भरत नाम के व्यक्ति ने नहीं अपितु भरतो (नटो) ने सगृहीत कर नटो के कुल को महत्व प्रदान करने के लिए महामुनि के नाम से विख्यात कर दिया। यह तो कह ही चुके हैं कि नाट्यशास्त्र की रचना विभिन्न प्रकार की है। अन यह स्पष्ट है कि वह अनेक प्रकार से अनेक समयों में अनेक आचार्यों द्वारा सम्पादित होता रहा है। इस प्रकार उसका रचनाकाल ई० पू० २०० में लेकर ई० पू० ३०० तक निर्धारित होता है।

काव्यशास्त्र-सम्बन्धी उपलब्ध ग्रन्थों में भरतमुनि का नाट्यशास्त्र ही प्राचीनतम है—इस स्थापना के विपरीत कुछ लोग अग्निपुराण को सामने लाते हैं और ‘काव्यप्रकाशादर्श’ में से महेश्वर के इस कथन को उद्धृत करते हैं—“गहने शास्त्रान्तरे प्रवर्तयितुमिनिषुराणाद्बुद्धत्य काव्यरसास्वादकारणमज्ज्ञारशास्त्र कारिकाभि सत्त्विष्य भरतमुनि प्रणीतवान्।” परन्तु अग्निपुराण को देखने से ज्ञात होता है कि वह भामह, दण्डी, और ध्वन्यालोक आदि से भी अर्वाचीन है। उम्में ध्वनि-सिद्धान्त का उल्लेख होने से ही यह बात स्पष्ट है।

भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के पश्चात् ईसा की सातवी व आठवी शती में भामह और दण्डी दो प्रमुख आचार्य हुए। वीच के काल में काव्यशास्त्र-विषयक प्रगति का इतिहास अभी तक अन्धकार में ही है। परन्तु इतना निश्चित है कि इस समय भी काव्यशास्त्रानुशीलन की परिपाठी का क्रम यथापूर्व जारी था। भामह ने अपने से पूर्व हुए आचार्यों के ग्रन्थों का निर्देश किया है—“इति निगद्वितास्तास्ता वाचाम-लकृतयो भया वहुविधिकृतोद्घ्वन्येषा स्वयं परितर्क्यं च ” इत्यादि। मेघाविन् नाम के आचार्य का तो उसने दो बार उल्लेख किया है और

उसके बताये हुए उपमा-दोषों की गणना की है - “त एत उपमादोषाः सप्तमेघाविनोदिता ।” परन्तु मेघाविन् के ग्रन्थ की उपलब्धि न होने में उनके विषय में आगे कुछ नहीं कहा जा सकता ।

इसके अतिरिक्त इसा की छठी शताब्दी में दो ऐसे ग्रन्थ निर्मित हुए जो वास्तव में काव्यशास्त्र-विषयक नहीं, फिर भी उनमें साहित्य-विवेचन को म्थान दिया गया है । विष्णुघर्मोत्तर पुराण ने तृतीय खण्ड में प्राय नाट्यशास्त्र का अनुकरण करते हुए नाट्य और काव्य का विवेचन किया है । इसी प्रकार भट्टकाव्य, जो व्याकरण का ग्रन्थ है, में भी काव्य-विवेचन पाया जाता है ।

इतने से निम्न दो वातों का पता चलता है —

- (i) इस समय काव्यशास्त्र का महत्त्व पूर्णतया प्रतिष्ठित था, जिसके कारण उसको पुराणों और व्याकरण-ग्रन्थों में भी स्थान दिया गया ।
- (ii) भरत के नाट्यशास्त्र को अपने विषय का प्रमाण-कोटि का ग्रन्थ माना जाता था, इसीलिए उसे विष्णुघर्मोत्तर पुराण के कर्ता ने श्रावार बनाया ।

भरत ने रस का ललेख वाचिक अभिनय के प्रसङ्ग में किया है । श्रतः ऐसा जात होता है कि परवर्ती कल्पित आचार्यों ने रस को नाटक तक ही नीमित ममभा । इसीलिए हम देखते हैं कि भामह यद्यपि रस-सिद्धान्त से पूर्णतया परिचित थे तो भी उन्होंने काव्यात्मा अलङ्कार को ही स्वीकृत किया । भामह का भमय द्वी शताब्दी माना जाता है । इस प्रकार भामह रस-विरोधी प्रथम आचार्य हुए, जिन्होंने ‘अलंकार-सम्प्रदाय’ की म्थापना की । हम देखेंगे कि भामह के अनुयायी दण्डी, उद्घट और रुद्रट हुए जिन्होंने उनके मत का अनुमरण किया । आचार्य भामह ने अलंकार शब्द को व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हुए रचना एवं कल्पना के सौन्दर्य को काव्यात्मा कहा । उनके मत में वक्रोक्ति (काव्य-

और रीति मतों का बड़ा जोर एवं मध्यम थी। रीतिमत में गुणों और दोषों के विस्तृत विवेचन के फलस्वरूप गुण-महित निर्दोष पद-विन्यास को काव्यात्मा माना गया।

स्ट्रट ने 'काव्यालकार' की रचना ८२५ ई० और ८७५ ई० के मध्य में की होगी। इन्होंने नर्वप्रथम वास्तव, श्रीपम्य, अतिथय और श्लेष के आधार पर अलङ्कारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। इनका अलङ्कार-विवेचन भी पूर्वचार्यों की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक है। इस का भी ये महत्व स्वीकार करते हैं—‘तस्मात्त्वर्त्तव्य यत्नेन महोयसा रसैयुक्तम्।’ तथापि ये अलङ्कारवादी ही ये। इनकी दृष्टि में रीतियाँ चार हैं। नमिसावु की 'काव्यालकार' पर टीका है।

तौदी शताव्दी के उत्तरार्ध में आनन्दवर्धन के 'ध्वन्यालोक' की रचना के कारण 'काव्यशास्त्र' के इतिहास में युगान्तर पैदा हो गया। इस महान् ग्रन्थ को टीकाकार भी उन्नता ही महान् मिला। अभिनव-गुप्ताचार्य ने दसवीं सदी के उत्तरार्ध में इस पर 'लोचन' नाम की टीका लिखकर ग्रन्थ के गौरव में चार चाँद लगा दिये। ढा० कारणे ने 'ध्वन्यालोक' और उसकी टीका 'लोचन' के विषय में कहा है—“अलकारशास्त्र के इतिहास में ध्वन्यालोक युगान्तरकारी कृति है, अलङ्कारशास्त्र में इसकी वही महत्ता है जो व्याकरण में पाणिनि के सूत्रों और वेदान्त में वेदान्तसूत्रों की। और अभिनवगुप्त की टीका पतञ्जलि के महाभाष्य और शकराचार्य के वेदान्तभाष्य के तुल्य है।”

ध्वन्यालोक में १२६ कारिकाएँ, वृत्ति अर्थात् भाष्य और पूर्व कवियों के श्लोक उदाहरण रूप में संगृहीत हैं। सम्पूर्ण ग्रन्थ चार भागों (उच्चोतों) में विभक्त है। 'ध्वन्यालोक' से पूर्व रस-सिद्धान्त एक प्रकार में अव्याप्ति दोष से धिरे हुए होने की-सी स्थिति में था। 'नाटधशास्त्र' में रस का कथन जिस ढग से किया गया है उससे यह भ्रम हो जाना स्वाभाविक था कि उसका सम्बन्ध विभाव, अनुभाव और व्यभिचारियों

की उपस्थिति के खेत्र से ही है। इन पर अलङ्कारवादियों और रीति-मतानुयायियों की बाह्यार्थनिरूपणी दृष्टि में काव्यात्मा का प्रश्न है। होता हुआ नहीं दिखाई दिया। फुटकर आकर्षक पद्यों के विषय में यह शका बार-बार उठती रही होगी कि इनमें काव्यत्व की व्यास्था कैसे सम्भव है? इन मध्यी गकाओं का मुन्दर और व्यवस्थित समावन ध्वनिकार ने 'रस-मिद्दान्त' के मन्त्रव्य को जरा और अधिक विकस देकर 'ध्वनि-सिद्धान्त' के रूप में प्रस्तुत किया। अत यह कहा जाना कि 'ध्वनि-सिद्धान्त' 'रस-मिद्दान्त' का ही विकसित रूप है, साथा उचित है। रस के मम्बन्ध में यह मन्त्रव्य स्थिर किया गया था कि वह बाच्य न होकर व्यञ्जय ही होता है। इसी बात को जरा आगे बढ़ाकर 'ध्वन्यालोक' में इम प्रकार रखा गया कि सर्वोत्तम काव्य वह है जिसमें लावण्ययुक्त व्यञ्जयार्थ प्रधान रहता है।

'ध्वन्यालोक' ने एक महत्वपूर्ण कार्य और भी किया, उसने काव्य के सभी प्रतिपाद्य विषयों का उचित रीति से समन्वय किया। अत 'ध्वनि-मिद्दान्त' एक प्रकार मे सर्वमान्यता हो गया। परन्तु इस स्थिति में पहुँचने तक उमे प्रतिहारेन्दुराज, वक्षोक्तिजीवितकार कुन्तक, भट्टनायक और महिमभट्ट जैसे आचार्यों की तीव्र समालोचना का लक्ष्य बनना पड़ा। 'ध्वन्यालोक' का रचनाकाल ८६० ई० मे ८९० ई० के बीच स्थिर होता है।

नौवीं शताब्दी के उनरार्ष में उचित राजशेखर की 'काव्यमीमांसा' और मुकुलभट्ट की 'अभिधावृत्तिमातृका' नामक दो रचनाएँ और भी मिलती हैं। "काव्यमीमांसा" कवियों को विविव प्रकार की जानकारी देनेवाला एक कोप के किस्म का ग्रन्थ है। इसमें १८ अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में काव्यपुरुषोन्पत्ति-भूम्बन्धी आलङ्कारिक वर्णन है। विभिन्न कवियों के उदाहरण रूप में प्रस्तुत श्लोक और आचार्यों के मन्त्रव्यों का भी अन्त्य सम्प्रदाय है। राजशेखर कन्नोज के राजा महेन्द्रपाल (महीपाल)

के गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम अवन्तिसुन्दरी था। मुकुलभट्ट प्रती-हारेन्द्रराज के गुरु थे। इनके ग्रन्थ में कुल १५ कारिकाएँ हैं, जिनमें अभिधा और लक्षणा नामक दो शब्द-शक्तियों का विवेचन है।

अभिनवगुप्त के गुरु आचार्य भट्टतीत का 'काव्यकौतुक' अभी तक अनुपलब्ध है। इसका रचनाकाल ६२० ई० और ६८० ई० के बीच में अनुमानित होता है। काव्यशास्त्र के ग्रन्थों में उद्धृत उद्धरणों के आधार पर उसके विषय में यह अनुमान किया जाता है कि रस-सिद्धान्त का इसमें मुख्यतया प्रतिपादन था। नाट्यशास्त्र के सम्बन्धित स्थलों का भी इसमें स्पष्टीकरण रहा होगा। यह भी मालूम होता है कि आचार्य भट्टतीत अनेक साहित्य-शास्त्र-सम्बन्धी स्वतन्त्र सिद्धान्तों के प्रतिपादक थे। अभिनवगुप्ताचार्य स्थान-स्थान पर “इत्यस्मदुपाध्याया” कहकर उनके मन्तव्यों का उल्लेख करते हैं। अत इसमें सन्देह नहीं कि भट्टतीत ने अभिनवगुप्त के ऊपर और इसीलिए रस-सिद्धान्त के विवेचन में भी, महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

उनके कतिपय साहित्य-प्रस्तुतियों में सिद्धान्त निम्न प्रकार है —

१ शान्त रस मोक्षदायक होने से सर्वोभरि है—“भौज्ञरुक्तव्येन चाय (शान्तो रस) परमपुरुषार्थनिष्ठत्वात्सर्वरक्षेभ्य प्रधानतम् ।”—लोचन ।

२ “प्रीत्यात्मा च रसस्तदेव नाव्य नाव्य एव च वेद इत्यस्मदुपाध्याय ”—लोचन ।

३ जब कवि अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा पाठक को विषय का ‘प्रत्यक्षवत्’ करा देता है, रसानुभूति तभी होती है।—“काव्यार्थविषये हि अत्यञ्जकल्पसंवेदनोदये रसोदय इत्युपाध्याया ।”—लोचन

४ रसानुभूति कवि, नायक, और सहृदय सामाजिक को समान रूप से होती है—“नायकस्य कवे श्रोतुं समानोनुभवस्तत्。”—लोचन । अर्थात् रस-स्थिति कवि, नायक और पाठक तीनों में है ।

इसके बाद ध्वनि-सिद्धान्त के समर्थ विरोधी आचार्य भट्टनायक हुए। इन्होंने ध्वनि-मत-खण्डन के लिए 'हृदय-दर्पण' लिखा जो अभी तक अप्राप्त है। भरत के प्रसिद्ध चार प्रमुख व्याख्याताओं में इनका नाम अन्यतम है। इन्होंने शब्द में अभिधा, भावना और भोगीकृति (रस-चवरण्या या भोग) ये तीन शक्तियाँ स्वीकार कर भोगीकृति को काव्यात्मा माना तथा ध्वनि को काव्यात्मा के रूप में न मानते हुए उसे स्व-सबेद्य और अनिर्वचनीय ही माना। इनका समय ६३५ से ६८५ ई० तक माना जाता है।

इसी समय आचार्य कुन्तक ने भी ध्वनि-सिद्धान्त के खण्डन के लिए 'वक्रोक्तिजीवित' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा। इसमें कारिकाएँ, वृत्ति और विभिन्न कवियों के लगभग ५०० उद्धरण हैं। इसमें नन्देह नहीं कि आचार्य कुन्तक की कृति मौलिकता और उच्च कोटि की माहित्यिक अभिरुचि की परिचायिका है। आचार्य भट्टतीत की तरह ये भी उत्तम काव्य का मूल स्रोत कवि की अपनी प्रतिभा को ही मानते हैं। इनके मत में वक्रोक्ति (=विचित्र अभिधा=प्रसिद्ध कथन की अपेक्षा विलक्षणता लानेवाली जो विचित्रता है वही वक्रता है—“वक्रत्वं प्रसिद्धाभिधान-ज्यतिरेकि वैचित्र्यम्।”) अथवा भरल शब्दों में कहें तो कवि के चातुर्यं या विदर्घता से चमत्कार पैदा करनेवाली वारंगी वक्रोक्ति है) ही काव्य में जीवन सञ्चार करने के कारण काव्यात्मा है। वक्रोक्ति के विना काव्यत्व की सत्ता असम्भव है। परन्तु जब तक कवि में कल्पनामयी प्रतिभा न होगी, वाता नहीं आ सकती। अत 'कविव्यापार' पर वहुत जोर दिया है।

कुन्तक ध्वनि या व्यग्य की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वे इन्हें भी वक्रोक्ति की सर्वव्यापिनी सीमा में विठाना चाहते हैं। इनका काल ६२५ ई० से १००० ई० तक कहा जा सकता है।

सोने में सुगन्धि की कल्पना सभी किया करते हैं, परन्तु इसका

सच्चे अर्थों में साक्षात् दर्शन अभिनवगुप्तपादाचार्य के चरित्र में ही होता है। भारतीय आदर्शवादी दृष्टिकोण से सच्चे कवि और समालोचक के आदर्श स्वरूप का दर्शन भारत की इस महान् विभूति में पाया जाता है। वे न केवल उच्च कोटि के प्रतिभासम्पन्न कवि ही थे अपितु साहित्य-शास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य और प्रखर वुद्धि के दार्शनिक भी थे। उनके तपे दुए उज्ज्वल चरित्र की सुगन्धि अन्तर्वेद ने काश्मीर तक समूर्ण आर्यवर्त में व्याप्त थी। दार्शनिक दृष्टि, माहित्य-मर्मज्ञता, कवित्व और आस्तिक्य व तप का ऐसा एकत्र सयोग अन्यत्र दुर्लभ है। उनकी सर्वतोपुस्ती प्रतिभा पण्डितराज जगन्नाथ या फिर विश्वकवि रवीन्द्रनाथ में ही पाई जाती है। डा० कारणे ने उनके सम्बन्ध में लिखा है—“Ah hinava-gupta is one of the most remarkable personalities of medieval India. He was a man of very acute intellect and was an encyclopaed scholar”

अभिनवगुप्त का रचनाकाल ६८० ई० से १०२० ई० तक माना जा सकता है। इन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन अनेक गुरुओं से किया था। नाट्यशास्त्र के इनके गुरु भद्रतौत थे। ये आजन्म ब्रह्मचारी रहे। इनकी रचनाएँ तन्त्र, स्तोत्र, नाट्य और दर्शन आदि कई वर्गों में बांटी जा सकती हैं। उन्होंने ‘नाट्यशास्त्र’ पर ‘अभिनवभारती’ और ‘धन्यालोक’ पर ‘लोचन’ नाम की विद्वत्तापूर्ण टीकाएँ लिखी। भद्रतौत के ‘काव्यकौतुक’ पर भी ‘विवरण’ नामी टीका लिखी थी।

दसवीं शती के अन्तिम चरण में राजा मुञ्ज की सभा के अन्यतम रत्न धनञ्जय ने ‘दशरूपक’ की रचना की। यह ग्रन्थ नाट्य से सम्बन्ध रखता है, परन्तु इसमें रस का विवेचन भी प्रसगवश मिलता है।

‘धनि-सिद्धान्त’ का प्रत्यास्थान करनेवालों में राजानकमहिमभट्ट का ‘व्यक्तिविवेक’ भी प्रसिद्ध है। वे ‘धन्यालोक’ की मान्दता के मूल में

ही आक्षेप करते हुए व्यञ्जना शक्ति का निषेध करते हैं। उनके मत में शब्द की एक ही शक्ति—अभिवा—है। प्रतीयमान अर्थ अनुमान की क्रिया द्वारा उपलब्ध होता है। अतः शब्द और अर्थ व्यञ्जक नहीं हो सकते। इनका काल १०२० से लेकर ११०० ई० तक माना जा सकता है।

ग्यार वी शताब्दी (१००५ ई० से १०५४ ई० तक) में महान् विद्याव्यसनी भोजराज हुए, जिन्होंने मध्यकालीन प्रचलित सभी विद्याओं पर ८४ ग्रन्थ रचे। सरस्वतीकण्ठाभरण् और 'शृङ्गारप्रकाश' नामक दो बृहद् ग्रन्थ काव्यशास्त्र में सम्बन्धित हैं। ये स्वयं तो काव्यमर्मज्ञ थे ही परन्तु कवियों के आश्रयदाना भी थे। 'शृङ्गारप्रकाश' में हन्होने केवल शृंगार को ही रस माना है—“शृङ्गारमेकमेव शृङ्गारप्रकाशे रसमुरीचकार”। 'सरस्वतीकण्ठाभरण' भारी नग्रह-ग्रन्थ है। भोजराज की प्रशन्ति में यह कथन बड़े महत्त्व का है—

साधित, विहित, दत्त, ज्ञात तद् यन्न केनचित् ।

किमन्यक्लविराजस्य श्रीभोजस्य प्रशस्यते ॥

धन्यालोक' और 'वक्त्रोवितजीवित' दोनों में 'श्रीचित्य' की चर्चा है—

श्रीनौचित्यादते नान्यद्वसभङ्गस्य कारणम् ।

प्रसिद्धोचित्यवन्यस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥—४३८. लोक

इसी वात को लेकर क्षेमन् ने “श्रीचित्यविचारचर्चा” नामक ग्रन्थ रच डाला। इसमें कारिकाँ, वृत्ति और उदाहरण हैं। इनके मत में 'श्रीचित्य' ही रन का आधारभूत है—“श्रीचित्यन्य चमत्कारकारणश्चारुचर्चणे। रमजीवितभूतन्य विचारं कुरुतेऽधुना।” क्षेमेन्द्र ने 'कविकण्ठाभरण' आदि और भी ग्रन्थ रचे, परन्तु ग्रलङ्घारशास्त्र में इनका कोई महत्त्व विशेष हो, यह बात नहीं। इनका समय ६६० ई० से १०६६ ई० तक है।

ग्यारहवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ही सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “काव्यप्रकाश”

के कर्ता ममटाचार्य हुए। इनके ग्रन्थ की महत्ता इस बात में है कि शताव्दियों से होनेवाली काव्य-शास्त्र-सम्बन्धी साधना के सार को १४३ कारिकाओं में ऐसे व्यवस्थित ढंग से रख दिया कि सब कुछ पुराना होते हुए भी सर्वथा नवीन हो गया। डा० कारणे के अब्दो में 'काव्यप्रकाश' साहित्यशास्त्र में 'शारीरकभाष्य' और 'महाभाष्य' की तरह नवीन प्रेरणाओं का स्रोत बन गया है। ममट ने अपनी अर्थगम्भीर शैली में नाट्य-विषय को छोड़कर सम्पूर्ण साहित्यशास्त्र के प्रनिपाद्य को समेट लिया है। यह ग्रन्थ अपनी सर्वगाहिता के कारण भारतभर में लोकप्रिय हो गया और भगवद्गीता के बाद सर्वाधिक टीकाएँ इसी पर उपलब्ध हैं। माहेश्वर ने 'भावार्थचिन्तामणि' में कहा है—

“काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे नृहे टीका तथाप्येष तथैव दुर्गम ॥”

ममटभट्ट काश्मीरी ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं। कुछ नोगो का यह कहना है कि 'काव्यप्रकाश' की कारिकाएँ भरत वी हैं, ममट के बल वृत्तिकार हैं। परन्तु यह भत प्रामाणिक नहीं है।

रुद्यक का 'अलकारसर्वस्व' अलकार-विषयक प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसकी रचना ११३५ से ११५० तक मानी जाती है। रुद्यक ध्वनि-सिद्धान्त के प्रबल समर्थकों में से है। जयरथ ने इस पर 'विमर्शनी' टीका लिखी है। जयरथ १३वीं शती के प्रथम चतुर्थ में रहा होगा। रुद्यक ने इसके अतिरिक्त 'काव्यप्रकाशमकेत', 'नाटकमीमांसा', 'साहित्यमीमांसा', 'व्यक्तिविवेकविचार' 'सर्वदयलीला' आदि अनेक ग्रन्थ लिखे। इस सबसे यह मालूम पड़ता है कि इनके समय में काव्यशास्त्र का अध्ययनाध्यापन काफी बढ़ गया था। बारहवीं शताब्दी भै ही वाग्भट प्रथम, हेमचन्द्र, जयदेव और विद्याधर आदि विद्वानों ने क्रमशः 'वाग्भटालकार', 'काव्यानुशासन', 'चन्द्रालोक' और 'एकादली' आदि सग्रह-ग्रन्थ लिखे। वाग्भट जैन विद्वान् थे और कहीं पर राजकीय मन्त्री थे।

चौदहवीं शताब्दी में 'प्रतापरुद्रयशोभूषण' और 'काव्यानुशासन'

के कर्ता क्रमशः विद्यानाथ और वारभट द्वितीय हुए। इन कृतियों को देखने से ज्ञात होता है कि हिन्दी-नाहित्य की रीतिकालीन राजाओं के यशोगानवाली परिपाठी इस समय शुरू हो चुकी थी और कवि लोग 'किसी भोज' की तलाश में धूमते नज़र आने लगे होंगे। परन्तु इसी शताब्दी में (१३०० ई० में १३५४ तक) 'नाहित्यदर्पण' के प्रव्याप्त कर्ता विश्वनाथ हुए, जिन्होंने एक ही ग्रन्थ में नाट्यशास्त्र तक को नमेट लिया। विश्वनाथ उडिया ब्राह्मण थे और सन्कृत के सिवाय प्राकृत के भी विद्वान् थे। यद्यपि इनका ग्रन्थ 'नाहित्यदर्पण' सम्बह-ग्रन्थ ही है किर भी उसका अपना महत्व है। आजन्दवर्धन, मम्मट और जगन्नाथ के ही समान विश्वनाथ का भी स्थान काव्यशास्त्र के इतिहास में महत्वपूर्ण है।

पन्द्रहवीं शताब्दी में भानुदत्त ने 'रसमञ्जरी' और 'रसतरज्जिणी' नामक दो ग्रन्थ प्रस्तुत किये। परन्तु इनका महत्व विशेष नहीं है। हाँ, रूपगोस्वामिन् के 'भवितरनामृतसिन्धु' और 'उज्जलनीलमणि' ग्रन्थों का महत्व इसलिए है कि इन्होंने चैतन्य की भवित-धारा ने प्रभावित होकर भक्ति-रस को इस सिद्धान्त के अन्तर्गत महत्व दिलाने के लिए इनकी रचना नवीन शैली से की। रूपगोस्वामिन् का समय १४७० में १५५४ तक माना जा सकता है। रूपगोस्वामिन् की पढ़ति न तो सन्कृत में और ना ही हिन्दी के भक्ति-काव्य में प्रतिष्ठित हो सकी।

सोलहवीं शताब्दी में केशवमिश्र ने 'अलङ्कारशोखर' और अप्यय-दीक्षित ने 'पृत्तिवार्तिक', 'कुबलयानन्द' और 'चिन्मीमाना' नामक काव्यशास्त्र में नम्बन्धित तीन ग्रन्थ लिखे। अप्ययदीक्षित का समय १५५४ में १६२६ ई० माना जाता है। ये धुरन्धर विद्वान् थे और इन्होंने शताधिक ग्रन्थों की रचना की है। ये तामिल ब्राह्मण थे। इनका 'चिन्मीमाना' आलोचनात्मक एवं गम्भीर शैली का ग्रन्थ है।

सन्कृत-नाहित्यमहोदयि में अपने चिन्तन के नार की नन्ति को ढेर ढेलने वाले धुरन्धर विद्वानों की महान् शृङ्खला की महान् अन्तिम

के कर्त्ता मम्मटाचार्य हुए। इनके ग्रन्थ की महत्ता इस बात में है कि शताव्दियों से होनेवाली काव्य-शास्त्र-सम्बन्धी साधना के सार को १४३ कारिकाओं में ऐसे व्यवस्थित ढंग में रख दिया कि सब कुछ पुराना होते हुए भी सर्वथा नवीन हो गया। डा० कारण के शब्दों में 'काव्यप्रकाश' साहित्यशास्त्र में 'आरीरकभाष्य' और 'महाभाष्य' की तरह नवीन प्रेरणाओं का स्रोत बन गया है। मम्मट ने अपनी अर्थगम्भित शैली में नाट्य-विषय को छोड़कर सम्पूर्ण माहित्यशास्त्र के प्रनिपाद्य को समेट लिया है। यह ग्रन्थ अपनी सर्वगाहिता के कारण भारतभर में लोकप्रिय हो गया और भगवद्गीता के बाद सर्वाधिक टीकाएँ इसी पर उपलब्ध हैं। माहेश्वर ने 'भावार्थचिन्तामणि' में कहा है—

“काव्यप्रकाशस्य कृता गृद्धे नृहे टीका तथाप्येष तथैव दुर्गम ॥”

मम्मटभट्ट काशमीरी आह्यण मालूम पड़ते हैं। कुछ नोगों का यह कहना है कि 'काव्यप्रकाश' की कारिकाएँ भरत वी हैं, मम्मट के बल वृत्तिकार हैं। परन्तु यह भत प्रामाणिक नहीं है।

रुद्यक का 'अलकारसर्वस्व' अलकार-विषयक प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसकी रचना ११३५ से ११५० तक मानी जाती है। रुद्यक ध्वनि-सिद्धान्त के प्रबल समर्थकों में से है। जयरथ ने इस पर 'विर्मर्शनी' टीका लिखी है। जयरथ १३वीं शती के प्रथम चरण में रहा होगा। रुद्यक ने इसके अतिरिक्त 'काव्यप्रकाशमकेत', 'नाटकमीमांसा', 'साहित्यमीमांसा', 'व्यन्तिविवेकविचार' 'सर्हृदयलीला' आदि अनेक ग्रन्थ लिखे। इम सबसे यह मालूम पड़ता है कि इनके समय में काव्यशास्त्र का अध्ययनाध्यापन काफी बढ़ गया था। बारहवीं शताब्दी में ही वाग्भट प्रथम, हेमचन्द्र, जयदेव और विद्याधर आदि विद्वानों ने क्रमशः 'वाग्भटालकार', 'काव्यानुशासन', 'चन्द्रालोक' और 'एकादली' आदि सम्रह-ग्रन्थ लिखे। वाग्भट जैन विद्वान् थे और कहीं पर राजकीय मन्त्री थे।

चौदहवीं शताब्दी में 'प्रतापरुद्रयशोभूषण' और 'काव्यानुशासन'

के कर्ता क्रमशः विद्यानाथ और वार्मट द्वितीय हुए। इन कृतियों को देखने से ज्ञात होता है कि हिन्दी-माहित्य की रीतिकालीन राजाओं के यशोगानवाली परिपाटी इस समय शुरू हो चुकी थी और कवि लोग 'किनी भोज' की तलाश में घूमते नज़र आने लगे होगे। परन्तु इसी शताब्दी में (१३०० ई० में १३८४ तक) 'साहित्यदर्पण' के प्रस्थात कर्ता विश्वनाथ हुए, जिन्होंने एक ही ग्रन्थ में नाट्यगास्त्र तक को समेट लिया। विश्वनाथ उडिया ग्राहण थे और सस्कृत के सिवाय प्राकृत के भी विद्वान् थे। यद्यपि इनका ग्रन्थ 'साहित्यदर्पण' सम्ब्रह-ग्रन्थ ही है किर भी उसका अपना महत्व है। आनन्दवर्धन, मम्मट और जगन्नाथ के ही समान विश्वनाथ का भी स्थान काव्यशास्त्र के इतिहास में महत्वपूर्ण है।

पन्द्रहवी शताब्दी में भानुदत्त ने 'रसमञ्जरी' और 'रसतरङ्गिणी' नामक दो ग्रन्थ प्रस्तुत किये। परन्तु इनका महत्व विशेष नहीं है। हाँ, रूपगोस्वामिन् के 'भवितरसामृतसिन्धु' और 'उच्चलनोलमणि' ग्रन्थों का महत्व इसलिए है कि इन्होंने चैतन्य की भवित-धारा ने प्रभावित होकर भक्ति-रस को इस सिद्धान्त के अन्तर्गत महत्व दिलाने के लिए इनकी रचना नवीन शैली से की। रूपगोस्वामिन् का समय १४७० से १५५४ तक माना जा सकता है। रूपगोस्वामिन् की पढ़ति न तो सस्कृत में और ना ही हिन्दी के भक्ति-काव्य में प्रतिष्ठित हो सकी।

सोलहवी शताब्दी में केशवमिश्र ने 'अलङ्कारशेखर' और अप्पय-दीक्षित ने 'वृत्तिवार्तिक', 'कुवलयानन्द' और 'चित्रमीमांसा' नामक काव्यशास्त्र से सम्बन्धित तीन ग्रन्थ लिखे। अप्पयदीक्षित का समय १५५४ से १६२६ ई० माना जाता है। ये धुरन्धर विद्वान् थे और इन्होंने शताधिक ग्रन्थों की रचना की है। ये तामिल ग्राहण ने। इनका 'चित्रमीमांसा' ग्रालोचनात्मक एवं गम्भीर शैली का ग्रन्थ है।

सस्कृत-माहित्यमहोदयि में अपने चित्तन के नार की मरिता को उँड़ेलने वाले धुरन्धर विद्वानों की महान् शृङ्खला की महान् अन्तिम

कही के रूप में पण्डितराज जगन्नाथ को पाते हैं। हम देखते हैं कि सुदूर देशवासी यह तैलञ्ज्ज व्राह्मण अपनी प्रखरप्रतिभा के बल पर शाह-जहाँ के वैभवशाली मुगल दरबार में देवदारी के रस को प्रवाहित कर सम्राट् को चकित कर देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी सस्कृत भाषा के माधुर्य की धजा को फहरानेवाले पण्डितराज अपने-जैसे एक ही थे। ये सच्चे अर्थों में रसिक थे और सदा आत्मसम्मान एवं स्वात्माभिमान की सुरा को पिये रहते थे। 'रसगञ्जाधर' इनका प्रामाणिक ग्रन्थ है। काव्यशास्त्र में 'व्वन्यालोक' और 'काव्यप्रकाश' के बाद इसी का नम्बर है। प्रवाहमयी सस्कृत लिखने में ये सिद्धहस्त थे। अभिनवगुप्त की तरह ये कवि और समालोचक दोनों ही थे। इनका समय १६२० से १६६० ई० तक है। स्वाभिमान के कारण इन्होंने दूसरों के उद्धरण देना पसन्द नहीं किया —

नूतनमुदाहरणानुरूप
काव्य मयात्र निहितं न परस्य किञ्चित् ।
कि सेव्यते सुमनसा मनसापि गन्ध
कस्तूरिकाजननशक्तिभृता मृगेण ॥

रस-सम्प्रदाय

‘रस’ शब्द की जीवन-यात्रा दर्शनीय है। वेदों के सोमरस से चलकर आधुनिक हिन्दी के ठेठ ‘रसिया’ तक हजारों वर्षों में युगों की दीर्घता रस शब्द की यात्रा को तय करनेवाले इस पथिक ने अपने मनोरजक इतिहास का निर्माण किया है। इतने लम्बे समय में इसने अपने रूप और आशय को जिस प्रकार सुरक्षित रखा है वह आश्चर्य का विषय है। अनुभव और ज्ञान की गरिमा को लेकर भी प्रीढ़ पुरुष जिस प्रकार अपनी सम्पूर्णता की एकता का प्रतीक होता है उसी प्रकार उत्तरोत्तर सूक्ष्माशय होता गया भी रस शब्द अपने अर्थ की गूल भावनाओं का सदा प्रतिनिधि बना रहा है। रस के इतिहास को देखकर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि इसका अर्थ स्थूल से सूक्ष्म की ओर अगसर होता रहा तो भी सभी अवस्थाओं में इसके अर्थ की मूल भावनाएँ अपरिवर्तित ही रहीं। वे ये हैं—

(क) द्रवत्व (ख) स्वाद और (ग) नार या निष्कर्ष। वैदिक सोम रत का रस शब्द जिस प्रकार द्रवत्व, स्वाद और निष्कर्ष का द्योतक है उसी प्रकार ‘गन्ने के रस’ में प्रयुक्त रस भी उक्त तीनों भावों का तूचक है।

व्याकरण के आवार से व्यून्यति द्वारा भी उक्त भावों का स्पष्टीकरण होता है—

(क) सरते इति रस (जो वहता है)।

(ख) रस्यते आस्वाद्यते इति रस (जिनका आन्वाद लिया जाता है)।

(ग) और तीसरा भाव सोमरस एवं गन्ने के रस में है ही—ज्योकि दोनों किसी द्रव्य को निचोड़कर प्राप्त किये गये हैं।

प्राचीनतम् ग्रन्थ ऋग्वेद में ‘रस’ शब्द का प्रयोग प्रचृता से हुआ मिलता है—

- (क) “रसा दधीत वृषभम्।”
- (ख) “यत्य ते मद्य रसम्।”
- (ग) “भरद्वेनरसवच्छिक्षिये।”

इन तीनो मन्त्र-खण्डो में रस शब्द दुग्ध (त्वादयुक्त व), सोमलता का निष्कर्ष रूप द्रव और ‘मधुर-आस्वाद-युक्त’ इन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है ।

उपनिषदो में भी यह शब्द अधिकता ने प्रयुक्त हुआ है —

- (क) “प्राणोहि वा अङ्गाना रस” (प्राण निश्चय ने अङ्गों का सार तत्त्व है ।) ॥वृहदारण्यक ॥
- (ख) “जिह्वा हि रस विजानाति ।” (जिह्वा से आस्वाद को जानता है) ॥ वृहदारण्यक ॥
- (ग) “न जिघ्री न रसयते ।” (न सौंघना है न आस्वाद लेता है) ॥ प्रश्नोपनिषद् ॥

आगे चलकर उपनिषदो में ही ‘रस’ शब्द के सार और आस्वाद इन दो अर्थों के मेल से एक नवीन अर्थ—‘सर्वोत्तम’ आस्वाद अर्थात् आनन्दात्मक अनुभव—का प्रस्फुटन हो गया । और ‘रस. सार विदा-नन्दप्रकाश’ इन प्रकार उसका अर्थ किया गया —

- (क) “रसो वै स” (वह निश्चय से नारभूत आनन्दात्मक है) ॥ तैत्तिरीयोपनिषद् ॥
- (ख) “रस ह्येवाय लब्ध्वानन्दीभवति” (यह सारभूत आनन्द को ही प्राप्त करके आनन्दित होता है) ॥ तैत्तिरीयोपनिषद् ॥
- (ग) “युतडै सत्त्वस्य रूप तस्सत्त्वमेवेरित रस । स सप्राप्नवत् ।” (रामकृष्ण की टीका में इसका अर्थ इस प्रकार दिया गया है — ‘तत्परेणात्मना पूर्वदीरित सत्त्वमेव, न तमोरजसी । तयो बच्यमाणार्थाभिव्यञ्जकत्वासामध्यात् । रस सार विदा-नन्दप्रकाश । स सप्राप्नवत् सन्ध्यक् प्राकृत्ये न

श्रस्त्रवत् । सत्त्वमेव चिदात्मनो विशेषाकाराभिद्वक्षियोग्या-
कारतया प्रसूतम् । सदात्माकारमेव विप्रसृतमित्यर्थ ।’,
॥ मैच्युपनिषद् ॥

उपनिषदो में ‘रस’ शब्द को उस “पूर्ण आनन्द” के आस्वाद में
प्रयुक्त देखकर, जिनका योगी आत्मनाकाल्कार के समय अनुभव करते
हैं, साहित्यिक तमालोचकों के लिए वह सर्वथा स्वाभाविक था कि वे
इस शब्द का उस कलात्मक आनन्द (A sthetic Pleasusre)
के अर्थ में प्रयोग करें, जिनका शिष्ट तथा सहृदय दर्शक उस समय अनु-
भव करते हैं जब वे निपुण अभिनेताओं के अभिनय में प्रवर्द्धित, पात्र,
परिस्थिति, तथा घटनाओं में आत्मविस्मृत होकर तन्मय हो जाते हैं ।

काव्यशास्त्र के ऐतिहासिक पर्यालोकन से ज्ञात होता है कि उसका
प्रारम्भ ईसापूर्व द्वितीय शताब्दी में भरतमुनि के ‘नाटकशास्त्र’ की रचना

के साथ होता है । यही सर्वप्रथम ‘रस’ शब्द
रस-मिद्दान्त का क्रमिक का पारिभाषिक प्रयोग भी मिलता है ।

ईतिहास उन्होंने वाचिक अभिनय के प्रनाली में—“विभा-
वानुभावव्यभिचारीसंयोगाङ्गानपत्ति”—इस

सूत्र का कथन किया है । विभाव, प्रनुभाव और व्यभिचारियों के नाटक
में ही प्रत्यक्ष होने के कारण कृतिपय परखर्ती आचार्यों ने इनका क्षेत्र नाटक
तक सीमित मान लिया । इन कारण अलङ्कारवादियों द्वारा परिचालित
सत्कृत काव्यशास्त्र के विकास की धारा इसके सिदाय और तत्त्वों में
काव्यात्मा खोजती हुई वह चली । विभिन्न आचार्यों ने अपने-प्रपने मत
के अनुसार अलङ्कार, रीति, गुण और वधोक्ति को काव्यात्मा छहराते
हुए विवेचन किया । परन्तु रस की न्ययसिद्ध विशिष्ट सत्ता के कारण
ज्यो-ज्योंये विवेचन आगे बढ़ते गये त्यो-त्यो रस का महत्व स्पष्ट होता
गया । इसी श्रवमर पर आनन्दवर्धनाचार्य ने ध्वनि-सुम्प्रदाय की आपना
करते हुए अलङ्कारवादियों की वाह्यसाधनामूलक भ्रान्तियों का अन्त कर

दिया। उन्होंने ध्वनि के अन्तर्गत रस-ध्वनि, वस्तु-ध्वनि और अलङ्कार-ध्वनि ये तीन विभाग किये, फिर भी इनमें प्रधानत्व रस को ही दिया और उसकी अव्याप्ति का भी परिहार कर दिया, जिससे रफुट पद्मो में भी काव्यत्व प्रतिष्ठित हो सका।

इसके पश्चात् अभिनवगुप्त ने रस-सिद्धान्त का मनोवैज्ञानिक व्याख्यान करते हुए नद्विषयक अनेक भ्रान्तियों को स्पष्टतया मुलभाया, जिससे रस-सिद्धान्त पूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ।

अन्ततोगत्वा ईसा की दसवीं शती में आचार्य मम्मट आदि विद्वानों ने ध्वनि आदि सभी काव्य-तत्त्वों का उचित ममाहार करते हुए काव्य-

शास्त्र को व्यवस्थित किया एवं रस को उसके

काव्यशास्त्र में

स्थान पर समाविष्ट किया। उनके काव्य के

रस का स्थान

लक्षण की यह विशेषता है कि अलङ्कार और गुण आदि का सम्यक् स्थान-निर्देश कर समन्वय

किया गया है। देखिये—‘‘तददोषौ शब्दायौ सगुणावनलकृति पुन क्षापि ॥’’ अर्थात् काव्य के शब्द और ग्रथों में तो दोष तो होवे ही नहीं, गुण अवश्य हो, चाहे अलङ्कार कही-कही न भी हो। काव्य के उन्होंने (१) उत्तम (ध्वनि-काव्य) (२) मध्यम और (३) अधम ये तीन भेद किये। इनके लक्षण निम्न प्रकार हैं—


(१) उत्तम काव्य—“इदमसुत्तममतिशायिनि व्यङ्गे वाच्याद् ध्वनिबुधैः कथितः ।” अर्थात् वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यङ्ग्यार्थ के उत्कर्ष-वाला होने पर काव्य विद्वानों के द्वारा उत्तम कहा गया है।

(२) मध्यम काव्य—“अत्तादृशि गुणीभूतव्यग्र्य व्यङ्गे तु मध्यमम् ।” अर्थात् व्यङ्ग्यार्थ के सान होने पर (वाच्यार्थ से व्यङ्ग्यार्थ के अधिक उत्कर्षवाला न होने पर) किन्तु व्यङ्ग्यार्थ के गुणीभूत (अप्रधान रूप से) होकर प्रतीयमान होने पर, काव्य मध्यम कहा गया है।

(३) अधम काव्य—“शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यंग्य स्ववर स्मृतम् ।”

अर्थात् व्यङ्गचार्य से रहित शब्दचित्र और वाच्यचित्र वाला काव्य अधम कहा गया है।

तत्पश्चात् उत्तम, मध्यम और अधम काव्यों के भेदों का निरूपण कर उनके स्वरूप का स्पष्टीकरण किया। उत्तम काव्य के प्रथम दो भेद किये हैं—(१) अविवक्षितवाच्य (लक्षण-मूलक) और (२) विवक्षितान्यपरवाच्य (अभिधामूलक)। इसमें प्रथम के दो भेद (१) अर्थान्तरसक्रमितवाच्य और (२) अत्यन्तनिरस्कृत वाच्य होते हैं। और दूसरे विवक्षितान्यपरवाच्य के (१) मलक्ष्यक्रमध्वनि और (२) असलक्ष्यक्रमध्वनि ये भेद किये। वम यहाँ आकर उन्होंने असलक्ष्यक्रमध्वनि के प्रसग में रस का विस्तृत विवेचन किया है। कोष्ठक द्वारा भी उक्त भेद समझे जा सकते हैं—



उपलब्ध सामग्री के आधार पर दहा जा सकता है कि रस-सिद्धान्त के लिए काव्यशास्त्र भन्नमुनि के नाट्यशास्त्र पर ही निर्भर है। अतः इन्हीं यती में आकर ममट ने इसके निरूपण के रस का निरूपण निए भरत वा वही नूत्र-विभावानुभावन्यभिचारिमयोगाद्वस्त्रनिष्पत्ति।—रण। इसका नामान्व

अर्थ है—विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभावादि क्या है, इसका स्पष्टीकरण निम्न कारिकाओं में करते हुए रस की अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किया :—

कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च
स्व्यादे. स्थायिनो लोके तानि चेन्नाव्यकाव्ययो ।
विभावानुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिण्य
व्यक्त. स तैर्विभावादै स्थायीभावो रस. स्मृतः ॥

लोक में इत्यादि स्थायीभावो (ललनादि विषयक प्रीति-इत्यादि-रूप अविच्छिन्न प्रवाहवाले मानसिक व्यापारो) के जो आलम्बन (प्रीति के आश्रयभूत ललना आदि) और उद्दीपन (प्रीति के पोषक चन्द्रोदय आदि) नामक दो कारण, तथा कटाक्ष, भुजाक्षेप, आलिङ्गन आदि वायिक, वाचिक एव मानसिक कार्य, और शीघ्रता से उनकी प्रतीति करनेवाले निर्वेदादि सहकारी भाव हैं। वे यदि नाटक और काव्य में प्रयुक्त हो तो उन्हें क्रमशः विभाव (स्वाद लेने योग्य), अनुभाव (अनुभव में लाने योग्य) और व्यभिचारी भाव (विशेष रूप से हृदय में सञ्चार कराने योग्य) कहते हैं। इन्ही विभावादि के संयोग होने पर व्यञ्जनावृत्ति से अभिव्यक्त स्थायीभाव रस कहाता है। विश्वनाथ ने भी इसी प्रकार स्पष्ट किया है.—

विभावेनानुभावेन व्यक्त सञ्चारणा तथा ।

रसतामेति रत्यादि स्थायिभाव सचेतसाम् ॥ साहित्यदर्पण ॥

इमको जरा खोलकर रखने की आवश्यकता है। इस विविध मसार में मनुष्य नाना प्रकार के पदार्थों को देखता, सुनता और अनुभव करता है।

इन अनुभवों के संस्कार, जिन्हे वासना भी कहते भाव अनुभाव और है, मन में सञ्चित होते रहते हैं। अनुभूति व्यभिचारी क्या है ? क्षणिक होने से नष्ट हो जाती है, परन्तु संस्कार जन्म-जन्मान्तर के इकट्ठे होते रहते हैं। अत

ये स्थातीत हैं, इनकी गणना नहीं की जा सकती। फिर भी प्राचीन आचारों ने इनका भय, अनुराग (रति), करणा (शोक), शोघ, आश्चर्य, उत्साह, हास, धृणा (जुगुप्ता) और निर्वेद के रूप में वर्णकरण करने का यत्न किया है। ये स्कार अन्त करण के भाव भी कहे जा सकते हैं। प्रेक्षक के मन में स्थित ये ही भाव रसों के बीजभूत हैं।

इसके अतिरिक्त 'भाव' शब्द पारिभाषिक शर्य में भी प्रयुक्त होता है। इसके अनुसार देवता, गुरु, राजा आदि विषयक रति तथा प्रधान रूप से व्यञ्जित व्यभिचारी को भी भाव कहते हैं।

भाव इस प्रकार भाव सज्ञा निम्न तीन की है—[१] उद्वृद्धमात्र (जो रस्त्व को प्राप्त नहीं हुए रेंसे) स्कार [२] देवादिविषयक रति या प्रेम और [३] प्रधान्येन घनित होने वाले भावारो।

संधारिणः प्रधानानि देवादिविषया रति. ।

उद्वृद्धमात्रः स्थायी च भाव हृत्यभिधीयते ॥ साहित्यदर्पण ॥

रस-परिपाक-प्रक्रिया में उद्वृद्धमात्र स्कारों के दो भेद—[१] स्थायीभाव और [२] सचारीभाव किये गये हैं। जो सजातीय एव विजातीय भावों से विच्छिन्न न हो, अर्थात् जिनमें स्थिरता हो वे स्थायीभाव कहाते हैं। मनोवैज्ञानिकों की भाषा में इन्हे मूलभाव (Sentiments) कह सकते हैं। इसके भिवाय जो भाव सामयिक रूप से वीच-वीच में सचरण कर स्थायी भावों को पुष्ट करें वे सचारीभाव हैं। विश्वनाथ ने स्थायी और सचारी भावों का लक्षण निम्न प्रकार किया है—

अविश्वदा विश्वदा वा यं तिरोधातुमज्जमा ।

स्थायीभाव आस्वादांकुरकन्दोऽसौ भावः स्थायीति सम्मतः ॥

—साहित्यदर्पण ।

अर्थात् अविश्वद एव विश्वद भाव जिसका गोपन न कर सकें और आस्वाद के अकुर का जो मूलभूत हो वह स्थायीभाव है।

विशेषादाभिमुख्येन चरणादन्यभिचारिणः ।
व्यभिचारी स्थायिन्युन्मग्ननिर्मग्नास्त्रयस्त्रिंशच्च तद्भिदा ॥

भाव —साहित्यदर्पण ॥

स्थायीभाव में उन्मग्न (आविर्भूत) निर्मग्न (तिरोभूत) होकर सचरण करने वाले भाव विशेष प्रकार से अभिमुख होकर—अनुकूल होकर—चलने के कारण व्यभिचारी कहे जाते हैं। ये तैतीस हैं। अस्तु ।

उपर्युक्त भावो में आस्वादन की योग्यता का अकुर विभावो के आश्रय से प्रादुर्भूत होता है। विभाव भी दो प्रकार के हैं—(१)आलम्बन, जो भावो के आलम्बन बनते हैं, जैसे नायक-नायिका आदि और (२) उद्दीपन, जो भावो को उद्दीप्त अर्थात् उत्तेजित करते हैं, जैसे वसन्त, उद्यान, चन्द्रोदय आदि ।

भावजागृति के पश्चात् होने वाले अगविकारों को अनुभाव कहते हैं। अनुभावों से नायक-नायिका को एक-दूसरे के भावों को जानने में सहायता मिलती है। इनकी व्युत्पत्ति अनुभाव क्या हैं? इस प्रकार कर सकते हैं—अनु पश्चात् भावान् भावयन्ति वोघयन्ति इति अनुभावा । विश्वना थकृत अनुभावों का लक्षण है—

“य. खलु लोके सीतादिचन्द्रादिभिः स्वैः स्वैरालम्बनोदीपनकारणै-रामदिरन्तरुद्वुद्ध रत्यादिकं बहि प्रकाशयन्कार्यमित्युच्यते, स काव्यनाव्ययो पुनरनुभावः ।” साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद ।

अर्थात् सीता आदि आलम्बन तथा चन्द्रादि उद्दीपन कारणों से राम आदि के हृदय में उद्वुद्ध रति आदि का बाहर प्रकाशित करने वाला लोक में रति का जो कार्य कहाता है वही काव्य और नाटक में अनुभाव है। उद्वुद्ध रति आदि के प्रकाशक कार्य निम्न हो सकते हैं—

उक्ता. स्त्रीणामलङ्काराः अङ्गजाश्च स्वभावजा ।
तद्र पा सात्त्विका भावास्त्थाचेष्टा परा अपि ॥ सा० द० ॥

श्रथर्त् स्थियों के अगज तथा स्वभावज अलकार, सात्त्विक भाव और रति आदि से उत्पन्न अन्य चेष्टाये अनुभाव कहाती हैं। सारांश यह कि श्रालम्बन तथा आश्रय के कार्य अनुभाव है। परन्तु यहाँ पर इतना विवेक करना अभीष्ट है कि रस को उद्दीप्त करने वाली चेष्टाएँ उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत मानी जायेगी। जैसे कटाक्ष यदि रस को उद्दीप्त करने वाला हो तो वह उद्दीपन विभाव है, अन्यथा यदि वह उद्वृद्ध रति का प्रकाशकमात्र है तो उसे अनुभाव ही समझना चाहिए। जैसा कि रसतरणिरणी में कहा है—“ये रसान् अनुभावयन्ति, अनुभवगो-चरतां नयन्ति तेऽनुभावा” कटाक्षादय कारणत्वेन। कटाक्षादीना करण-त्वेनानुभावकत्वं, विषयत्वेनोपदीपनविभावत्वम्।”

अनुभाव अनन्त हो सकते हैं। तो भी उनका विभाजन किया गया है जो निम्न कोष्ठक में स्पष्ट हो सकेगा—

(अगले पृष्ठ पर देखें)

१	स्थिरोक्ति योवन	१ अंगज हात, भाव, हेता	२ अथवा कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदायं, धैर्य	३ स्वभावजः लीका, विलास, विच्छिति, विष्वोक, किलकिञ्चित्, मोट्टाधित, कुट्टिमत, विघ्रम, ललित, मद, विकृत, तपन, मोगध्य, विक्षेप, कुरहल, हसित, चकित, केलि	४ अन्तःकार स्वधर्मविशेषः सत्त्वः, तस्य भावः सात्त्विक	५ कार्यिक विभिन्न शारीरिक चेटाएँ	६ आहायं वेश-विन्यास आदि
२	अलकार	२ अथवांशोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्यं, प्रगल्भता, औदायं, धैर्यं	३ स्वभावजः लीका, विलास, विच्छिति, विष्वोक, किलकिञ्चित्, मोट्टाधित, कुट्टिमत, विघ्रम, ललित, मद, विकृत, तपन,	४ अन्तःकार स्वधर्मविशेषः सत्त्वः, तस्य भावः सात्त्विक	५ कार्यिक विभिन्न शारीरिक चेटाएँ	६ आहायं वेश-विन्यास आदि	७
३	[२८]						

इस प्रकार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारियों के सम्मिलित रूप से नट द्वारा उपन्यस्त किये जाने पर दर्शक के मन में एक तीव्र आनन्दानुभूति का सचार होता है। यहीं रस या रस-निष्पत्ति क्रम काव्यानन्द है। रस-अभिव्यक्ति का स्पष्टीकरण करने के लिए विद्वान् लोग निम्न प्रकार से

उदाहरण दिया करते हैं —

“वेश-भूपा शादि से सुसज्जित नट-नटी दुष्प्रत्त और शकुन्तला का रूप धारण करके दर्शक के सामने आते हैं। रमणीय तपोवनकुञ्जों में दुष्प्रत्त और शकुन्तला का सम्मिलन होता है (दुष्प्रत्त और शकुन्तला परस्पर आलम्बन विभाव और तपोवन की प्रफुल्लित लताकुञ्जों आदि उद्दीपन विभाव है)। दोनों एक-दूसरे के रूप-लावण्य पर मोहित हो उत्तुक नेत्रों से रूप-रस का पान करते हैं। प्रथम दृष्टिपात के पश्चात् शकुन्तला को जब सुध होती है तो वह आरक्तमुख होकर चल देती है, परन्तु हृदय की उत्कण्ठा को न दबा सकने के कारण तिरछी नज़र से दुष्प्रत्त को देखती जाती है। (प्रेमी-प्रेमिका का परस्पर मुग्धभाव से देखना, लग्जावश आरक्त-मुख होना आदि अनुभाव है)। आश्रम में जाकर विरहतप्ता शकुन्तला प्रिय की स्मृति से कभी चिन्तित, कभी निराश और कभी अनमनी हो उठती है और क्षणभर के लिए प्रियमिलन की कल्पना से आनन्दविभोर हो जाती है (आकस्मिक रूप से उठकर विलुप्त होने वाले स्मृति, चिन्ता, आशा, निराशा आदि भाव व्यभिचारी है)। ठीक समय पर काम करने वाली प्रियवदा आदि सखियों के भत्त्रयत्न से शकुन्तला और दुष्प्रत्त का पुनर्मिलन होता है।” — रगधाना के कलापूरण भव्य वातावरण में सगीत, कविता आदि नाट्य-धर्मियों के सहयोग से जब यह सम्पूर्ण दृश्य (विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का संयोग) प्रेक्षक के सामने आता है तो उसके हृदय

में वासना रूप से स्थित रत्यादि स्थायीभाव उद्भवुद्ध होकर उस चरम सीमा तक उद्धीप्त हो जाते हैं जिससे कि वह देश-काल की सुध-त्रुध भूल-कर तन्मय हो जाता है। चरमावस्था को प्राप्त उसका यह भाव उसे 'आनन्दमयी चेतना' में निमग्न कर देता है। यही 'आनन्दमयी चेतना' रस है। कोष्ठक रूप में इसे हम निम्न प्रकार से रख सकते हैं —
 (अगक्षे पृष्ठ पर देखें)

स्थायीभाव	विश्वान	प्रनुभाव	सचारीभाव
(मूलभाव या बीज)	आलम्बन विभाव (उत्पादक कारण)	उद्दीपन विभाव (उद्दीपककर्ता)	सहकारी कारण चाहर प्रकट करने वाले कार्य
नायक नायिका की पारस्परिक रति आदि प्रथमत् भ्रन्तराग आदि	नायक और नायिका दुष्यन्त वा याकृतता	रमणीय तपोबन, लता-कुञ्जे श्रादि	सुधारभाव से देराना, लज्जावश श्रावण आहारक प्रकृति

आचार्य भरत के सूत्र के उपरिलिखित स्पष्टीकरण से यह बात निर्विवाद रूप से सामने आई कि रस आनन्दस्वरूप अर्थात् एक आनन्दमयी भरत मुनि का सूत्र तथा रस-प्रक्रिया चेतना है। परन्तु सूत्र से यह स्पष्ट नहीं होता है ? कि रस की स्थिति किसमें रस की मूल-स्थिति का अन्वेषण करते हुए विभिन्न आचार्य सूत्रगत 'सयोग' और 'निष्पत्ति' इन दो शब्दों का व्याख्यान अपने अपने ढङ्ग से करते हैं। यदि 'सयोग' और 'निष्पत्ति' की वैज्ञानिक व्याख्या सामने आ जाय तो रस की मूल स्थिति किसमें है, और रस का स्वरूप क्या है, इन दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का विज्ञान-सम्मत उत्तर मिल जायेगा, क्योंकि रस-परिपाक की प्रक्रिया में उक्त दोनों शब्दों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या ही रस-सिद्धान्त को वैज्ञानिक रूप दे सकती है।

सामान्यतया देखने पर यह प्रतीत होता है कि रस की स्थिति किसमें है। इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ही स्पष्ट है, और वह यह कि रसस्थिति स्पष्टतया दर्शक में है। वही रस का भोक्ता है, क्योंकि दर्शक ही नाटक देखने जाता है। परन्तु सूक्ष्मता से विचार करने पर साहित्य की अत्यन्त मौलिक समस्या—“रस का मूल भोक्ता कौन है ?”—प्रश्न बनकर सामने आ जाती है। नाटक और काव्य से सम्बद्धित सिर्फ दर्शक ही नहीं है, अपितु कविकृत पात्र, पात्रों की भूमिका लेने वाले नट-नटी और कविकृत पात्रों के मूल पुरुष (ऐतिहासिक दुर्व्यन्त आदि) सभी हैं। आज का अध्येता मनोविज्ञान की 'टार्च' लेकर बड़ी सूक्ष्मता से रस-स्रोतों की खोज करता है और प्राचीन सस्कृत के आचार्यों ने भी ऐतिहासिक वडी माथापच्ची की है।

अत श्रव हमारा अध्ययन दो भागों में विभक्त हो जाता है। प्रथम

तो हमें यह देखना है कि रस-प्रतिपाक-प्रक्रिया में 'मयोग' और और 'निष्पत्ति' का क्या अर्थ है, जिससे प्रस्तुत प्रश्न यह स्पष्ट हो जाये कि रस की स्थिति किसमें है ? द्वितीय रस का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है ?

[१] रस-भोक्ता कौन है और रस की स्थिति किसमें है ?

भरतमूलक की व्याख्या करते हुए रम-सिद्धान्त का स्पष्टीकरण जिन प्रमुख विद्वानों ने किया है उनमें भट्टलोल्लट तर्वंप्रथम हैं। ये मीमांसक विद्वान् ये। इन की व्याख्या करते हुए इन्होंने मीमांसकम्मत भट्टलो-मूल रसस्थिति ऐतिहासिक नायक-नायिका में ललट का उत्पत्तिवाद मानकर प्रश्न को उलझा दिया। सामाजिक में रसानुभूति को गोण स्थान देना उचित नहीं प्रतीत होता। ही, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इन्होंने दूसरे के शनन्द को देखकर आनन्द अनुभव करने की मान्यता की स्थापना कर मान्य-नुलभ-सहानुभूति के तत्त्व को महत्त्व प्रदान किया है, तथा नटनटी ने भी रस की स्थिति को मानकर अभिनयकला की सफलता के लिए उनके तल्लीन हो जाने के मान्य सिद्धान्त की स्थापना की है। भट्टलोल्लट का भत्त निम्न प्रकार से है —

“(विभावे) ललना उद्यानादि आलम्बन व उद्दीपन जारणों में (जनित) उत्पादित, एव (अनुभावे) नुजाकेप प्रादि कार्यों ने (प्रतीतियोग छृत) जानने योग्य किया गया और (व्यभिचारिभि) निवेदादि सहकारियों से (उपचित) पुष्ट किया गया (रत्यादिकोभाव) जो रत्यादि स्थायीभाव है तो, (मूल्यया वृत्त्या) वान्तविक नम्बन्द्र में तो (रामादावनुकार्ये) रामादि अनुकार्यों में और (तदूपतानुमन्वानान् नर्तकेऽपि) अनुकार्य के सादृश्य का अनुभवान करने के कारण नट में भी (प्रतीयमान) प्रतीत होने वाला, (रमः) इन हैं।”

इसका विश्लेषण करने से रस-परिपाक-प्रक्रिया का स्वरूप निम्न प्रकार से मालूम पड़ता है .—

- १ रामादि नायक-नायिका रूप अनुकार्यों में विभाव (आलम्बन एवं उद्दीपन), अनुभाव व सहकारी कारणों से स्थायीभाव क्रमशः उत्पन्न, उद्दीप्त, प्रतीत और पुष्ट होता है। यही स्थायीभाव रस है। और अनुकार्यों में ही उत्पन्न होने के कारण प्रधान रूप से उन्हीं में स्थित होता है।
 - २ जब नट-नटी रगमच पर अनुकार्यों का अनुकरण करते हैं तो सामाजिक नटों में भी अनुकार्यों और उनके रस का आरोप कर लेता है। इस आरोप के कारण उसे रस प्रतीत होने लगता है।
 - ३ सामाजिक को रस की प्रतीति से ही रस (आनन्द) मिलने लगता है। अतः सामाजिक का रस प्रतीतिजन्य है।
- इस पर से भट्टलोलट की निम्न मान्यताओं का पता चलता है —
- (क) रस की स्थिति मूल ऐतिहासिक नायक-नायिका में होती है। नट द्वारा इसे रगमच पर दिखाया जाता है। अतः नट में भी रस-स्थिति गौण रूप से है जो प्रेक्षक द्वारा आरोपित है। इसके बाद प्रेक्षक में रस-स्थिति प्रतीतिजन्य होती है, अर्थात् रस की वास्तविक स्थिति तो है नायक-नायिका में, और प्रेक्षक में है सक्रियत रूप से। नट माध्यम है।
- (ख) 'ऐतिहासिक नायक-नायिका' और 'कवि-श्रकृति नायक-नायिका' में वह कोई अन्तर नहीं मानते। वस्तुतः सभी प्राचीन संस्कृत-विद्वानों की यही मान्यता रही है। उनकी वाह्यार्थनिरूपिणी दृष्टि ने कवि के व्यक्तित्व को कभी भी पूरी तरह नहीं आँका।

आधुनिक आलोचक कवि के व्यवितत्व को महत्त्व देते हुए कवि की कृति को कवि की अनुभूति का मूल रूप मानते हैं। काव्य में जिन नायक-नायिकाओं का चिन्हण किया जाता है वे ऐतिहासिक चरित्रों के प्रतिरूप

भमझे जा सकते हैं। 'शाकुन्तलम्' में जो दुष्प्रति और शकुन्तला कीड़ा कर रहे हैं वे कालिदास की मानस-सन्तति हैं और मूल राजा दुष्प्रति और तापस-वन-विहारिणी शकुन्तला से भिन्न हैं। भट्टलोल्लट की सबसे बड़ी भ्रान्ति यही है कि वह उन्हें एक ही समझने के कारण ऐतिहासिक मूल नायक-नायिका में उत्पन्न रस को काव्य-अकित नायक-नायिका में भी समझ लेता है। जब कवि-श्रद्धित पात्र ऐतिहासिकों से भिन्न हैं तो काव्य में रस की स्थिति सम्भव ही नहीं बन पहती।

इसके अतिरिक्त लोल्लट की मान्यता में एक भारी कमी और भी है। यदि रस की स्थिति प्रधान रूप से लोक में चलते-फिरते मूल नायक-नायिकाओं में ही है तो कविकल्पना-जन्य पात्रों वाले काव्यों-नाटकों में भी रस सम्भव नहीं हो सकता।

कुछ लोग भट्टलोल्लट के मत पर यह भी आक्षेप कर सकते हैं कि नायक-नायिका को रसानुभव करते देख प्रेक्षक को आनन्दभूति कैसे हो सकेगी? यदि शृंगार का प्रसंग हुआ तो क्या लज्जा का अनुभव नहीं होगा? परन्तु शाश्वतिक मनोवैज्ञानिक इस शका का समाधान यह कह-कर बताते हैं कि मानव-सुलभ सहानुभूति के द्वारा दूसरे के आनन्द को देखकर आनन्दानुभूति सम्भव हो जाती है।

एक प्रमुख आपत्ति यह भी उठाई जाती है कि रस 'कार्य' कैसे हो सकता है? अथवा विभावादि कारणों का कार्य 'रस' नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हम देखते हैं कि कारण के विनष्ट हो जाने पर भी कार्य रहता है; पर यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ तो रस तभी तक रहता है जब तक विभावादि कारण रहते हैं। अत. विभावादि और रस में कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं माना जा सकता।

लोल्लट के बाद उक्त सूत्र के व्याख्याता श्री शकुक का मत रखा जाता है। ये नैयायिक थे। इन्होंने लोल्लट के मत पर यह आक्षेप कर

कि नायक के आनन्द को देखकर प्रेक्षक को आनन्दानुभूति नहीं हो सकती, वास्तव में मनोविज्ञान-सिद्ध सहानुभूति नैयायिकसम्मत शकुर के तत्त्व का नियेध कर दिया। प्रेक्षक रस को का अनुभितिवाद अनुभान द्वारा प्राप्त करता है, इनकी यह बात भी तोगों को बहुत कम जौची। अत इनके मत ने रस-सिद्धान्त की गृथी को सुलझाने में विशेष योग नहीं दिया। इन्होंने अपने 'मत को भारी शब्दाडम्बर के साथ रखा —

"दर्शक को नट में जो "यह राम है" (रामोऽयमिति) ऐसी प्रतीति होती है वह "राम ही यह है" "यही राम है" (राम एवाऽयम्, अयमेव राम) ऐसे सम्यक् ज्ञान से, (उत्तरकालिके बाधे) पीछे से वाधित होने वाले (न रामोऽयमिति) "यह राम नहीं है" इस मिथ्या ज्ञान से, (राम स्याद्वा न वाऽयमिति) "यह राम है अथवा नहीं है" इस सशय-ज्ञान से और (रामसदृशोऽयमिति) "यह राम के समान है" इस सदृशज्ञान से (विलक्षण) विलक्षण है।

दर्शक द्वारा (नटे) नट में (चित्रतुरगादिन्यायेन) "चित्रलिखित घोडे में घोडे का ज्ञान होता है" इस न्याय से (रामोऽयमिति) "यह राम है" इस (प्रतिपत्त्या) ज्ञान के (ग्राह्ये) ग्रहण किये जा चुकने पर, नट "सेय ममागेषु" तथा "दैवादहमद्य" इत्यादि श्लोकों का पाठ करता है।

नट (इत्यादि काव्यानुसन्धानबलात्) उक्त काव्यसम्बन्धी अर्थों की प्रतीति के बल से तथा (शिक्षाभ्यासनिवर्तित) अभिनय के शिक्षण एवं अभ्यास के जोर से सम्पादित (-स्वकार्यप्रकटनेन च—, अपने कार्य को अच्छी तरह से प्रकाशित करके दिखाता है।

उस (नटेनैव) नट के द्वारा (प्रकाशिते) प्रस्तुत किये गये (कारण-कार्यसहकारिभि) कारण, कार्य और सहकारी भाव, जो (विभावादि-शब्दव्यपदेश्यै) नाट्यशास्त्र में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी इन शब्दों से निर्दिष्ट है, (कृत्रिमैरपि) बनावटी होने पर भी (तथानभिमन्य-मानै—) वैसे अर्थात् मिथ्या भासित नहीं होते।

इन्हों विभाव, अनुभाव और व्यभिचारियों के (सयोगात्) सयोग में रम (गम्यगमकभावरूपात्) ज्ञाप्य-ज्ञापकभाव रूप से (अनुभीयमानोऽपि) अनुमित होता है और (वस्तुसौन्दर्यवलात्) सम्पूर्ण वातावरण रूप वस्तु के सौन्दर्य के बल से (रसनीयत्वेन —) समास्वादनयोग्य होता है ।

रम (धन्यानुभीयमान) सामाजिकों में अनुभीयमान होता हुआ भी (विलक्षण) अनुभान से भिज्ञ होकर (स्थायित्वेन सभाव्यमान) स्थायी रूप से चित्त में अभिनिविष्ट विधा हुआ — होता है ।

ये जो (रत्यादिभाव) रत्यादि स्थायीभाव हैं वे (तत्रासन्तपि) नट में न होने पर भी (सामाजिकाना) दर्शकों की (वासनया) वासना द्वारा (चर्यमाण) चर्वित होते हैं, आन्वादित होते हैं — — यही भाव रस है ।”

इनकी रन-परिपाक-प्रक्रिया निम्न प्रकार समझी जा सकती है —

- (i) रामादि नायक-नायिका में स्थायीभाव होता है ।
- (ii) कारण, कार्य और नहयोगी कारणों के सयोग से वह स्थायीभाव (या मूलभाव) उन्हीं के द्वारा अनुभव किया जाता है ।
- (iii) इस सम्पूर्ण अवस्था का नट-नटी अभिनय करते हैं. अर्थात् उनके कार्यों और भावों दोनों का अनुकरण करते हैं ।
- (iv) चित्र-नुरुज-न्याय ने दर्शक यह नम्रक लेता है कि मूलभाव के अनुभव किये जाने की अवस्था मेरे सामने मूल रूप से ही घटित हा रही है (जैसे कोहरे से आवृत्त प्रदेश को कोई व्यक्ति धूमावृत सम्रक्ष लेता है) ।
- (v) इस अवस्था में प्रेक्षक नायक-नायिका के मूलभाव (स्थायीभाव-रत्यादि या रन) का भी अनुभान कर लेता है (जैसे दर्शक द्वारा कुहराछन्न प्रदेश को धूमावृत सम्रक्ष निये जाने पर वह वहाँ उसके नहचारी शग्नि का भी अनुभान कर लेता है) । यह अनुमित स्थायीभाव ही रन है जो अपने सौन्दर्य के बल से स्वाद का आनन्द

देता है और चमकृत करता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यह अनुमित स्थायीभाव वास्तविक मूलभाव (नायकादि के रत्तिभाव) से भिन्न न होकर उसका अनुकृत रूप है। इस पर से इनकी निम्न मान्यताओं की सिद्धि सम्भव है—

- (क) प्राचीनों की तरह इन्होंने भी ऐतिहासिक नायक-नायिकाओं में और कवि-निबद्ध नायक-नायिकाओं में कोई अन्तर नहीं माना।
- (ख) रस की स्थिति भी, लोल्लट की तरह, ये ऐतिहासिक नायक-नायिकाओं में ही मानते हैं। नट-नटी द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण वस्तु को प्रेक्षक असली ही मान लेता है। फिर उसमें मूलभाव का अनुमान कर लेता है। अर्थात् रस का मूल भोक्ता ऐतिहासिक पुरुष है, प्रक्षक का रस अनुमित है और नट-नटी माध्यम रूप से है। फलत निष्पत्ति का अर्थ हुआ अनुमिति।
- (ग) और भरत स्थायीभाव और रस में कोई अन्तर नहीं मानते—ऐसा इनका विचार है।

शकुक की प्रथम दो मान्यताएँ वही हैं जो लोल्लट की थी। अत तद्विषयक पूर्वकथित दोष यहाँ भी ज्यो के त्यो हैं। अनुमिति का सिद्धान्त भी विज्ञानसम्मत नहीं। यदि प्रेक्षक अनुमान द्वारा रस का ग्रहण कर लेता है तो उसे रस-विषयक ज्ञान ही हो सकता है, रसानुभूति नहीं हो सकेगी, क्योंकि अनुमान स्पष्टतया वुद्धि की क्रिया है।

इसके अतिरिक्त शकुक की यह मान्यता कि अनुकार्यों की अनुकृत दशा से स्थायीभाव का अनुमान प्रेक्षक कर लेता है, भी निराधार है, क्योंकि अनुमित पदार्थ से कार्यसिद्धि नहीं होती। कोहरे को धूम समझ-कर उसके सहचारी अग्नि का यदि अनुमान कर भी लें तो क्या ठण्ड दूर हो सकेगी? भ्रत अनुमित स्थायीभाव दर्शकों को आनन्दानुभूति नहीं करा सकता।

भरतसूत्र के तृतीय व्याख्याता भट्टनायक हैं। रस-सिद्धान्त के प्रति-पादकों में इनका स्थान बहुत ऊँचा है। ये मौलिक प्रतिभा के विद्वान् थे। रस की स्थिति को इन्होंने विषयगत न मानकर विपरीत माना। इनका यह क्रदम लोल्लट और शकुक की अपेक्षा अत्यन्त कान्ति-कारी था, क्योंकि वे रसस्थिति को मूल नायक-नायिकाओं में ही मानते चले आ रहे थे और वहाँ से प्रेक्षक के हृदय में सिद्ध करने के लिए विविध कल्पनाजालों में उलझे पडे थे। भट्टनायक ने सर्वप्रथम प्रेक्षक में रसस्थिति मानकर उस पचडे का सफाया कर दिया। इसके अतिरिक्त 'साधारणीकरण' के असाधारण सिद्धान्त की उद्धावना कर रस-सिद्धान्त की वैज्ञानिक आधारशिला स्थापित कर दी।

लोल्लट (मीमासक) और शकुक (नैयायिक) की इस मान्यता पर कि नायक-नायिका के स्थायीभाव के साक्षात्कार से प्रेक्षक के हृदय में रस उत्पन्न या अनुमित होता है, भट्टनायक ने आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा कि नायक के जिस प्रकार के भाव का साक्षात्कार प्रेक्षक करेगा, वैमा ही भाव उसके हृदय में भी उठ सकता है। दुखद प्रसंग के प्राप्त होने पर नायक की तरह प्रेक्षक को भी दुख ही होना चाहिए। अर्थात् शोक में शोक की ही उत्पत्ति होगी। पर ऐसा होता नहीं। प्रेक्षक दुखद प्रसंग में भी आनन्दानुभूति करता है। अत उक्त मत स्वीकार्य नहीं हो सकता।

इनी प्रकार ध्वनिकार के मत पर भी उन्होंने शका उठाई। ध्वनिवादियों ने कहा कि प्रेक्षक के हृदय में सस्कार-रूप से स्थित स्थायी-भाव विभावादि के सयोग से अभिव्यक्त हो जाते हैं। भट्टनायक ने कहा कि इस अवस्था में आत्मवन् (सीतादि) के प्रति जो नायक (रामादि) के भाव हैं वही प्रेक्षक में भी कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? प्रेक्षक तो सीता को जगन्माता मानता है। राम-सीता का अभिनय

देखकर सीता के प्रति जगन्माता की ही भावना हो सकती है, स्त्री की नहीं। और फिर रति-शोकादि साधारण भावों की अभिव्यक्ति मान भी ली जाय, पर हनुमान एवं भीमादि के समुद्रलघुन जैसे अद्भुत पराक्रम-पूर्ण कार्यों को देखकर अल्पायतन प्रेक्षक में उन-जैसे बीर भावों की अभिव्यक्ति कैसे सम्भव हो सकती है?

अतएव इन्होंने उक्त मतों का निरसन करते हुए अपने मत को इस प्रकार रखा —

“(न ताटस्थ्येन) न तो तटस्थ—[उदासीन नट व रामादि नायक में]—और (नात्मगतत्वेन) न आत्मगत—[प्रेक्षकगत रूप में]—रूप से (रस प्रतीयते) रस की प्रतीत होती है, (नोत्पद्यते) न उनकी उत्पत्ति होती है, (नाभिव्यज्यते) और न उसकी अभिव्यक्ति [व्यञ्जकता द्वारा सिद्धि] होती है। (अपितु) किन्तु (काव्ये नाटये च) काव्यों और नाटकों में (अभिधातो द्वितीयेन) अभिधालक्षणा से भिन्न किसी अन्य (विभावादिसाधारणीकरणात्मना) विभावादि का साधारणीकरण करने वाले (भावकत्वव्यापारेण) भावकत्व नामक व्यापार के द्वारा (भाव्यमान स्थायी) असाधारण से साधारण किया गया जो स्थायी-भाव है वह, (सत्त्वोद्रेकप्रकाशानन्दमय) सत्त्वगुण के प्रवाह के वेग से आनन्दस्वरूप तथा (सविद्विश्रान्तिसत्त्वेन) अन्य ज्ञानों को तिरोहित कर देने वाले—[श्रथात् विक्षेपरहित मन स्थिति वाले]—(भोगेन) भोजकत्व नामक तृतीय व्यापार द्वारा (भुज्यते) उपभुक्त होता है—आस्वादित होता है। यह आस्वादन ही रसनिष्पत्ति है।”

इनकी रस-परिपाक-प्रक्रिया का स्वरूप निम्न प्रकार से हो सकता है —

- (i) रामादि (नायकनायिका) में स्थायीभाव रत्यादि होता है।
- (ii) कारण-कार्य और सहकारियों के सयोग से वह स्थायीभाव रामादि में उद्भुद्ध होकर उन्हें परितृप्ति प्रदान करता है।

- (iii) यह सम्पूर्ण अवस्था नट के अभिनय द्वारा या—श्रव्य काव्य हुआ तो—काव्यानुशीलन द्वारा दर्शक के सामने आती है। तब उसे काव्यगत तीन शक्तियो—अभिधा, भावकृत्व और भोजकृत्व—में में प्रथम अभिधा के बल से काव्यार्थ की अभिज्ञता होती है।
- (iv) इनके अनन्तर दर्शन उम अर्थज्ञान का काव्यगत द्वितीय शक्ति—भावकृत्व-के द्वाग भावन करता है। भावन का तात्पर्य है निविशेष रूप ने चिन्तन, जिससे राम-नीता और उनकी पारम्परिक रति निविशेष रूप में रह जाती है। अर्थात् उनकी रति पुरुषमात्र की, स्त्रीमात्र के प्रति महज स्वाभाविक रति के रूप में हो जाती है। इस प्रक्रिया को भाघारणीकरण कहते हैं।
- (v) नायक-नायिका की रनि एव विभावादि के भाघारणीकरण हो जाने पर दर्शक में रजोरण व तमोगुण का स्वत लाप होकर नन्दगुण का आविर्भाव होता है। इन अवस्था में काव्य की तीनरी शक्ति भोजकृत्व कार्य करती है। उसके द्वारा साधारणीकृत भाव व विभावादि के प्रेक्षक अपने स्थायीभावो का उपभोग नरता है। रत्यादि का उपभोग या आस्वादन ही रसनिष्पत्ति है।

निष्पर्य न्प ने इनकी निम्न मान्यताएँ नामने रखी जा सकती हैं—

- [१] रस की स्थिति ये सीधी सहृदय में मानते हैं।
- [२] काव्य में तीन शक्तियाँ स्वाभाविक है—(१) अभिधा (जिसके द्वारा अर्थग्रहण होता है), (२) भावकृत्व (जिसके द्वारा काव्यार्थ का निविशेष रूप से चिन्तन होता है), (३) भोजकृत्व (जिसके द्वारा भानन्द की अनुभूति होती है)।

[ग] उन्होंने भावकत्व की शक्ति का प्रतिपादन करते हुए “साधारणी-करण” का उद्घावन किया।

[घ] काव्यानन्द की उद्रेकावस्था में तमोगुण और रजोगुण सर्वथा विलुप्त हो जाते हैं। केवल सत्त्व गुण का प्राव्यान्य हो जाता है। इसी अवस्था में रस का उपभोग होता है। अत निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति।

साधारणीकरण

भट्टनायक साधारणीकरण के सिद्धान्त के आविष्कारक हैं। उन्होंने अपने मत के प्रतिपादन के प्रसग में काव्यगत द्वितीय शक्ति ‘भावकत्व’ की इस प्रकार व्याख्या की है। ‘अभिधा’ भट्टनायक की साधा-द्वारा काव्य के शब्दार्थ (भाव) के ग्रहण होने रणीकरण-प्रक्रिया पर भावकत्व द्वारा इस अर्थ का (भाव का) भावन होता है, अर्थात् भाव की वैयक्तिकता विनष्ट हो जाती है। भाव विशिष्ट न रहकर निविशेष (साधारण) रह जाता है—यही भावन की प्रक्रिया साधारणीकरण है। उदाहरणार्थ काव्यद्वारा उपन्यस्त राम का सीता के प्रति रतिभाव भावन की प्रक्रिया द्वारा पुरुष का स्त्री के प्रति सहज साधारण रतिभाव ही रह जाता है, यदि ऐसा न हो तो सीतादि में पूज्यबुद्धि के कारण सामाजिक को रसानुभूति न होवे।

साधारणीकरण के इस सिद्धान्त को अभिनवगुप्त ने भी इसी रूप में स्वीकार कर लिया। परन्तु ‘भावकत्व’ शक्ति को अनावश्यक ठहराते हुए व्यञ्जनावृत्ति से ही इसे सम्भव माना।

भट्टनायक की व्याख्या का तात्पर्य यह है। काव्य द्वारा उपन्यस्त आश्रय की रति (स्थायीभावादि) सभी का साधारणीकरण होता है। साधारणीकृत रूप वाले विभावादि के संयोग से ही सामाजिक की रति भुक्त (भट्टनायक) या अभिव्यक्त (अभिनवगुप्त) होती है। केवल

आलम्बन का साधारणीकरण, जैसा कि आचार्य शुक्ल ने माना है, नहीं होता। भट्टनायक का मत 'काव्यप्रकाश' की टीका 'काव्यप्रदीप' में इस प्रकार दिया गया है —

“भावकर्त्त्वं साधारणीकरम् । वेन हि व्यापारेण विभावादयः स्थायी च साधारणीक्रियन्ते । साधारणीकरणं चैतदेव यत्सीतादि विशेषणा कामि नीत्वादिसामान्येनोपस्थित । स्थाय्यनुभावादीनां च सम्बन्ध-विशेषानश्चिद्बन्धत्वेन ।”

आचार्य शुक्ल जी ने “साधारणीकरण और व्यक्तिवैचित्रवाद” नामक निबन्ध में साधारणीकरण के विषय में लिखा है—“जब तक

आचार्य शुक्ल का	किसी भाव का कोई विषय इस स्पष्ट में नहीं
मन्तव्य	लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलम्बन हो सके, तब तक उसमें रसोद्वोधन की पूर्ण शक्ति नहीं प्राप्ती ।

(विषय का) इसी स्पष्ट में नाया जाना हमारे यहाँ ‘साधारणोकरण’ कहलाता है।” शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित साधारणीकरण के इस स्पष्ट की मान्यता का अनुवर्ती परिणाम यह होता है कि तथाविध आलम्बन के सामने आने पर रसोद्वोधन से पूर्वं सामाजिक आश्रय ने तादात्म्य तर ले। इसी दृष्टि से उन्होंने आने लिया है—“साधारणीकरण के प्रतिपादन में पुराने भाचार्यों (विश्वनाय आदि) ने श्रोता (या पाठक) और आश्रय (भावव्यञ्जना करने वाले पात्र) के तादात्म्य की अवस्था का ही विचार किया है।”

साधारणीकरण के सम्बन्ध में आचार्य शुक्ल की मान्यता की व्याख्या कुछ इस प्रकार यही जा सकती है। पूजनीय व्यक्तियों यथा सीतादि के भी आलम्बन स्पष्ट में चिह्नित किये जाने पर रसानुभूति होती है, इनके प्रतिपादन के निए भट्टनायक ने साधारणीकरण के मिदान्त की प्रक्रिया का अनुसन्धान किया। उन्होंने साधारणीकरण का कारण

काव्यगत भावकत्व वृत्ति को माना, जो काव्य में स्वभावत होती है। काव्य (कवेरिद काव्यम्) कवि की कृति होता है। अत यह भी स्पष्ट है कि काव्य में यह भावकत्व (साधारणीकरण करने की योग्यता) कवि द्वारा उत्पन्न की जाती है। जहाँ यह योग्यता नहीं वहाँ काव्यत्व भी न होगा। अत साधारणीकरण कविकर्मसापेक्ष है। ध्यान रहे कि भावकत्व को स्वतन्त्र शक्ति न मानने की अभिनवगुप्त की अवस्था में भी उक्त कथन में अन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि काव्यगत ही व्यञ्जना शक्ति से भावन वहाँ भी माना गया है। इस सापेक्ष होने की वात को ही आचार्य शुक्ल ने इस रूप में रखा कि किसी भाव के विषय (आलम्बन) को इस रूप में (सबके उसी भाव का आलम्बन हो सकने योग्य रूप में) लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। कवि ही 'आलम्बन' को इस रूप में लाता है। अत साधारणीकरण आलम्बन का होता है। इसमें शुक्ल जी इतना और जोड़ देते हैं कि “—
साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है” (चिन्तामणि पृ० ३१३) —जिससे एक ही काव्य एक ही समय में अनेक जनों को रसदान करने में समर्थ होता है।

विश्वनाथ ने ‘साहित्यदर्पण’ में विभागदिकों के साधारणीकरण के साथ-साथ आश्रय के साथ तादात्म्य माना है—

व्यापारोऽस्ति विभावादेनाम्ना साधारणीकृति ।

स्तप्तप्रभावेण यस्यासन्पाथोधिष्ठवनादय ॥

प्रमाता सद्भेदेन स्वास्मानं प्रतिपद्धते ।

आचार्य श्यामसुन्दरदास जी का मत और ही है। उन्होंने शुक्ल जी के मत को अमान्य ठहराते हुए लिखा है—“साधारणीकरण से यहाँ यह अर्थ लिया है कि विभाव और अनुभाव को साधारण रूप करके लाया जाय। पर साधारणीकरण तो कवि या भावक की चित्तवृत्ति ने भवन्ध

रखता है। चित्त के सावारणीकृत होने पर उसे सभी कुछ सावारण प्रतीत होने लगता है। हमारा हृदय सावारणीकरण करता है।"

आचार्य ज्यामसुन्दरदाम जी पाठक की चित्तवृत्तियों के एकतान एवलय हो जाने को ही सावारणीकरण मानते हैं। उनके मन्तव्यानुसार रसानुभूति ग्रह्यानन्दसहोदर है। इसमें उसी प्रकार आचार्य श्यामसुन्दर का मन्तव्य प्रकार आनन्दानुभूति होती है जिस प्रकार योगी को ग्रह्यानन्द की। योगी का आनन्द स्थायी और वह धरणिक है। मधुमती भूमिका

(चित्त की वह विदेषावस्था है जिसमें वितर्क की सत्ता नहीं रह जाती। यद्यपि यथं और ज्ञान इन तीन की प्रतीति वितर्क है। चित्त की यह समापत्ति सात्त्विक वृत्ति की प्रधानता का परिणाम है।) में पहुँचकर 'पर-प्रत्यक्ष' होता है। योगी की पहुँच साधना के बल पर जिस मधुमती भूमिका तक होती है उस भूमिका तक प्रतिभा-ज्ञान-सम्पन्न मत्कवि की पहुँच न्यज्ञावत् हुआ करती है। जब तक हमें सामारिक पदार्थों का 'अपर-प्रत्यक्ष' होता रहता है तब तक उनके दो रूप—सुन्नात्मक या दुःन्नात्मक—हमारे सामने रहते हैं। परन्तु जब हमें वस्तु का पर-प्रत्यक्ष (तत्त्व-ज्ञान) होता है तब वस्तु रूप सामने सुन्नात्मक रूप ही आनन्दन बनपर उपस्थित होता है। उस समय दुःन्नात्मक श्रोथ, जोक आदि भाव भी अपनी लौकिक दुःन्नात्मकता छोड़कर अनौकिक मुन्नात्मकता धारण कर लेते हैं। यहीं सावारणीकरण है।

श्रावके विवेचन का सार इन प्रकार है—

(i) स्वानुभूति मधुमती भूमिका में होती है।

(ii) मधुमती भूमिका में ही पर-प्रत्यक्ष होता है। उस समय ही अनुभूति अस्त्र छोड़ होती है।

(iii) चित्तवृत्ति की इसी अस्त्र और एकतानता का नाम सावारणीकरण है।

आचार्य श्यामसुन्दरदास ने पाठक के चित्त का साधारणीकरण माना, और आलम्बन के साधारणीकृत होने का निपेघ किया। डा०

नगेन्द्र की युक्तियों के अनुसार पाठक ने

डा० नगेन्द्र का मत 'साधारणीकृत रूप का भौक्ता' है, ग्रन्त उसका साधारणीकरण नहीं माना जा सकता।

इसके अतिरिक्त रसानुभूति की दशा में सामाजिक, आश्रय, आलम्बन और कवि (व्यवहित—इन्डाइरेक्ट रूप से) इन चार के व्यक्तित्व और उपस्थित रहते हैं। हमें इन्हीं में से देखना चाहिए कि साधारणीकरण किसका होता है? आश्रय का तो मान्य इसलिए नहीं कि अप्रिय नायक (रावण या जघन्य वृत्ति वाले पूँजीपति) से तादात्म्य करना रुचिकर नहीं होगा। अब रहा आलम्बन! काव्य में जो आलम्बन हमारे सामने आता है वह कवि की मानसी सृष्टि होता है—व्यक्तिविशेष नहीं, अपितु उसका प्रतिरूपमात्र समझना चाहिये। उनके शब्दों में—‘जिसे हम आलम्बन कहते हैं वह वास्तव में कवि की अपनी अनुभूति का सवेद्य रूप है। उसके साधारणीकरण का अर्थ है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण।’ ऐसे आलम्बन के सम्बन्ध में ‘पूज्य-बुद्धि’ होने की वादा भी नहीं। “हम काव्य की सीता से प्रेम करते हैं और काव्य की यह आलम्बन रूप सीता कोई व्यक्ति नहीं, जिससे हमको किसी प्रकार का सकोच करने की आवश्यकता हो, वह कवि की मानसी सृष्टि है।” “अनेव निष्कर्ष यह निकला कि साधारणीकरण आचार्य कवि की अपनी अनुभूति का होता है।” (देखिये रीतिकाव्य की भूमिका पृ० ५०)

साधारणीकरण सम्बन्धी उपर्युक्त सभी मतों का सम्यक् विश्लेषण करते हुए सुप्रसिद्ध आलोचक विद्वान् गुलावराय जी इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि रसानुभूति की दशा में पाठक गङ्गावराय का मत अपने व्यक्तित्व के क्षुद्र बन्धनों को तोड़ने के कारण, कवि अपने निजी व्यक्तित्व से कँचा उठकर लोक-प्रतिनिधि बनने के कारण, भाव ‘अय निज परो

'वेति' को नघुचेतसों को गणना में मुक्ति पा जाने के कारण और आलम्बन (अपने व्यक्तित्व में प्रतिष्ठित रहकर ही) व्यापक सर्वजन-मूलभ मन्त्रों के रूप में आ जाने के कारण साधारणीकृत हो जाता है।

साधारणीकरण आश्रय, आलम्बन, स्थायीभाव, कवि और सामाजिक में में किसका होता है, इस प्रश्न का उत्तर उपर्युक्त विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण ने दिया। जहाँ तक भट्टनायक के दृष्टिकोण का प्रश्न है, वे तो आलम्बन को ही प्रश्न देते मानूम होते हैं, योंकि उनके नामने प्रश्न ही यह दा कि भीतादि पूज्य व्यक्तियों

के आलम्बन रूप में उपन्यस्त होने पर रमानुभूति किसे होती है? इन प्रश्न का अवधारणा भट्टनायक की दृष्टि की ओर अप्पट उपारा करता है। इसी का अवधारणा हुए आचार्य शुक्ल ने साधारणीकरण सम्बन्ध कीसे होता है इस अवधारणा का व्याख्यान अपनी अन्तर्दर्शिनी वुद्धि ने किया। आचार्य व्यामुद्दरदान जो के मत को देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी नमन्या वडी नीधी है, और अपनी दृष्टि पर ही उपर्युक्त चरमा चढ़ा नेने ने नमूरण दृश्य अनुकूल दिग्गार्द देने रुग्नता है। परन्तु इसमें जो भी नमभदारी है वह नामाजिक की ही प्रतीत होती है, कवि-कौपल दा काव्य के चमत्कार को कुछ नी श्रेय नहीं मिलता। ऐसी अवन्या में यथा काव्य और नाट्य ने बाहर भी साधारणीकरण सम्बन्ध है? — यह प्रश्न उठता है। हमारी नमन्या में इसे कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा कि नामाजिक अपनों अनी तथाकथिन विशिष्ट नाधना के बल पर मधुमती भूमिका में पहुँच जाता है। यदि यह कहा जाय कि नामाजिक उन अवन्या में कवि-कौपल शब्द नामन्या के चमत्कार ने पहुँचता है तो उनका नापर्यं यही हृषा न दि-साधारणीकरण आलम्बन का होता है जिसमें प्रेक्षण की वर्ती दृष्टि

मिल जाती है। वास्तव में मधुमती भूमिका में पहुँचने के लिए (एकता-नलय होने के लिये) आलम्बन का रागमय तीव्र आकर्षण होना चाहिए। आलम्बन के इसी आकर्षण पर तो आचार्य शुक्ल जोर देते हैं।

डा० नगेन्द्र ने जो यह कहा कि साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है, वह इस प्रश्न का उत्तर है कि वस्तुत आलम्बन आदि का मूल स्वरूप क्या है? वैसे तो साधारणीकरण वे भी विभावादि सभी का ही मानते हैं। 'साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है' इस कहने में यह वात स्वीकृत है ही कि साधारणीकरण विभावादि सभी का होता है, चाहे वे विभावादि वास्तव में कवि की अनुभूति ही क्यों न माने जावें। अत तात्त्विक दृष्टि से डा० नगेन्द्र और आचार्य गुलाब-राय जी के मत में कोई भेद नहीं है।

इसके पश्चात् उक्त सूत्र के सर्वाधिक प्रामाणिक व्याख्याता अभिनवगुप्त हुए हैं। इन्होंने भट्टनायक की कई मान्यताओं को स्वीकार

करते हुए भी भावकर्त्त्व और भोजकर्त्त्व नामक अभिनवगुप्त का काव्यगत दो शक्तियों को निराधार बताया। अभिव्यक्तिवाद इनके कथनानुसार उक्त दोनों शक्तियों का

काम व्यजना या ध्वनि से ही चल सकता है। जो 'भाव' (काव्यार्थ) है वह स्वत ही भावित होने की योग्यता रखता है। क्योंकि जो भावना का विषय बने वही तो भाव है। ये भावित भाव व्यञ्जना शक्ति द्वारा आश्रय के हृदय में स्थित रति को रस रूप में अभिव्यक्त कर देते हैं। इसी प्रकार 'रस' में भोग का भाव भी स्वाभाविक रूप से विद्यामान है। जो भोग को प्राप्त हो सके वही तो रस है। अत सूत्रगत सयोग का अर्थ व्यञ्जित होना और निष्पत्ति का आनन्द रूप से प्रकाशित होना है।

इन्होंने अपने [मत का] प्रतिपादन निम्न प्रकार किया —

“मर्वनाधारण, (लोके) लीकिक व्यवहारो मे स्वत् प्राप्न रहने वाले (प्रभदामि) प्रमदा, उद्यान और कटाक्षनिर्वेदादि के द्वारा (स्थाय्यनुमानेऽभ्यास्-) स्थायीभावो के अनुमान करने के विषय के अभ्यास में (पाटवताम्) कुशलता को प्राप्न हो जाते हैं ।

(वाव्येनाद्ये च) वाव्य और नाटको में (नैरेत्य) उन्ही (ज्ञानलग्नवादीनाम्) कारण-वार्य और तहयोगी कारणों का (परिहारेण) परित्याग कर दिया जाता है, और (विभावनादिव्यापारखत्वात्) विभावनादि व्यापार वाला होने के कारण (अलीकिकविभावादिसद्व्यवहार्य—) विभाव, अनुभाव, और व्यभिचारी इन अलीकिक नामों ने पुकारा जाना है ।

ये निभावादि “(मर्मेवते) मेरे ही है (शब्दोरेवते) शब्दु के ही है (न तटन्यन्यपैते) उदासीन के ही है अथवा (न मर्मेवते) मेरे ही नही है (न शब्दोरेवते) शब्दु के ही नही है”—(इति) इन प्रकार के (नम्बन्यविशेषम्) नम्बन्यविशेष के (न्वीकान्परिहारनिभ्यमानव्यवनायात्) स्वीकार या परित्याग के नियमों का ज्ञान न रहने के कारण (नाधारणप्रेन प्रतीनै—) साधारणीकृत न्य में प्रतीन या ज्ञानगोचर होते हैं ।

(सामाजिकाना वासनात्मतवा न्यित) सामाजिका ने चिन मे वासनान्य से न्यित (स्थायीत्यादिक) जो स्थायीत्यादित भाव है वह (नियतप्रमानृगतन्देन न्यितोऽपि) नियित ज्ञानृ-ज्ञात—प्रेक्षा-विशेष मे—ता मे होता हुआ भी (नाधारणोपायवलात्) नाधारणात्तृत विभावादि कारणो के बल मे (तत्त्वात्) नाट्वदर्जन के समय मे ही (विग्नितपरिमितप्रमानृभायरन्) निश्चित ज्ञाता दे नाज ने भी यिलग [अर्थात् प्रेक्षण धात्वनत्ता के ज्ञान ने भी रहित तो ज्ञान है] होकर (अनिष्टत) अभिव्यञ्जित होगा है ।

(उन्निषित) इन प्रकार से प्रसामित (नेत्रलरम्भदंगूम्य) इतर ज्ञान के सम्पर्क से रहित (भपरिमितज्ञावेन) भनन्तभाव मे

(सकलसहृदयसवादभाजा) सभी सहृदयों के राग का पात्र होता हुआ (साधारण्येन स्वाकार इवाऽभिन्नोऽपि) साधारणीकृत होकर भी अपने रूप से अभिन्न ही जो रत्यादि स्थायीभाव हैं वह (प्रमातृगोचरीकृत) सामाजिक द्वारा अनुभव का विषय होता है।

(चर्व्यमाणतैकप्राण) चर्वण—आस्वादन—मात्र ही जीवन के स्वरूप वाला, (विभावादिजीवितावधि) विभावादि की सत्तापर्यन्त जीवन की अवधि वाला (पानकरसन्यायेन चर्व्यमाण) विलक्षण स्वादोत्पादक पानकरस-न्याय से आस्वादित होने वाला, (पुर इव परिस्फुरन्) सामने ही निर्भरित होता हुआ, (हृदयमिव) प्रविशन् हृदय में समाता हुआ सा (सर्वाङ्गीणमिवालिङ्गन्) सर्वाङ्ग को आलिङ्गन करता हुआ सा (अन्यत्सर्वमिव तिरोदधत्) अन्य सभी को तिरोहित करता हुआ सा (ब्रह्मास्वादमिवानुभावयन्) और ब्रह्मानन्द का आस्वादन कराता हुआ सा (अलौकिकचमत्कारकारी) लोकोत्तर चमत्कार का कर्ता (श्रृङ्गारादिको रस) श्रृङ्गारादिक रस है।”

अभिनवगुप्त के अनुसार रस का परिपाक निम्न प्रकार होता है—

“सामाजिक लौकिक व्यवहारों में रति के कार्य-कारणों का अनुभव करता रहता है, जिससे रति बार-बार अनुभित होती है। यह अनुमान की गई रति सहृदय सामाजिक के हृदय में सस्कार रूप से सन्निविष्ट हो जाती है।”—इस प्रकार के सामाजिक के सामने जब नट नकली कारण-कार्यादि (विभावादि) का विस्तार करता है तो वह काव्यार्थ के ज्ञान के पश्चात् उसका भावन व्यञ्जना शक्ति द्वारा करता है। फलत विभावादि का साधारणीकरण हो जाता है। और रजोगुण व तमोगुण का तिरोभाव होकर सत्त्वगुण के उद्रेक की अवस्था में पूर्व कथित प्रकार से सस्कार रूप से विद्यमान सामाजिक के रत्यादि स्थायीभाव रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं। यह रस की अभिव्यक्ति ही निष्पत्ति है।

अब हम इनकी मान्यताओं का समाहार इस प्रकार कह सकते हैं—

- [क] रस की स्थिति भीधी महदय में ही, भट्टनायक की तरह, मानते हैं।
- [च] भट्टनायक का नाधारणीकन्गु का निदान भी स्वीकार करते हैं।
- [ग] और भट्टनायक के—‘काव्यानन्द की उद्देकावस्था में रजोगुण व तमोगुण का तिरोभाव और नृत्यगुण का आविर्भाव हो जाता है।’ इन सिद्धान्त का भी समर्यन करते हैं।
- [घ] मानव-आत्मा शाश्वत है। पूर्वजन्म व इस जन्म में लौकिक व्यवहारों के समर्ग से आत्मा के साथ कुछ वासनाएँ सम्कार स्पष्ट भै मलग्न रहती हैं। ये मूल वासनाएँ ही न्यायीभाव हैं। काव्यानुशीलन या नाटक देखने में ये वासनाएँ उद्भुद हो रमन्प में परिणत हो जाती हैं। इस प्रकार रम अभिव्यक्त होता है। निष्पत्ति का अर्थ हुआ अभिव्यक्ति।

इस प्रकार से रम-मीक्षा के प्रमद्द में उपन्यस्त उत्पत्तिवाद, अनुमित्तिवाद और भुक्तिवाद के तीनों निदान अनेक रूपों में सदोपपाये गये। अत उन्हें प्रस्तोकार्य बहराया गया। अभिनवगुप्त की व्यास्या नवांगिक नमीचीन मानकर रमन्विति मानाञ्जिक में न्योकार की गई। और उनके अभिव्यक्तिवाद ने भारतीय वान्दशान्त्र में तर्ज-ममत स्पष्ट में ग्रहण किया गया। याद में धाने वाले ममट, ‘विद्वनाम शादि विद्वानों ने इसी भूत को ग्रहण कर पुष्ट किया।

रम-परिसाप की प्रजिक्षा ने धार्घुनिक विद्वानों ने भी नदीन मनोविज्ञान और नीन्द्रय-शास्त्र के प्रकाश में देखने का प्रयत्न किया है।

उनकी मृतधारणा यह है कि रम का पैतानिक

विवेचन दिवेचन करने के निवे स्वनन्द चिन्नन ग्रावरयन है, भरत के मूर्य वी व्यात्या का पन्ना एकत्र रहने ने नचाई दी खोज भा मान नीचित हो जाता है। दो रम-

परिपाक-प्रक्रिया विवेचन के लिए “शाकुन्तलम्” की—मूल ऐतिहासिक घटना से लेकर ‘राष्ट्रीय रङ्गशाला’ देहली में अभिनीत होकर प्रेक्षक को रस दान करने तक की—सम्पूर्ण क्रियाविधि का विश्लेषण करते हैं —

- (i) सर्वप्रथम श्रति प्राचीन समय में कण्व ऋषि के रम्य आश्रम में दुर्योग ने शाकुन्तला को देखकर अपने हृदय में रति का अनुभव अवश्य ही किया होगा ।
- (ii) इसके पश्चात् महाकवि कालिदास ने अपने अध्ययन-कक्ष में बैठकर महाभारत में वर्णित उक्त उपास्थान को पढ़कर कल्पना के द्वारा उक्त रतिभाव का अनुभव किया होगा । मानव-सुलभ-सहानुभूति के कारण यह सर्वथा सम्भव है ।
- (iii) इसी प्रकार नाटक के शौकीन आधुनिक प्रेक्षक श्री अनिल और रम्भादेवी भी इतिहास पढ़कर कल्पना के द्वारा उस रति का अनुभव कर सकते हैं ।
- (iv) फिर महाकवि ने किसी स्मरणीय क्षण में उस स्मृतिशेष अनुभूति के स्स्कार का भावन करते हुए अपने हृदय में पुन जाग्रत किया होगा और ‘शाकुन्तलम्’ के रूप में शब्दचक्र कर सदा के लिए अमर बना दिया ।
- (v) जब ‘भारतीय गणतन्त्र समारोह’ के अवसर पर ‘राष्ट्रीय रङ्गशाला’ में ‘शाकुन्तलम्’ का अभिनय किया गया तो अभिनेताओं ने भी उक्त रति का अनुभव किया होगा, क्योंकि श्रेष्ठ अभिनय के लिए उसमें तत्त्वीन होकर अनुभूति ग्रहण करना आवश्यक है ।
- (vi) नाटक के शौकीन हमारे परिचित अनिल और रम्भादेवी दोनों ही नाटक देखने अवश्य गये होंगे और उन्होंने भी उसी रति का अनुभव किया होगा ।

इन प्रश्नार्थे द्वारा अनुभूतिर्याहुई। इनमें 'रस' अनुभूति किसे कहें, यही विचारणीय है। देवने ने पना चलता है कि ये अनुभूतिर्याही नीन प्रकार की हैं—

- (i) प्रत्यक्ष अनुभूति—दृष्ट्यन्त और शकुन्तला की अनुभूति ऐसी होती है।
- (ii) कल्पना में प्रत्यक्ष अनुभूति—जैसे महाभारत (ज्ञातिहास) में पद्मकर प्राण की रुद्धि जवि, ग्रनिल और रम्भादेवी की अनुभूतिर्याही।
- (iii) प्रत्यक्ष या उपनानस्त्रक अनुभूति के सम्कारों के भावन छान उद्दृढ़ अनुभूति—जैसे 'शाकुन्तलम्' के प्रगण्यन काल की कविता अनुभूति तथा अभिनेताओं और प्रेक्षक स्थ ने उपस्थिति ग्रनिल व रम्भादेवी की अनुभूति।

कल्पनासूनक अनुभूतिर्याही भी प्रत्यक्ष ही कही जा सकती है। प्रत प्रथम नीन अनुभूतिर्याही प्रत्यक्ष होने में भावमात्र है। वे प्रसन्न के अनुभार रुदु भी हो सकती हैं। एवं तीन अनुभूतियों में विविक की नमृद्ध भाव-शक्ति का पृष्ठ है। उन्होंने अपना हृदय तो भावुक होना ही है लेकिन उन्होंने भावा के प्रतीकों को भी वह शक्ति प्रदान कर दी है। ये दूसरों में भी यही ती भाव जागृत करा सके। घर इस भाव-प्रवर्तना के दारणे वे नीनों अनुभूतिर्याही भावित हैं और प्रत्येक ग्रन्थन्या में आनन्दमय होने का ही नामव्यरुचता है। इन कारण से मना भी इन्हीं की हो सकती है। अन्तु !

इन विज्ञेपणों ने हम इन परिस्थितियों पर पहुँचे कि नाधात् प्रत्यक्ष अवधार उपनान में प्राण प्रत्यक्ष अनुभूति के नस्कार समृद्ध भाव-शक्ति के द्वारा भावित होते हैं, जिनमें वे हर ग्रन्थन्या में आनन्दमय ही होते हैं और उन्हें गहराते हैं।

इन ग्रन्थोंटीने गहरात् पूछा है—

- (ii) रचना के समय कवि रस ग्रहण करता है।
- (iii) अभिनय के समय नटनटी भी रस ग्रहण करते हैं।
- (iv) और सहृदय के वासनारूप से स्थित स्थायीभाव जागृत होकर रसदशा को पहुँचते ही हैं।

अत रसस्थिति न केवल प्रेक्षक में अपितु कवि और नटनटी में भी माननीय है। परन्तु रस—

- (i) वस्तु में नहीं रहता।
- (ii) नायक-नायिका को तत्ता रस उष्टि से निर्विशेष होती है।
- अत उनमें रस की स्थिति नहीं होती।

प्रापांपाद	दर्शन	रस का वीज	रस का गतिशिला	रसनिति ती प्रक्रिया	रस की स्थिति	न्याय	सूत्रार्थ
नद्धोनेन्द	भीमगान् उत्तिति-	गतकार्यं	नट के श्रवकुरण पर	मूल रूप से अनु- कार्यों में।	कारण-	विभाव, अनुभाव और सचारियों के सयोग से (श्री)	विभाव, अनुभाव और सचारियों के सयोग से (श्री)
राम	आर	आर	(नटादःश्रवकुरत्तिमो में) प्रेषक ष्रवाणी गा आरोप कर नेता है। इसने उनके रस मिं प्रतीति होती है। रस- प्रतीति में प्रेषक के ददम में मी शानन्द (रस) उत्पन्न हो जाता है।	गोण रूप से सामा- जिक में।	कारण-	पित होने से — नटकात विभाविद पर अनुगायं और उगमे कारण-कार्यों का प्रारोप होने से) रसप्रतीति द्वारा रस उत्पन्न होता है।	पित होने से — नटकात विभाविद पर अनुगायं और उगमे कारण-कार्यों का प्रारोप होने से) रसप्रतीति द्वारा रस उत्पन्न होता है।
नी शषुक	नियामिता अनुगमिति-	गतकार्यं	नट हे श्रवकुरण पर प्रेषक अनुकार्यों ना तादात्म्य कर नेता है। किन उनके भाव (शानन्द गा रस) का भी अनुगमन कर लेता है। अनु- गमन किए जाने पर) रस	मूल रूप से अनु- कार्यों में।	गत	विभाव, अनुभाव और सचारियों के सयोग से (श्री- कार्य के कारण-कार्य और सहयोगी कारण रूप से समझ लिए जाने पर) रस	विभाव, अनुभाव और सचारियों के सयोग से (श्री- कार्य के कारण-कार्य और सहयोगी कारण रूप से समझ लिए जाने पर) रस

भट्टाचार्य भट्टाचार्य	सास्य- वादी	प्रेक्षक का स्थायी- भूक्तिवाद	नट के अनुकरण पर से काव्यार्थ का ज्ञान (श्रीभिधा द्वारा) होता है। इस विज्ञात रति एवं विभावादि का साधारणीकरण 'भावकल्प द्वारा होता है। इस प्रकार साधारणीकृत विभावादि के साथ स्थायीभाव का उपभोग भूषित द्वारा होता है। यह भूषित ही रस है।	प्रेक्षक में ही	भोज्य- भाव	विभाव, अनुभाव और व्यभिचारियों के सम्बोग से विज्ञात होकर भावित होने (विज्ञात होकर भावित होने से) प्रेक्षक के सत्कारों की मुक्ति होती है।
	अभिनव- गुप्त	वेदान्ती श्रीभि- व्यवितवाद	प्रेक्षक का काव्यार्थ (भाव) का ज्ञान (श्रीभिधा द्वारा) होता है। इस विज्ञात भाव और विभावादि का भावन (साधारणीकरण) व्यञ्जना द्वारा होता है। ऐसा होते पर प्रेक्षकनात सत्कार रूप स्थायीभाव अभिव्यक्त हो आस्थादित होते हैं।	प्रेक्षक में ही	व्यय- भाव	विभाव, अनुभाव और व्यभिचारियों के सम्बोग से विज्ञात होकर भावित होने से) प्रेक्षक के सत्कारों की अभिव्यक्ति होती है।

[२] रस का स्वरूप

सत्त्वोद्रेकादखण्ड-स्वप्रकाशानन्द-चिन्मयः ,
चेद्यान्तर-स्पर्श-शून्यो भृषास्त्वाद-सहोदरः ।
लोकोत्तर चमत्कारप्राणः कैदिचत् प्रभातृभिः ,
स्पाकारवद्भिन्नत्वेनायमास्त्वाधते रसः ॥

—साहित्यदर्पण १३।२, ३ ॥

“मत्त्वगुण के प्राधान्य ने यह अवधंड, स्वत प्रकाशित, आनन्द चिन्मय (आनन्दस्वरूप ज्ञानमय), इतर ज्ञान मे रहित, ग्रह्यानन्दसह-दर और लोकोत्तर चमत्कार वाला ‘रस’ सहृदयों के द्वारा अपनी देह की तरह अभिन्न हृष में (अर्थात् ज्ञातज्ञान के भेद के बिना ही) आस्वादित होता है।”

आज का वैज्ञानिक निरीक्षण परीक्षण का विद्वानों होकर तत्त्व-ज्ञान की ओज में सलग्न रहता है, जबकि पुरातन भारतीय मनीषी एकाग्रचित्त होकर अन्तर्दृष्टि के द्वारा विषय का समग्र हृष ने दर्शन करते थे। विविध विज्ञानों की दुहाई देखर रस-स्वरूप-मम्बन्धी जो विन्दृत विवेचन किये जा रहे हैं उनमें नव्य वा उतना विगद चिन्मय नहीं रहता जिनका कि प्रियनाय ने उपर के दो नक्षिप्त लोकों में रस दिया है। इन दोनोंको पी घावायनी में रस के जो विषेषण दिये गये हैं वे अत्यन्त पर्यंपूर्ण हैं, प्रत्येक घटक के पीछे विन्दृत चिन्मय-रागि वा पृष्ठदेश हैं। मूल हृष में करे गये उपर्युक्त रस-स्वरूप-मस्तिष्कायक विषेषण हमारे नमनमे दे निए व्याख्या की घपेदा रहते हैं। इस प्रसार की व्याख्या को भाषुभिक विद्वानों ने वैज्ञानिक श्चोटी पर रखकर जब परता तो उसे प्राप्त-नमंथा वैज्ञानिक और लंबा पाया। हमें भी यही यह देन्तता है कि रस के न्यूरूप की प्राचीन व्याख्या कहीं तर तर्क-नगत है। प्रगम उन पर्यंगभित दियोग्यों दो देख लेना मुसिपाजनक रहेगा —

- (i) सत्त्वोद्रेकात्—रस-निष्पत्ति में सत्त्वगुण को हेतु माना है। जब रजोगुण और तमोगुण का तिरोभाव होकर सत्त्व का आविभव हो जाता है तब रस-निष्पत्ति होती है। सत्त्वोद्रेक की इस अवस्था में आस्वाद ही रस है, अत वह आस्वादित होने वाले रति आदि भाव से पृथक् है। अर्थात् रस भाव से भिन्न है। और इसी से हम कह सकते हैं कि शृंगार रस का अर्थ रति का अनुभव नहीं। डा० भगवानदास के शब्दों में—“भाव, क्षोभ, सरभ, सवेग, आवेग, उद्वेग आवेश, अङ्गेजी में इमोशन का अनुभव रस नहीं है, किन्तु उस अनुभव का स्मरण, प्रतिसवेदन, आस्वादन रस है।”
- (ii) अखण्ड—रसानुभूति की चेतना विभाव, अनुभाव आदि की खण्ड चेतना नहीं है अपितु उन सबकी सम्मिलित एक चेतना है।
- (iii) स्वप्रकाश—रस के ज्ञान के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं। रस स्वयमेव प्रकाशित होता है। जैसे ज्ञानान्तर अपने विषय घट को प्रकाशित करता है वैसे ही रस स्वय को प्रकाशित करता है।
- (iv) आनन्दचिन्मय—रसानुभूति आनन्दमय है और चिन्मय, अर्थात् बुद्धि और इच्छापूर्वक होने वाली है। कतिपय अनैच्छिक शारीरिक क्रियाओं की तरह नहीं।
- (v) वेद्यान्तर-स्पर्श-शून्य—रसानुभूति के समय उससे इतर अनुभूति की सत्ता नहीं रहती। इतर ज्ञेय के स्पर्श से रहित होती है।
- (vi) ब्रह्मास्वादसहोदर—ब्रह्मास्वाद का प्रयोग इस तरह किया गया है मानो वह सर्व-जन-विदित हो। उस समय के आध्यात्मिक वातावरण मे इस निर्देश से रसानुभूति के आनन्द का कुछ आभास अवश्य ही हो जाता होगा। इसका आशय है कि रसानुभूति का आनन्द सवितर्क ब्रह्मानन्द का सजातीय है, अर्थात्

उनमें प्रह्लाद की भावना के होते हुए भी एकनिष्ठ तल्लीनता रहती है।

- (vii) लोकोत्तरचमत्कारप्राण—अन्द्रुत विस्मय (चित्त का विस्तार) का आनन्द प्राण स्वप्न होकर रमानुभूति में रहता है। रति आदि की प्रतिष्ठा नायक-नायिका में होने के विपरीत रम सहशय में प्रतिष्ठित होता है, अत अलीकिक है।
- (viii) स्वाकारवदभिन्नत्वेन—प्रपने परीर की तरह अभिन्न स्वप्न में यद्यपि हमारा धरोर हमने भिन्न है किर भी उमकी भिन्नता का उल्लेख किये विना “मैं स्थूल हूँ” ऐसा एकत्रानुचक कवन किया जाता है। इसी तरह ज्ञाता (प्रेक्षक या पाठक) और ज्ञान (रम) के भिन्न होने हुए भी अभिन्न स्वप्न से ही आस्त्वादन होता है।

इस प्रकार भारतीय शाचार्यों ने रम के स्वस्वप्न को हर तरफ ने देना और उने नवंया अनामान्य पाया, उमकी तुलना में कोई नौकिक पदार्थ न रख सके। अत उन्होंने रम को मौलिक विशेषता—“धनो-किरन्य (निरानापन)” —दूर निषानी, जिसकी व्याख्या निम्न प्रकार ही गई —

- (i) दग्धन के दग्धन से दुष्पत्त को जो रति का दद्वोष तृष्णा या वह एक ही व्यक्ति में परिवित था। परन्तु रम याव्य द्वारा एस ही गमय में भनेक व्यक्तियों में प्रवाहित हो जनने के पारता अपरिमित है।
- (ii) दुष्पत्तादि में उद्दुष्ट रति लौगिक है। तभी तो उनका दग्धन, पार-रहन्यसमांग गिर्छतान्मन न होने से, असचिकर है। परन्तु दत्तग्रादि के नायक-नायिका का रतिनाव ऊपरान्मोहन होने में रम-हन्त नहीं।

- (iii) रस ज्ञाप्य नहीं है। होने पर आवश्य अनुभूत होता है क्योंकि वह स्वतं प्रकाशी है। उस पर आवरण नहीं हा सकता। जैसे ज्ञाप्य घट प्रकाशक दीपादि के रहने पर भी ढके हुए होने से अदृश्यत ही रहता है, ऐसे रस नहीं।
- (iv) रस कार्य नहीं। यदि कार्य होता तो विभावादियों के न रहने पर भी उसकी प्रतीति मम्भव होती। जैसे घट अपने 'निमित्त-कारण' दण्डचक्रादि के बाद भी रहता है।
- (v) रस नित्य भी नहीं। यदि वह नित्य होता तो "रस की अभिव्यविधि हुई" ऐसा नहीं कहा जाता। साक्षात्कार का विषय होने के कारण भविष्यत्कालिक भी नहीं। तथा कार्य और ज्ञाप्य न होने के कारण उसे 'वर्तमान' भी नहीं कहा जा सकता। इतनी बातें रस की सर्वया अलौकिकता एवं अनिर्वचीयता की सिद्धि के लिए काफी हैं।


अब हमें रस का स्वरूप क्या है, इस समस्या का उत्तर आधुनिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से भी देखना आवश्यक है। क्या आधुनिक विद्वान् भी उन्हीं परिणामों पर पहुँचते हैं जिन पर कि प्राचीन रमवादी स्थिर हुए थे? हमारे सामने प्रश्न का रूप यह है कि काव्य या नाटक से प्राप्त होने वाला आनन्द ऐन्द्रिय है या आध्यात्मिक है, अथवा इन दोनों से विलक्षण किसी अन्य ही प्रकार का है?

अनुभूति को हम स्थूल रूप से तीन प्रकार की मान सकते हैं—(१) ऐन्द्रिय (२) वौद्धिक और (३) आध्यात्मिक। जो लोग आत्मा की ही सत्ता को स्वीकार नहीं करते और अनात्मवादी होने की धोषणा करते हैं, उनकी दृष्टि से अनुभूति दो ही प्रकार की है। उक्त तीनों प्रकार की अनुभूतियों के क्रमशः उदाहरण निम्न प्रकार दिये जा सकते हैं। लौकिक शारीरिक रति या चूम्बन का आनन्द ऐन्द्रिय है। ग्रन्थसमाप्ति पर प्रणेता

तो जो मानन्द होता है वह बीदिक और योगी का प्रत्यनामात्कार का मानन्द प्राव्यात्मिक कहा जा सकता है। अनुभूतिविषयक भास्त्र और अनान्म वादियों का उक्त विभाजन निम्न प्रकार रख सकते हैं —

आत्मवादी

अनुभूति



अब हमें देखना है कि काव्यानुभूति इनमें से किन प्रकार की है ? स्वदेश-विदेश के विद्वान् अपनी-अपनी वल्लनामों और तर्क-प्रणालियों के हारा उनी नम्भव भाव्यनामों की प्रतिष्ठा कर चुके हैं। तदनुगार काव्यानुभूति नम्भयों निम्न तीन भाव्यताएँ सामने प्राप्ती हैं —

[१] काव्यानुभूति पा मानन्द ऐन्ड्रिय है। इसके पुरम्कर्ता व्येदों प्रादि हैं। उनकी दृष्टि में यह भास्त्रा (बुद्धि) वीर्यानुभूति में भिन्न है, परं निम्न कोटि की है।

[२] काव्यानुभूति का मानन्द प्राव्यात्मिक है। काव्यमौन्दर्य-स्व प्रासा वीर्यनिवर्त्ति हीने से प्रानन्दमय है, और उनीनिये यह मानन्द भाव्यात्मिक है। हीनन और कपील त्वीक्र वीर्य वही भाव्यना है।

[३] काव्यानुभूति न ऐन्ड्रिय है न प्राच्यात्मिक। इस स्थापना के पहुंचा पासे यार्णी भाव्यनामों ने निश्च तीन प्रश्नार हैं —

- (१) काव्यानन्द न ऐन्द्रिय है न आध्यात्मिक । वह कल्पना का आनन्द है । अर्थात् मूल वस्तु के रूप और कला द्वारा अनुकृत रूप में जो समता है उसके भावन से प्राप्त होने वाला आनन्द है, जा न ऐन्द्रिय है और न आध्यात्मिक । इस मत के प्रस्तोता एडीसन हैं ।
- (२) काव्यानुभूति न ऐन्द्रिय है न बौद्धिक अपितु इन दोनों का मध्यवर्ती 'सहजानुभूति' है । सहजानुभूति क्या है ? इसकी अपनी विशिष्ट व्याख्या है । इस मत के प्रतिगादक बैनेडेटो क्रोचे हैं । उनके अनुसार मानव-प्राण-चेतना में सहजानुभूति की एक पृथक् शक्ति होती है । काव्यानुभूति इसी का गुण है । उस शक्ति का निर्माण बौद्धिक धारणाओं और ऐन्द्रिय सवेदनों द्वारा न होकर बिस्मों द्वारा होता है ।
- (३) काव्यानन्द न ऐन्द्रिय है न आध्यात्मिक । यह एक निरपेक्ष अनुभूति है । इसे हम विशिष्ट प्रकार का ग्रलौकिक आनन्द कह सकते हैं, जिसकी तुलना में किसी भी लौकिक आनन्द को नहीं रखा जा सकता । यह मत प्राचीन है, परन्तु इस युग में वैडले आदि ने इसका मण्डन विशेष रूप से किया है ।

यहाँ पर उपयुक्त मान्यताओं की क्रमशः परीक्षा करना आवश्यक है । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि काव्यानुभूति ऐन्द्रिय अनुभूति से भिन्न है, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति भी यह जानता है कि नाटक देखने से मुझे आनन्द ही मिलेगा, चाहे वह नाटक दुखान्त ही क्यों न हो । अत यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि काव्यानुभूति आनन्दस्वरूप ही होने के कारण लौकिक एवं ऐन्द्रिय सुख-नुखात्मक अनुभूतियों से भिन्न है ।

अनात्मवादियों के लिए तो काव्यानुभूति को आध्यात्मिक मानने का प्रश्न ही नहीं उठता । इसके अतिरिक्त आत्मवादियों को भी काव्य-

नन्द में आध्यात्मिक आनन्द की वह गान्त गम्भीर ध्वनि नहीं सुनाई दे सकती, जिसे योगी लोग प्राप्त करते हैं। योग का उक्त आनन्द स्थायी होता है और काव्यानन्द क्षणिक है। अत आनन्द आध्यात्मिक भी नहीं कहा जा सकता।

इसी तरह एशीनन ने 'कल्पना के आनन्द' और फ्रौचे की 'सहजानुभवि' की विचित्र घटित को मनोविज्ञान में व्वतन्त्र सत्ता के स्प में स्थान नहीं दिया जा सकता। कल्पना तो मन और बुद्धि की किया है। अत गन्पना का आनन्द नि मन्देह ऐन्द्रिय आनन्द होगा, जो काव्यानन्द नहीं कहा जा सकता। फ्रौचे की सहजानुभूति की घटित को भी गम्भीर वैज्ञानिकों ने एकम्बर ने अमान्य ठहरा दिया है। अत उपरोक्त भौतों में मे कोई भी मन आज के मनोविज्ञान के विद्यार्थी को नन्दोप प्रदान नहीं करता।

केवल अन्तिम मन प्राचीन नन्द-गिदान में चर्चित रूप के व्वस्प में भेता जाता है। उसके नम्मन्ध में भी कुछ विद्वानों का निम्न प्रकार आधोप है। उत्तम कहना है कि इन मन वो मान्यता की स्वीकृति के लिए विषुन अद्वा नी श्रावयत्वता है जो वैज्ञानिक के पास नहीं होती। श्रद्धावन काव्यानन्द को प्रलीपिक, नोकोत्तर और अनिवचनीय गहने रहने में तथ्य ना उद्पाटन नहीं होता। यह तो एक प्रकार ने रामस्या को छोड़कर पनाया है। वे विद्वान् काव्यानुभूतिन भी नाटक देखने को देखाता ना व्यतीन्द्र स्प में पर्यवेक्षण करने द्वारा नर्यंदा र्वतन्त्र मन वी न्यापना करते हैं। उन्होंने दृष्टि ने नतिशान में व्यतिन की नित्त फी विद्वनि और नोमान्न मादि जिस प्रतार में नवेदन होते हैं, वैने ही नवेदन नाटक देखते गमय भी घबरद टोने हैं। वे नव ऐन्द्रिय ही हैं। आ यह यात प्रत्यक्ष है कि नाव्यानुभूति में ऐन्द्रिय घण घटन्द भृता है। यह यात गूगरी ही फि मह ऐन्द्रियना गिन्न प्रकार भी है। दित्तार करने पर यात टोना है कि ऐन्द्रिय आनन्द और नाव्यानन्द ने नवता होने पर भी एक प्रकार वी

भिन्नता अवश्य है। यह भिन्नता सिर्फ प्रत्यक्षता एवं तीव्रता की ही कही जा सकती है। प्रथम अवस्था में चुम्बन आदि द्वारा प्राप्त होने वाला आनन्द प्रत्यक्ष और तीव्रतर है। काव्यानन्द में उतनी प्रत्यक्षता और तीव्रता नहीं रहती। इसका कारण यह है कि काव्यानुभूति प्रत्यक्ष मूल घटना की अनुभूति नहीं है। मूल घटना का कवि को सर्वप्रथम ऐन्द्रिय सन्निकर्ष या कल्पनात्मक सन्निकर्ष होता है। तदनन्तर कवि उसका भावन करता है। इस भावित घटना का भावन दर्शक करता है। भावन में दोनों को बुद्धि व मन का उपयोग करना होता है। अत दर्शक या पाठक की अनुभूति भावित (Contemplated) घटना पर निर्भर रहती है जिससे उसे भावित अनुभूति कहते हैं। और उसकी यह भावित अनुभूति सूक्ष्म और प्रत्यक्ष ही होती है। इस प्रकार वे इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि काव्यानुभूति है तो ऐन्द्रिय अनुभूति ही, पर वह भावित अनुभूति है।

भावित अनुभूति का तात्पर्य केवल इतना है कि उसमें प्रत्यक्षानुभूति जैसी स्थूलता एवं तीव्रता नहीं होती। अनुभूति का स्वरूप भी यह कहकर स्पष्ट किया जा सकता है कि वह स्वेदनात्मक होती है, अर्थात् काव्यानुभूति के स्वेदन मानसिक स्वेदनों से सूक्ष्मतर और विश्लेषणात्मक-बौद्धिक स्वेदनों से कुछ अधिक स्पष्ट होते हैं। इस प्रकार उक्त विद्वानों के इस विवेचनका साराश यह निकला कि काव्यानुभूति का आनन्द बौद्धिक और ऐन्द्रिय अनुभूतियों के अन्तर्गत स्वेदन रूप ही है। परन्तु स्वेदन स्थूल और प्रत्यक्ष न होकर सूक्ष्म और विम्ब रूप होते हैं।

यह विवेचन नया नहीं। इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए प्राचीन आचार्य भी यही पहुँचे थे। उन्होंने देखा कि अन्य अनुभूतियों की तरह जब काव्यानुभूति भी ऐन्द्रिय है तो फिर वही समस्या सामने आती है कि कटु स्वेदनों से कटु अनुभूति क्यों नहीं होती? उक्त श्राधुनिक वैज्ञानिक तो यह कहकर कि काव्यानुभूति भावित होने से व्यवस्थित हो-

जाती है, फलत उसमें कटु सवेदनों से भी अधुर अनुभूति उपलब्ध होनी है, समस्या को एक प्रकार से ठाल देते हैं। अथवा उनके इन उत्तर पर भी यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अनेकों रूप से आवृन्दिक शब्दावली में 'अनिर्वचनीयता' का ही प्रतिपादन कर दाना। कारण यह है काम्यात्म विज्ञान का जन्म 'चर्च' के बिरोप में होने ने कारण वह अनीतिप, अनिर्वचनीय मादि जीसी नीजों को ज्यादा महत्व नहीं देता, वह उसमें धार्मिकता न्य अवैज्ञानिकता नी गन्ध पाता है। विज्ञान इन्धेक दम्भु को अपनी व्यात्या दे अन्तर्गत लाने की चेष्टा पर अपनी अिज्य-डुन्डुभि का सिरा जमाना चाहता है। फिर चाह वह व्याक्ति हास्त्यान्पद ही क्यों न हो जाये। अनुभूति जैसी प्रतिया के सम्बन्ध में वह पूछ जाने पर कि यही कारण के गुण कायं में देखे जाने के व्यापक नियम का व्यतिअभग्न द्या दुआ—यह उत्तर देना कि व्यवस्था होने के एक ही गया, स्पष्ट तथा छिपे रूप ने अनिर्वचनीयता ;; ही प्रतिपादन है।

प्राचीन आचार्यों ने रन की इस अनिवार्यता ने श्राव्यात्म को भी गन्ध पाई। अत ये उनके अध्यात्म पथ की ओर नुग वह और तर उठे कि काव्यानन्द श्राव्यानन्द तो नहीं, पर श्राव्यानन्द का भहोदर है। अत रन एक और ऐत्रियन्त वी नीमा ली न्यज करना है तो दूसरी ओर प्राचार्य ने जा चिरा । अत प्रानन्दन्य ही होने में यह स्पष्टतया भनीति एवं अनिर्वचनीय है। उनकी दृष्टि से रन के न्यन्य ही तुछ ऐसी विलपारुण्य है जिसे कारण उसे रिनी तोविच शब्दावली की भाषा में नहीं व्यौधा जा सकता। उन्होंने काव्यानन्द को यतनी तरह एक ही पाया था उने लोतोन्न नमनाराम-शास पादि रहा। यह इस उन दण्डाम का दर्तेवाने है ॥ इतनीतों ने यह के न्यन्य के न्यन्य-रसने के न्यन्य में जो सोनोर और अनिर्वचनीय पादि चिरोपा कहे हैं वे ही उसका व्यहर स्पष्ट पर जाने हैं। यह गहना ॥ “ऐसा

कहकर समस्या को सुलझाना नहीं, पलायन है” विशेषणों की गहराई तक न पहुँचना है। यदि विशेषणों की गहराई पर ध्यान दिया जाय तो समस्या मुलभी हुई दीखेगी।

इन दोनों दृष्टिकोणों को तुलनात्मक रूप से देखा जाय तो हम इन ‘परिणाम पर पहुँचते हैं कि इस का स्वरूप दोनों पक्षों में एक ही स्थिर किया गया है, अर्थात् इन्द्रियानन्द से कुछ श्रधिक और आध्यात्मिक आनन्द से कम। अन्तर केवल इतना है कि उस स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिए जो शब्दावली ग्रहण की गई है वह भिन्न-भिन्न है।

प्राचीनों ने रस-स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिए जो विशिष्ट शब्दावली ग्रहण की है उसकी उपयुक्ता और वैज्ञानिकता निम्न दो कारणों ने और भी पुष्टि होती है —

- (१) एक तो रस अनिवार्यत आनन्दमयी चेतना है। इस तथ्य की सिद्धि के लिए किसी लम्बे-चौड़े तर्क की आवश्यकता नहीं। सभी का अनुभव है कि सत्काव्य के अनुशीलन या नाटक को देखने से आनन्द ही प्राप्त होता है। उस समय सासारिक द्विविधाओं में सलिल व्यक्ति भी सुखसागर में निमग्न हो नोन-तेल की चिन्ता-व्याधियों से मुक्त हो जाता है।
- (२) और दूसरे यह कि रस भाव से पृथक् है, इसी कारण कल्पण और वीभत्स रस क्रमशः शोक और जुगुप्ता भे पैदा होने पर भी ग्राह्य ही वने रहते हैं। इसी प्रकार श्रृंगार रस शारीरिक रति नहीं है। परन्तु इतना निश्चित है कि रस अपने भावों से सम्बद्ध अवश्य है, रतिभाव से श्रृंगार रस ही निष्पन्न हो सकता है।

सक्षेपत यही कहा जा सकता है कि आधुनिक विद्वान् अपनी वैज्ञानिक शब्दावली में रस के जिस स्वरूप को प्रकट करते हैं, प्राचीन संस्कृत-साहित्य में उसी को एक अर्यगमित आध्यात्मिक शब्दावली में रखा गया है।

अलंकार-सम्प्रदाय

मानव-मात्र में प्रेम, दया आदि मानसिक वृत्तियों, प्रकृति के नाना रूपो से उद्भूत मनोविकारों, परिस्थितिजन्य अनुभवों और विचारों, आकाशाश्रो एवं कल्पनाश्रो को प्रकट करने काव्य की प्रेरक और मुनने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्तियाँ और कवि इसके साथ ही सौन्दर्य-प्रियता की भावना भी सभ्य समाज में सर्वत्र पाई जाती है। इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों के कारण हम अपने मनोभावों को सुन्दरता के साथ प्रकट करने के लिए यत्नशील होते हैं। परन्तु सभी व्यक्ति समान रूप से अपने भावों को श्राकलन करने एवं उसमें छिपे रहस्य का भावन करने और उन्हें सौन्दर्य के साथ अभिव्यक्त करने में योग्य नहीं होते। कुछ व्यक्तियों में ऐसी स्वाभाविक प्रतिभा होती है, जिसके कारण वे उक्त कार्य का सम्पादन ऐसे श्राकर्षक एवं रुचिर ढंग से करते हैं जिसके कारण वह सर्वप्रिय होता है। ऐसे ही व्यक्ति निसर्ग-सिद्ध कवि कहाने हैं। इनके कर्तृत्व के फलस्वरूप ससार में काव्य-लोक की सृष्टि सम्भव हुई है।

उक्त कथन से यह बात प्रकट होती है कि कवि में भावुकता (भाव रूप रहस्यदर्शन का सामर्थ्य) और सौन्दर्य के साथ कह देने की विशेष क्षमता होती है। इसके आधार पर कवित्व के आधार पर काव्य के दो पक्ष निश्चित किये जा सकते हैं — [१] एक तो भावपक्ष या अनुभूति-पक्ष और दूसरा [२] कलापक्ष। भावपक्ष में काव्य का अन्तर्निहित रहस्य या अनुभूति विशिष्ट आती है और कलापक्ष में उक्त अनुभूति को अभिव्यञ्जित करने का समग्र कीशल।

पाद्धत्य समीक्षा-शास्त्र की दृष्टि से काव्य के चार तत्त्व माने गये हैं—रगात्मकता, कल्पना, वौद्विकता और कलात्मकता। कवि किसी काव्य के उभय पक्षों में अन्य तत्त्वों का समाहार रागात्मक भाव को कल्पना की सहायता से औचित्य एवं सगतिपूर्वक कलामयी कृति के रूप में प्रस्तुत करता है। इसकी इस कृति में भी वस्तुत वे ही दो तत्त्व, भावपक्ष और कलापक्ष, ही भलकर्ते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पाद्धत्य समीक्षा-शास्त्र-सम्मत कथित चार काव्यतत्त्व भी वस्तुत इन्हीं दो पक्षों में समाहृत किये जा सकते हैं।

हमारे यहाँ अलकार-शास्त्र का इतिहास देखने से पता चलता है कि रस, अलकार, रीति, ध्वनि और वक्रोक्ति सम्प्रदायों में काफी स्पर्श रही है, और प्रत्येक वर्ग के आचार्यों का यह प्रयत्न रहा कि वे यह प्रमाणित कर सकें कि काव्य का मूलभूत तत्त्व या आत्मा उनके प्रतिपादन के अनुसार ही है। इन पांचों सम्प्रदायों के मूल में यह वात लक्षित होती है कि कोई आचार्य जो काव्यात्मा की खोज करते हुए कलापक्ष तक पहुँचे, कोई भावपक्ष तक और किन्हीं ने दोनों पक्षों का समन्वित रूप ढूँढ निकाला। इनमें रस और ध्वनि सम्प्रदाय के आचार्य भावपक्ष की तथा शेष कलापक्ष की मुख्यता में विश्वास रखते हैं। हमारा आशय निम्न कोष्ठक से प्रकट होगा।

१ भावपक्ष	{	१ भरत, विश्वनाथ	• रस काव्यात्मा है।
		२ आनन्दवर्धन	ध्वनि " "
२ कलापक्ष	{	३ दण्डी, भामह, केशव	• अलकार " "
		४ कुन्तक	• वक्रोक्ति " "
		५ वामन	• रीति " "

काव्य के मूल तत्त्वों की खोज करते समय—“काव्य में दो पक्ष—भावपक्ष और कलापक्ष—होते हैं” भथवा “काव्यात्मा ध्वनि या रसादि होते हैं” इन दोनों कथनों में कोई विशेष विवेचन के दो प्रकार सैद्धान्तिक मतभेद नहीं है, केवल कहने का ढग अलग-अलग है। हाँ, काव्यात्मा का निर्देश करते समय ज़रा इस बात के स्पष्टीकरण का सयोग अधिक रहता है कि काव्य के उक्त दोनों पक्षों की मान्यता स्वीकार करते हुए भी उनमें भी प्रावान्य-गौणत्व का विवेक कर सकें। ऐसा होने से काव्य के सुसंगत लक्षण के लिए एकमात्र आधार निश्चित रूप से हाथ लग सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ काव्य-लक्षण के लिए काव्यात्मा की खोज आवश्यक समझी गई है ताकि काव्य में भावपक्ष और कलापक्ष को समान नहीं, अपितु उचित स्थान प्राप्त हो सके।

कहना न होगा कि काव्य का वही लक्षण समीचीन हो सकता है जिसमें काव्य के उक्त उभय पक्षों को उचित भनुलन में रखा जा सके।

ममटाचार्य-कृत काव्य की परिभाषा—तपदोपौ शब्दार्थौ सगुणा-चन्जंकर्ति पुन क्वापि—(दोप-रहित गुण वाली रचना चाहे वह सालकार

भारतीय काव्य लक्षण **न भी हो)** —भावपक्ष और कलापक्ष को शौचित्य प्रदान करने की टृष्णि से बड़ी शिथिल है। गुणवती कह देने मात्र से भावपक्ष का कथन तो हुआ ही नहीं (क्योंकि गुण काव्यात्मा के धर्म है, काव्यात्मा नहीं), साथ ही कलात्मकता की भी कोई गारटी नहीं की गई, अपितु अलकारो के अभाव में भी काव्यत्व स्वीकार किया गया है। इसमें भावात्मक कलापक्ष का सर्वया अभाव रहा। विश्वनाथ ने ममट के इस लक्षण की। अनेक प्रकार से तीव्र समालोचना कर “चाक्यं रसात्मकं काव्यम्” यह परिभाषा प्रस्तुत की, इसमें रसवत्ता का स्पष्टतया कथन कर काव्य के भावपक्ष या अनुभूतिपक्ष को पूर्णतया

मान्यता प्रदान करते हुए भी कलापक्ष का नामोल्लेख तक नहीं किया । अत एकाकी ही रही । पण्डितराज जगन्नाथ की परिभाषा—“रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्”—इससे कहीं व्यापक है । क्योंकि रमणीय अर्थ के प्रतिपादन में शब्द को हर तरह से (कलात्मकरूपेण भी) उपयुक्त होना चाहिये, यह सकेत तो निकलता ही है । आनन्दवर्धनाचार्य ने सीधा काव्यलक्षण न करके काव्यात्मा रूप ध्वनि (व्यग्रभूत अर्थ) पर ही जोर दिया । ध्वनि में भी रसध्वनि को सर्वथा विलक्षण [तस्मादन्वयव्यतिरेकाभ्यामभिधेयसामर्थ्याच्चिप्तत्वमेव रसादीनाम् । न त्वभिधेयत्वं कथचित् (अत अन्वयव्यतिरेक से रसादि, वाच्य की सामर्थ्य से आक्षिप्त—ध्वनित—ही होते हैं । किसी भी अवस्था में वाच्य नहीं होते] वताते हुए श्रेष्ठ काव्य में रसत्व (रागतत्त्व या अनुभूतिपक्ष) और ध्वनित्व (व्यजनत्व अर्थात् कलापक्ष) दोनों को उचित रूप से आवश्यक ठहराया । इनकी कमी या अप्रधान्य के साथ-साथ काव्य का दर्जा भी कम किया गया । काव्य के उभय पक्षों का रसत्व और ध्वनित्व जैसे समर्थ एव व्यापक शब्दों में जिस खूबी के साथ कथन किया वह ध्वनि-सिद्धान्त की सर्वेमान्यता के लिए बरदान सिद्ध हुआ । अस्तु ।

तो काव्य के स्वरूप के उद्घाटन में पण्डितराज जगन्नाथ का लक्षण और आनन्दवर्धन की काव्यात्मा की व्याख्या, हमारी कसौटी के अनुसार,

सर्वाधिक समीचीन है । तदनुसार रमणीय

रमणीय अर्थ के अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य माना गया

दो साधन हैं । रमणीय अर्थ के दो साधन हैं—

[१] व्यञ्जना और [२] अलकार ।

इस प्रकरण में हमें अलकारों से सम्बन्धित अलकार-सम्प्रदाय की ही चर्चा करनी अभीष्ट है । अलकार वस्तुत भावों को व्यक्त करने अथवा रूप देने के सुधृढ साँचे हैं ।

अलकार का शाब्दिक अर्थ है—सौन्दर्य का साधन। “अलंकरोतीति” अलंकार अथवा “अलंक्रियतेऽनेन” इत्यलंकारः ये दो व्युत्पत्तियाँ की जाती हैं। प्रथम व्युत्पत्ति में अलकार सौन्दर्य अलकार का शाब्दिक का विधायक और दूसरी में साधन ठहरता अर्थ है। दोनों का आशय एक ही है। फिर भी ये दोनों व्युत्पत्तियाँ अलकार-सम्प्रदाय के ऐतिहासिक विकास-क्रम की ओर निर्देश करती हैं। ध्वनि-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा के पूर्व कम-से-कम शब्द काव्य के क्षेत्र में तो अलकार-सम्प्रदाय का ही एकच्छब्र राज्य था। अलकारों को काव्य की शोभा का विधायक समझा जाता था। उस समय दण्डीकृत निम्न परिभाषा का ही बोल-वाला था—

काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते ।

“अलकार काव्य के शोभाकारक धर्म है।” इस परिभाषा से अलकारों के सम्बन्ध में निम्न दो वातों पर प्रकाश पड़ता है—

[१] काव्य में जो सौन्दर्य है उसका कारण एकमात्र अलकार ही है। वे ही शोभा के विधायक हैं।

[२] और चूंकि काव्य में सौन्दर्य रहता ही है अत उसके कारण-भूत अलकार भी अवश्य उपस्थित रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि अलकार काव्य के नित्य धर्म है।

ध्वनिकार ने जब काव्यात्मा ध्वनि को स्थिर कर दिया तो अलकारों से सम्बन्धित धारणाओं की जडे हिल गईं। उन्होंने अलकारों और गुणों में भेद बताते हुए काव्य के शरीर-भूत शब्द अर्थ के अस्थिर धर्म के रूप में इन्हें स्वीकार किया। ध्वनिकार के अनुसार अलकार के सम्बन्ध में निम्न मान्यताएँ स्वीकृत की गईं।

[१] काव्य के शारीर-भूत शब्द अर्थ के उपकारक होने से अलकार काव्यात्मा के परम्परया उपकारक है ।

[२] अलकार काव्य के नित्य धर्म नहीं, वे अस्थिर धर्म हैं। उनके बिना भी काव्यत्व देखा जाता है।

[३] अलकार काव्य की शोभा की सृष्टि नहीं करते, उसे बढ़ा ही सकते हैं ।

इस प्रकार अलकारो को काव्य-शोभा के विभायक की जगह साधन माना जाने लगा । इसी आधार पर परवर्ती आचार्य विश्वनाथ ने अलकारो का लक्षण निम्न प्रकार किया—

शब्दार्थयोरस्तिरा ये धर्मा शोभातिशायिन ।

रसादीनुपकूर्वन्तोऽलंकारास्तेऽङ्गदादिवस ॥

“शोभा को बढ़ाने वाले और रसादि के उपकारक जो शब्द अर्थ के अनित्य धर्म हैं वे अङ्गद (आभूपरग्विशेष) आदि की तरह अलकार कहाते हैं।”

मामह ने अलकारो को काव्य का प्राण बताते हुए अलकारो की भी आत्मा वक्षोक्ति को माना है। इसके विपरीत दण्डी ने अलकारो की

प्रेरक शवित, अतिशयोक्ति को ठहराया है।

अल्कारों की मूल प्रेरणा विचार करने पर ज्ञात होता है कि अल्कारों

क्या है ? की आत्मा या मूल प्रवृत्ति की खोज करते हुए

दोनो आचार्य प्राय एक ही तत्त्व पर पहुँचे

ये । नाम का भेद होते हुए भी दोनों का आशय एक ही वस्तु से है ।

भामह की वक्रोक्ति अतिशय ही है। इसी बात का निर्देश ‘काव्यप्रकाश’

की टीका में किया गया है—

“एवं चातिशयोक्तिरिति वक्रोक्तिरिति पर्याय इति बोध्यम् ।”

जिस तरह लोक में आत्मोत्कर्ष के प्रदर्शन के लिए स्त्रीयाँ आभूषण धारण करती हैं या पुरुष अपने को वस्त्रादिको से सजाते हैं उसी तरह

मन के उत्कर्ष या अतिशय की अभिव्यक्ति का साधन वाणी के अलकार हैं। मन के उत्कर्ष का आशय है भावोदीप्ति की अवस्था। जब हमारे भाव उद्दीप्त हो जाते हैं तो शरीर के रोम-रोम में आवेग या अतिशय प्रस्फुटित होने लगता है। यही आवेग वाणी के माध्यम में अलकारों का रूप घारण कर लेता है। सारांश यह है कि भावोदीपन के कारण हमारी वाणी स्वाभाविक रूप से अलकृत (अतिशयित) हो जाती है, क्योंकि ऐसा करने से भीतर के मानसिक विस्फार या अतिशय का बाह्य रूप से प्रदर्शन हो जाता है, जिससे हमें तुष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी, भामह और दण्डी का यह अभिभव कि अलकारों का प्राण अतिशयोक्ति है, ठीक है। यही तथ्य 'काव्यप्रकाश' में भी स्वीकार किया गया है—

**"सर्वत्र एवंविधविषयेऽनिशयोक्तिरेव प्राणस्त्वेभावतिष्ठते । तां विना
प्रायेणालकारत्वायोगात् ।"**

अलकारों के विकास को देखते हुए यह मालूम पड़ता है कि उनकी विषम-सीमा तथा संख्या सर्वथा अनिश्चित-सी है। भरत ने केवल चार अलकारों का उल्लेख किया है, जबकि मम्मट

अलकारों का मनोवैज्ञानिक आधार और वर्गीकरण	ने यह संख्या ७० तक पहुँचा दी। ऐसी अवस्था में अलकारों में समन्वय के सूत्र की खोज सर्वथा स्वाभाविक थी। इस दिशा में सर्वप्रथम रुद्र ने अलकारों का वर्गीकरण वास्तव, श्रीपम्य, अतिशय और इलेष के आधार पर किया। यद्यपि रुद्र का यह वर्ग-विभाजन सर्वथा वैज्ञानिक नहीं था तो भी उनका प्रयत्न एक सुष्ठु दिशा का निर्देशक बन सका। वाद में रुद्रक ने अलकारों के सात वर्ग बनाये —
--	--

/

[१] सादृश्यमूलक (उपमा, रूपक आदि) ।

[२] विरोधमूलक (विरोध, विभावना आदि) ।

[३] शृङ्खलावन्धक (कारणमाला, एकावली आदि) ।

- [४] तकन्यायमूलक (काव्यलिङ्ग, अनुमान आदि) ।
- [५] काव्यन्यायमूलक (यथास्थ्य, पर्याय आदि) ।
- [६] लोकन्यायमूलक (प्रत्यनीक, प्रतीप आदि) ।
- [७] गूढार्थप्रतीतिमूलक (सूक्ष्म, व्याजेक्षित आदि) ।

ये अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होते हैं ।

विश्वनाय और विद्याधर ने इनमें कुछ सशोधन करने का यत्न किया । और अब भी आधुनिक विद्वान् इस दिशा में प्रयत्नशील हैं । सुब्रह्मण्य शर्मा और श्री ब्रजरत्न जी ने क्रमशः आठ और पाँच वर्ग निश्चित किये हैं । परन्तु वर्गोंकरण के ये सभी प्रयत्न सन्तोषजनक सिद्धन हो सके । इस असफलता का कारण वह समझा जा सकता है कि अलकारो के स्वरूप-निधारिक उपादानों का क्षेत्र ही अपने आपमें विविध विषयक एवं असीमित हैं । उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि कुछ अलकार काव्य-शैली से सम्बन्ध रखते हैं तो दूसरे तर्क और न्याय का आश्रय लेते हैं ।

डा० नगेन्द्र ने 'रीतिकाव्य की भूमिका' में विवेचन करते हुए, अलकारो का प्रयोग किसलिए करते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि—“उक्ति को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए ।” उनके मत में उक्ति को प्रभावशाली बनाने के छ प्रकार हैं—स्पष्टता के लिए साधर्म्य, विस्तार के लिए अतिशय, आश्चर्य के लिए वैषम्य, अन्विति के लिए औचित्य, जिज्ञासा के लिए वक्रता और कौतूहल के लिए चमत्कार-मूलक अलकारो का प्रयोग । तदनुसार—“अलकारो के ये ही मनोवैज्ञानिक आंधार हैं ।”

यह वात स्पष्ट है कि अलकारो की सत्या निश्चित नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके उपादानों का क्षेत्र ही असीमित है—(अनन्ता हि वारिवक्त्वपाः । तथ्यकारा एव अलकारा—ध्वन्यात्मक ।) ऐसी अवस्था में वर्गोंकरण के लिए सर्वथा युक्तियुक्त और परिपूर्ण आधारों को

खोज निकालना एक प्रकार से अनभव ही है। और यदि वे शाधार भी अलकारों की सख्ती की तरह अनिश्चित होते चले जायें तो उनका ढूढ़ना ही निष्प्रयोजन है। इन कारणों से वर्गीकरण के सभी प्रयत्न अमन्त्रोष-जनक हो तो कोई आश्चर्य नहीं। इस दिशा में हमारी जिज्ञासा की सन्तुष्टि का एकमात्र यही आधार हो सकता है कि अलकारमात्र के मूल में भावोदीप्ति या अतिशय ही रहता है। श्राद्याचार्य भास्मह और दण्डी ने भी इतने से ही सन्तोष किया था।

अलकारों का प्रयोग किसलिए करते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि उक्ति को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए।

<p>प्रभावोत्पादन की आवश्यकता काव्य में ही नहीं काव्य में अलंकारों का स्थान</p>	<p>अपितु व्यवहार में भी रहती है। सर्वनावारण लोग भी अपने रात-दिन के काम-काज में अपनी वाणी को सबल बनाने के लिए अलकारों का प्रयोग करते हैं। किसी लीडर की प्रशसा में—“आप मनुष्य नहीं देवता है”। ऐसा कहा ही जाता है। इसी प्रकार “साम्राज्यवाद की चक्की में देश पिस रहा था” आदि वाक्य पार्टी-प्रोपेगण्डा के सिलसिले में अक्सर कान में पड़ते रहते हैं।</p>
--	---

परन्तु इसके आगे, काव्य में अलकारों का प्रयोग क्यों किया जाता है, जब यह प्रश्न सामने आता है तो केवल “प्रभावोत्पादन के लिए” इतनाभर कहना पर्याप्त नहीं। प्रभावोत्पादकता की खोजवीन भी आवश्यक हो जाती है। अलकारों के द्वारा काव्य में बहुत कुछ सिद्ध होता है। सौन्दर्य काव्य में खास बस्तु है। चित्रण को स्पष्टता देने की भी आवश्यकता पड़ ही जाती है, इत्यादि। अत हमें कहना पड़ेगा कि अलकारों के द्वारा काव्य में सौन्दर्य, स्पष्टता और प्रभावोत्पादन आदि सभी की अभिवृद्धि लक्ष्य रहता है। शुक्ल जी अलकारों का लक्षण करते हुए उनके प्रयोग के क्षेत्र की विविधता की ओर निर्देश करते हैं—

“वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुँचाने के लिए कभी-कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है, कभी उसके रूप-रग या गुण की भावना को, उसी प्रकार के और रूप-रग मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्म वाली और-और वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी-कभी बात को घुमा-फिराकर भी कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न-भिन्न विधान और कथन के ढग अलकार कहाते हैं।” अब एक उदाहरण लेते हैं —

अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुर सर।

अहो दैवगति कीटक् तयापि न समागम ॥

“सन्ध्या (या नायिका) लालिमा (पक्षान्तर में अनुराग या प्रीति) से युक्त है और दिवस (अथवा नायक) उसके सामने ही बढ़ा आ रहा है (सामने आ रहा है), पर ओहो! दैवगति कौसी है कि फिर भी उनका मिलन (समागम) नहीं होता।”

यहाँ समासोक्ति अलकार के द्वारा अप्रस्तुत जो नायक-नायिका-गत व्यवहार प्रतीत होता है उसके कारण उक्ति में सौन्दर्य आ गया है। और समान विशेषणों की महिमा से नायक-नायिका की विरह-गति मूर्त हो उठी है, जिससे चित्र में स्पष्टता आ गई है।

इसी प्रकार सूर्योदय के दो प्रसिद्ध चित्र अपनी नवस्फूर्तिमयी उद्बोधक आभा विखेन्द्रने के कारण प्रशसनीय हैं —

सखि ! नील नभस्सर में उत्तरा
यह हंस अहा ! तरता-तरता,
अब तारक मौक्किक शेष नहीं
निकला जिनको चरता-चरता ।
अपने हिम-विन्दु बचे तब भी,
चलता उनको धरता-धरता

गढ़ जायें न कण्ठक भूतल के
कर ढाल रह डरता-डरता ।

—मैथिलीशरण गुप्त

यहाँ शिलष्ट-परम्परित-रूपकालकार ने प्रातःकालीन सूर्य में राजहसं
की सम्पूर्ण शोभा सज्जित कर दी है ।

बीती विभावरी, जाग री
श्रम्भर पनघट में हुबा रही,
तारा-घट ऊषा-नागरी ।

—जयशंकरप्रसाद

रूपक अलकार के सामर्थ्य से ऊपा ने जो विदग्ध-सुन्दरी का रूप
धारण कर लिया है उससे सम्पूर्ण वातावरण सजीव हो उठा है,
और प्रातःकालीन कलरव स्पष्ट मुनाई देता है ।

अलकार की प्रभावोत्पादकता इस वात में होती है कि वह कवि के
भावों को श्रोता-के मन तक कितने बेग में प्रेपणीय बना देती है । श्रोता
के मन में भी कवि के भाव उतनी ही तीव्रता से उवाल खा जायें इसके
लिए वस्तु का 'विम्ब-ग्रहण' कराना होगा । यह कार्य भी अलकारों द्वारा
बड़ी उत्तमता से सम्पन्न होता है, जैसे—

नव प्रभा-परमोच्चल लीक सी,
गतिमती कुटिला फणिनी समा ।

दमकती दुरती घन अंक में,

विपुल केलि कला खानि दामिनी ॥—हरिश्चौध

'दमकती दामिनी' का विम्ब 'गतिमती-कुटिला-सर्पिणी' के द्वारा
श्रोता के मानस-पटल पर विद्युतिति से ही चमक उठता है, क्योंकि
दामिनी की तरह सर्पिणी भी कुटिल-गति-धर्मा और आतक-परि-
पूर्ण है ।

उक्त विवेचन के साथ-साथ यह प्रश्न भी स्पष्ट हो जाना चाहिए
कि क्या काव्य में अलकार अनिवार्य है ?

कलापक्ष को ही प्रधान्य देने वाले अलकार-सम्प्रदायिकों की तो मान्यता है कि काव्य में अलकार आवश्यक क्या काव्य में अलकार है, उनके बिना काव्यत्व सम्भव नहीं। अर्थात् अनिवार्य है ? अलकार काव्य के नित्य-घर्म ही हैं। जयदेव ने 'चन्द्रालोक' में साग्रह प्रश्न किया—

अंगीकरोति य. काव्यं शब्दार्थावनलकृती ।

असौ न मन्यते कस्माद्नुप्लामनलकृती ?

रस-भावादि का तत्त्व समझने वाले आचार्यों के लिए इसका उत्तर स्पष्ट था। उन्होंने न केवल अलकारों का ही, अपितु अलकार्य (रस) का भी पता पा लिया था। भाव के अभाव में वे किसी प्रकार भी काव्यत्व नहीं स्वीकार कर सकते। वया लोक-व्यवहार में पाई जाने वाली लच्छेदार और अलकृत वातचीत काव्य कही जा सकती है ? क्या मुँदे को अलकार धारण करदाकर सजीवता प्रदान की जा सकती है ? यदि नहीं, तो रस-भाव रूप आत्मा के बिना काव्यत्व कैसे ' वह भी असम्भव है—“तथा हि अचेतन शब्दशरीरं कुण्डलाद्युपेतमपि न भाति, अलंकार्यस्याभावात् (अभिनवगुप्त)।”

काव्यत्व का मूल कारण अलकारत्व नहीं, इस तथ्य को दूसरी तरह भी कह सकते हैं। सच्चे कवि में प्रतिभा होती है—‘‘प्रतिभैव च कवीनां काव्यकरणकारणम्’’ (अलंकारतिलक)। इसके बल पर वह [१] पदार्थ में निहित गूढ़ सौन्दर्य को देखता है और [२] उस असामान्य सौन्दर्य का उद्घाटन कर सर्वसाधारण तक पहुँचाता है, अर्थात् उसे प्रेषणीयता प्रदान करता है। डा० कारणे ने भी लिखा है—“A poet is one who is seer, a prophet, who sees visions and possesses the additional gifts of conveying to others.” (साहित्यर्दर्शण की भूमिका)। जब कवि गूढ़ सौन्दर्य का दर्शन कर चुकता है तो वही सौन्दर्य वाग्धारा-रूप में प्रवाहित

होने लगता है। यदि सौन्दर्य की अनुभूति न हो तो प्रवाहित ही क्या किया जा सकता है—यह मर्वया स्पष्ट है। अतः काव्य के मूल में सर्वप्रथम मन्य, सौन्दर्य, अनुभूति या भाव ही होता है। यही काव्य का प्राण है। इसी में काव्य में मजीवता आती है। सद्भाव से प्राणवान् काव्य को अलकार सजा सकते हैं, उसकी शोभा को बढ़ा सकते हैं। इसका निष्कर्ष यह हुआ कि अलकार काव्य के अनित्य धर्म है।

पहले यह स्पष्ट किया जा चुका है कि रस का उल्लेख भरत ने वाचिक अभिनय के रूप में किया है। अत ऐसा ज्ञात होता है कि परवर्ती कत्तिपय आचार्यों ने उसका सम्बन्ध अलकार-सम्प्रदाय का नाटक तक ही सीमित समझा। अत हम इतिहास देखते हैं कि पांचवी-छठी शताब्दी में भामह और दण्डी आदि जो आचार्य हुए, यद्यपि वे रस-मिद्दान्त ने परिचित पे तो भी उन्होंने अलकार को काव्यात्मा स्वीकार किया। यद्यपि भरत ने अपने नाट्य-शास्त्र में चार अलकारों—रूपमा, रूपक, दीपक और वमक का उल्लेख किया है तो भी अलकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवेचन भामह के काव्यालकार में ही मिलता है। इस प्रकार भामह अलकार-सम्प्रदाय के आद्याचार्य हुए। परन्तु एक बात ध्यान में रखने की है, भामह का अलकार सम्बन्धी विवेचन इतना प्रौढ़ है कि अलकारों के विवेचन की परम्परा इनसे पहिले की चली आती हुई प्रतीत होती है। नाट्यशास्त्र में 'अलकार' तो है ही, भामह ने स्वयं भी मेधाविन् नामक पूर्वाचार्य का सादर उल्लेख किया है। इसी प्रकार भट्टिकाव्य, जो एक व्याकरण का ग्रन्थ है, में भी इन अलकारों का उल्लेख है। वह भी भामह से पहले का ग्रन्थ है। इन सब वातों से उक्त धारणा की पुष्टि सम्यकृत्या होती है।

भामह के पदचात् आचार्य दण्डी ने अलकारों के छपर 'काव्यादर्श' की रचना की। दण्डी जी विशेषता यह है कि उन्होंने—“काम्यशोभाकरान्

धर्मनि॑ श्रलंकारान् प्रचक्षते”—कहकर अलकारो को असन्दिग्ध रूप में काव्य का शोभाविधायक माना। भामह ने ३८ अलकारो का तथा दण्डी ने ३५ का उल्लेख किया। परन्तु रसो को दोनो आचार्यों ने रसवत्, प्रेयस, ऊर्जस्वित और समाहित नामक अलकारो के अन्तर्गत माना। यद्यपि ये आचार्य रस-सिद्धान्त से परिचित थे तो भी काव्यमात्र में रस का उचित स्थान निर्धारित नहीं कर सके। उन्हे काव्य में सबसे महत्वपूर्ण अलकार ही प्रतीत हुए। अत उन्होंने रस को अलकारो के अन्तर्गत लाने की चेष्टा की। उनके अनुसार रसवदलकारो का कोष्ठक निम्न है—

रसवदल- कार	[१] जहाँ रस परिलक्षित होते हैं वहाँ रसवदलकार होता है।			
	[२] जहाँ भाव " "	प्रेयस अलकार "	" "	
	[३] जहाँ { रसाभास " "	ऊर्जस्वित "	" "	
	भावाभास			
[४] जहाँ	{ भावशान्ति			
	भावोदय			
	भावसन्धि "	,, समाहित "	" "	
	भावशब्दता			

ध्वनिवादियों ने रसवदादि अलकारो के सम्बन्ध में यह सशोधन किया कि जहाँ रस (रस्यते इति रस इस व्युत्पत्ति के आधार पर रस, भाव, तदाभास और भावशान्त्यादि चारों रस कहाते हैं) किसी अन्य के अग रूप में प्रतीत होते हैं वहाँ पर ही रसादि (ध्वनि रूप न होकर) रसवदलकार के अन्तर्गत है, सर्वत्र नहीं। अस्तु ।

भामह ने अलकार शब्द को व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हुए रचना एव कल्पना के सौन्दर्य को काव्यात्मा कहा। उनके मत में वक्रोक्ति (काव्यात्मक अभिव्यजना), जो अलकार के मूल में रहती है, से रचना और कल्पना दोनों के सौन्दर्य की समृद्धि होती है—

सैवा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थे विभाव्यते,
यत्नोऽस्या कविना कार्यं कोऽलंकारोऽनया विना । काव्यालंकार
परन्तु भामह के विपरीत दण्डी ने वक्रोक्ति के स्थान पर अतिशय
को अलंकार की आत्मा कहा—

अलंकारान्तरणामन्येकमाहुं परायणम् ।

वागीशमहितामुक्तिमिमातिशयाहृप्राम् ॥ काव्यादर्श ॥

जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि दण्डी का अतिशय
और भामह की वक्रोक्ति एक ही तत्त्व के प्रतिपादक हैं ।

भामह के मत के प्रमुख व्याख्याता उद्घट हुए । इन्होंने ‘भामह-
विवरण’ लिखा और दृष्टान्त, काव्यलिंग आदि अलंकारों की
उद्भावना की । इसके बाद आचार्य रुद्रद् हुए । इन्होंने ग्रन्थिक
महत्त्व के कार्य किये—[१] एक तो अलंकारों के वर्गीकरण की परि-
पाठी डाली और दूसरे [२] रस और भाव आदि को अलंकारों के
अन्दर ही समाहृत करने की प्रमुख भूल का निराकरण किया । इन्होंने
अपने समकालीन विभिन्न मतों का अच्छा अध्ययन भी किया था । ये ही
सर्वप्रथम आचार्य हुए जिन्होंने ‘रम’ का विवेचन काव्यशास्त्र के ग्रन्थों
में किया । इसमें पूर्व के यन्यकार रम को नाटक का विषय मानकर
छोड़ देते थे ।

अलंकार-सम्प्रदाय के पीछे अभी तक यह दृष्टि रही कि काव्य को
चमत्कृत करने वाली सभी विशेषताओं का सम्रह किया जाए । उन
विशेषताओं में परस्पर भेद करने की चेष्टा नहीं की गई और ना ही
सूक्ष्मता से यह देखा गया कि काव्य और प्रबन्धन-सामग्री का नम्बन्ब
क्या है । परन्तु रुद्रद् के पश्चात् ध्वनि के आत्मा-रूप में सामने आने
पर यह न्यूप्त हो गया कि आन्तरिक गुणों और वाहेय आभूषणों में
भेद होता है । इसलिए मावुर्यादि गुणों तथा उपमादि अलंकारों में भेद
है । इसके साथ यह भी मालूम हो गया कि ग्रन्थिकारों के अन्तर्गत मभी

प्रसाधनो को ममाहृत करने की चेष्टा व्यर्थ है। शब्द और अर्थ की जोभा की वृद्धि करने वाले उपाय ही अलकार हो नकते हैं, गुण अलकार नहीं। इसमें पूर्व अलकारवादी गुण और अलकारों को एक ही ममझते थे—‘उद्भटादि/भैस्तु गुणालकाराणां प्रायशः साम्यमेव सूचितम् ।’

इस सबका परिणाम यह हुआ कि अलकारों की स्थिति के सम्बन्ध में यह निश्चिन मत कि वे काव्य के अनिवार्य अग नहीं हैं, स्पष्ट हो गया। और इसके बाद परवर्ती आचार्यों ने ऐसा ही सम्पुष्ट किया। आचार्य ममट व विश्वनाथ ने स्पष्ट रूप ने उद्घोषित किया कि अलकार काव्य के अस्थिर धर्म है। वे रस के उपकारक होकर ही महत्व पा सकते हैं।

अन्त में स्थ्यक ने ‘अलकारसर्वस्व’ की रचना की, जिसमें अलकारों के वर्गीकरण का परिकार करते हुए नए ढंग से छ ग्राघार ढूँढ़े।

हिन्दी को अलकारशास्त्र की ममट और विश्वनाथ वाली समन्वित परम्परा ही मिली, जिसमें इनका महत्व सर्वोपरि सुस्थिर हो चुका था। तो भी केशव-जैसे अलकारवादी हिन्दी में मिल ही जाते हैं—

जदपि जाति सुलच्छनो, सुबरन, सरस सुवृत्त ।

भूषन चिन न विराजहीं, कृष्णा, वनिता, मित्त ॥

— — —

रीति-सम्प्रदाय

‘रीति-सम्प्रदाय’ के प्रमुख व्याख्याता वामन हुए हैं। उन्होंने ‘काव्यालकारसूत्र’ की रचना की, जिसके अनुसार ‘रीति’ को काव्यात्मा माना गया। रीति के स्वरूप-निधारिक सूत्र निम्न वामन द्वारा प्रतिपादित प्रकार हैं—

रीति का स्वरूप
और लक्षण

(i) रीतिरात्मा काव्यस्य ॥२६॥
काव्यात्मा रीति है, अर्थात् काव्य-
सौन्दर्य का मूल कारण ‘रीति’ है।

रीति क्या है ?

(ii) विशिष्टा पदरचना रीति ॥१२७॥

विशिष्ट पदरचना ही रीति (श्रावृतिक शब्दावली में शैली कह सकते हैं) है। पदरचना में वैशिष्ट्य कैसे आता है ?

(iii) विशेषो गुणात्मा ॥१२८॥

पद-रचना का वैशिष्ट्य उसकी गुणात्मकता में है। अत गुणात्मक पदरचना का नाम ‘रीति’ है।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि पदरचना का वैशिष्ट्य विभिन्न गुणों के सद्व्ययों के आश्रित है। इसलिए गुणों की सूज भी आवश्यक है। गुणों के साथ दोषों का लेखा-जोड़ा लगा ही रहता है। गुणों के सम्बन्ध में उनका मन्तव्य है—

काव्यगोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः ।

तद्विशयहेतवस्त्वलकारा ॥

काव्य की शोभा के विधायक-धर्म ‘गुण’ हैं, और उस शोभा के वृद्धिकारक हेतु अलकार होते हैं। अत गुणों और अलकारों में स्पष्ट

रूप से भेद है। गुण नित्य-धर्म हैं और अलकार अनित्य, क्योंकि अकेले गुण पदरचना में वैशिष्ट्य ला सकते हैं, परन्तु केवल अलकार नहीं।

इस प्रकार उन्होंने गुणों को नित्य मानकर शब्द और अर्थ के क्रमशः दस-दस गुण बताये, शब्द-गुणों और अर्थ-गुणों के नाम एक ही है, परन्तु लक्षण भिन्न-भिन्न— ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता, अर्थव्यक्ति, कान्ति। इन गुणों के विरोध में आने वालों को दोष माना। उन्हें वे गुणों का विपर्यय कहते हैं— “गुणविपर्यात्मनो दोषा”। अर्थात् उन्होंने दोषों की कोई भावात्मक स्थिति स्वीकार नहीं की। गुणों के अभाव को वे दोष मानते हैं।

रीतिर्यां भी तीन हैं— (१) वैदर्भी (२) गौडी (३) पाञ्चाली। वामन के अनुसार वैदर्भी में दसों गुणों का समावेश रहता है, जबकि गौडी और पाञ्चाली में क्रमशः ओज व कान्ति और माधुर्य व सौकुमार्य इन दो-दो गुणों का महत्व है। रीतियों के नामकरण के विषय में लिखते हुये वह इस शका का निवारण भी कर देते हैं कि प्रदेशविगेष से काव्य का वैसा सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है—

विदर्भादिषु दृष्टत्वात्तसमाख्या ॥१२।१०॥

केवल विदर्भादि देशों में वैसी रीति का विशेषतया प्रचलन होने के कारण उस प्रकार का नाम रखा गया है। —“विदर्भगौडपाञ्चालेषु देशेषु तत्रत्यै कविभिर्यथास्वरूपमुपलब्धत्वाहेशसमाख्या । न पुनर्देशै किञ्चिदुपक्रियते काव्यानाम् ।”—वृत्ति ॥

संक्षेपत वामनाचार्य का मन्तव्य यह है कि काव्य के सौन्दर्य का मूल कारण रीति है, और रीति पदरचना का वह प्रकार है जिसमें दोषों का अभाव, अलकारों का सामान्यतया प्रयोग और गुणों का अनिवार्यरूपेण समावेश हो। तो, वामनाचार्य का प्रधान कर्तृत्व निम्न प्रकार हुआ—

- (i) उन्होंने साहस के साथ रीति को काव्यात्मा उद्घोषित किया, और तीन रीतियाँ मानी, जो परवर्ती आचार्यों द्वारा भी स्वीकृत की गईं।
- (ii) इन्होंने गुणों और अलकारों में भेद प्रतिपादित किया।
- (iii) दोषों की भावात्मक सत्ता स्वीकार नहीं की। इसे परवर्ती आचार्यों ने अमान्य ठहराया।
- (iv) वर्णोक्ति को अर्थात्कारों में शामिल किया।
- (v) वामन द्वारा रीति के प्रतिपादन से स्पष्ट होता है कि उनकी पहुँच प्रधानतया काव्य के वाद्याङ्ग तक ही रही। परन्तु अन्तरङ्ग मर्वथा अद्यूता रहा हो, सो नहीं। क्योंकि उन्होंने अर्थ-गुण कान्ति में रस की दीप्ति अनिवार्य मानी है—“दीप्तरसत्त्व कान्तिः” ॥३।२।१४॥

आचार्य वामन ने अपने ‘काव्यालकारसूत्र’ ग्रन्थ का प्रणयन द्वीशातावदी में किया। इससे यह न समझना चाहिए कि रीति-विषयक विचार का श्रीगणेश यही से प्रारम्भ होता है। रीति-सम्प्रदाय का वन्नुन रीति की परम्परा रस और अलकार इतिहास मम्प्रदायों को तरह ही पुरातन काल से चली आने वाली है। वामन ने तो रीति को काव्यात्मा के रूप में स्वीकार कर प्रथम कोटि का महत्त्व प्रदान करना चाहा। ‘रीड़’ धातु से ‘क्षिति’ प्रत्यय करने पर “रीति” शब्द सिद्ध होता है। इसका अर्थ हुआ—गति, पद्धित, प्रणाली या मार्ग आदि। इस ‘रीति’ शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम वामन ने ही किया है, दूसरे आचार्य मार्ग आदि शब्दों द्वारा रीति का प्रतिपादन करते रहे। जैने दण्डा ने—
 अस्त्वदनेको गिरा मार्गं सूक्ष्मभेदं परस्परम् ।
 तत्र वैदर्भगौढीयौ वर्येवं प्रस्तुटात्तरौ ॥काव्यादर्ग ॥

वामन-मतानुसार गुण रीति के मूल तत्त्व । दण्डी की भी यही मान्यता थी । इन गुणों का विवेचन तो भरत के नाट्यशास्त्र में मौजूद है, परन्तु रीति के विषय में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा । भरत की दृष्टि में दोषाभाव रूप दस गुण होते हैं । इस प्रकार के दोषों के अभाव से दस गुण माने, उनकी सत्ता अभावात्मक है । गुण और दोषों के सम्बन्ध में भरत और वामन का दृष्टिकोण सर्वथा विपरीत है । भरत दोषों को भावात्मक (Positive) मानते हुए गुणों को अभावात्मक (Negative) मानते हैं । जबकि वामन का मत है कि दोष अभावात्मक है और गुण भावात्मक । परन्तु विचार करने पर गुण और दोष दोनों की ही भावात्मक सत्ता मान्य ठहरती है । गुणों का अभाव होने से दोष नहीं गिनाये जा सकते और न ही दोषों के न होने से गुणवत्ता दीखती है । लोक में भी गुण-दोषों, दोनों की भावात्मक सत्ता स्वैकृत है । इसी विचार से परवर्ती आचार्यों ने गुणों और दोषों दोनों को भावात्मक माना । दोषों की सख्त्या बढ़ते-बढ़ते सत्तर तक पहुँची । अस्तु !

भरत का गुण-विषयक श्लोक यह है —

श्लेष. प्रसाद. समता. समाधिमधुर्यमोज. पदसौकुमार्यम् ।

अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च काव्यार्थगुणा दृश्यते ॥

—नाट्यशास्त्र ॥

भरत ने शब्द-गुणों तथा अर्थ-गुणों की पृथक्ता के सम्बन्ध में भी कोई निर्देश नहीं दिया । इनके बाद भामह ने रीति का उल्लेख तो किया । परन्तु उसे कोई महत्त्व प्रदान नहीं किया । उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य का मूल तत्त्व प्रतिपादित करते हुए गुणा को सख्त्या—माधुर्य, ओज और प्रसाद—इन तीन के ही अन्तर्गत सीमित कर दी । बाद को ये ही तीन गुण भारतीय काव्यशास्त्र में प्रामाणिक रूप से प्रतिष्ठित हुये ।

दण्डी ने रीति का विस्तृत विवेचन वैदर्ग्य और गोड इन दो मार्गों के रूप में किया, पर अलकारो और गुणों में स्पष्ट भेद न कर सके, तथा

दस गुणों को प्राय भरत के अनुकरण में ही स्वीकार कर लिया। इसलिए भरत की तरह दण्डी का गुण-विवेचन भी अस्पष्ट ही रहा। शब्द-गुणों और श्र्वय-गुणों का भेद भी इन्होने नहीं किया। इसके अतिरिक्त इनका पह भी स्थाल था कि वैदर्भ-मार्ग या रीति के दसों गुण मूल तत्त्व होते हैं, और उन गणों का श्रमाव गौड़ीय रीति में पाया जाता है।

३८४ दैर्घ्यमार्गस्य प्राणा दशगुणा स्मृता ।

एषां विपयय प्रायो दृश्यते गौहृवर्तमनि ॥

परन्तु दण्डी का यह विचार उचित नहीं, क्योंकि ओज गुण वैदर्भी रीति के गद्य में तो आवश्यक है परन्तु पद्य में नहीं जबकि गाँड़ीय मार्ग में ओज पद्य में भी सर्वोपरि स्थान रखता है। दण्डीने दोपो की सर्या भी भरत की तरह दस मानी है। भामह के ग्यारहवें दोप को उन्होंने अव्यक्त माना।

आचार्य वामन अपने मन्त्रव्य को साहस और स्पष्टता के साथ कहना जानते थे। अतएव ये स्वतन्त्र रीति-सम्प्रदाय के प्रवर्तक हो सके। भरत और दण्डी के अनुकरण का पल्ला न पकड़कर इन्होंने अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्तों को तर्क का सहारा दिया। दो की जगह तीन रीतियाँ मानी। गुण और अलकारों में भेद कर गुणों का स्पष्ट विवेचन किया। घट्ट और अर्थ के दस गुण माने, जिनका नाम दोनों जगह एक ही है, परन्तु नक्षण भिन्न-भिन्न होता है। इस दृष्टि में वामन का कर्तृत्व आन्तिकारी था। उन्होंने अन्य आलकारिकों की तरह 'रस' को अलकारों के अन्तर्गत समाविष्ट न रख्य-गुण कान्ति में रखा। यद्यपि परवर्ती आचार्यों को वामन के मत में अनेक प्रकार की वृद्धियाँ मालूम हुईं तो भी काव्य-बाह्याङ्ग के विवेचन और स्वतन्त्र उद्घावनाएँ करने की उनकी प्रवृत्ति का लोहा स्वीकार करना ही पड़ता है।

वामन की तीन रीतियों के साथ रुद्र ने चौथी 'लाटी' रीति

को भी लाकर खड़ा किया, परन्तु इसका विशेष महत्त्व न जँचा। इसके पश्चात् ध्वनिवादियों के तर्कों ने 'अलकार्य' और 'अलकार' का स्पष्ट भेद उपस्थित कर सोचने की धारा को ही बदल दिया। अलकार्य (काव्यात्मा-रूप ध्वनि) की सर्वोपरि महत्त्व स्थापित होने से रीति-सम्प्रदाय भी, अलकार-सम्प्रदाय को तरह वाह्याङ्गदर्शी-मात्र होकर "उत्कर्षहेतव प्रोक्ता. गुणालकाररीतय (साहित्यदर्पण)" के अनुसार रसोत्कर्ष के हेतुओं की कोटि में जा पड़ा। ध्वनिवादियों ने रीति को वाह्य रूप की शोभा का उपादान मानते हुए "वाच्य-वाचक-चारुत्व-हेतु" कहा। रीति की केवल इतनी ही उपयोगिता भानी गई कि वह रस-परिपाक में सहायक होती है। अभिनवगुप्त ने तो अलकारों और गुणों के रहते रीति की पृथक् सत्ता को ही अनावश्यक ठहराया। इसके अतिरिक्त ध्वनिवादियों ने दस गुणों के स्थान पर भामह की तरह तीन गुण—माधुर्य, ओज और प्रसाद—ही पर्याप्त समझे। हीं गुणों का महत्त्व इसलिए अवश्य कायम रहा कि वे काव्यात्मा (रस) के नित्य अङ्ग माने गये।

आचार्य कुन्तक ने भी काव्य को कवि-प्रतिभा-जन्य बताते हुये रीति-विभाजन और रीतियों में कोटि-ऋग्म-निर्धारण, दोनों को असंगत माना। उनकी दृष्टि से रीति केवल कवि-कर्म का ढग है, और वह ढग रचना के गुणों के अनुसार दो प्रकार का — सुकुमार और विचित्र— हो सकता है। उक्त दोनों प्रकारों के चार गुण—माधुर्य, प्रसाद, लावण्य और आभिजात्य—मूलतत्त्वों के रूप में स्वीकार किये। इसके अतिरिक्त 'आचित्य' एवं 'सौभाग्य' ये दो गुण तो काव्यमात्र में होने चाहियें। कुन्तक के विवेचन में 'वदतो-व्याघात' का दोष प्रतीत होता है। जिस बात के लिए वे वामन को दोषी ठहराते हैं, वही दोष उनके भत में मालूम होता है।

अन्त में स्स्कृत-साहित्य-शास्त्र के समाहारवादी व्याख्याकार मम्मट और विश्वनाथ आते हैं। मम्मट ने वामन की तीन रीतियों को स्वीकार करते हुए उद्धृत की वृत्तियों से मेल कर दिया। इसके अनुसार वैदर्भी, गौड़ी और पाञ्चाली क्रमशः उपनागरिका, परुषा और कोमला ही हैं। इसे हम निम्न प्रकार से रखेंगे—

वैदर्भी=उपनागरिका (माघुर्य-व्यञ्जक वरणों के आश्रित)

गौड़ी=परुषा (ओज-व्यञ्जक वरणों के आश्रित)

पाञ्चाली=कोमला (माघुर्य व ओज-व्यञ्जक वरणों से भिन्न वरणों के आश्रित)

परन्तु मम्मट ने वामन के दस गुणों की आलोचना कर उन्हे तीन गुणों के अन्तर्गत ही समाविष्ट कर दिया। विश्वनाथ ने उद्धृत की तरह चार रीतियों का प्रतिपादन किया।

रीति-सम्प्रदाय के इतिहास से स्पष्ट है कि यह काव्य के वाह्यान्तर या शरीर को ही सर्वस्व भानकर छला, काव्यात्मा तक इसकी वैसी पहुँच न हो सकी। इसलिए यह सम्प्रदाय दीर्घजीवी न हो सका और न ही स्स्कृत-साहित्य-शास्त्र में वह प्रतिष्ठा पा सका। ऐसी अवस्था में हिन्दी-साहित्य में रीति-सम्प्रदाय की परम्परा प्राप्त न हो तो कोई भी आश्चर्य नहीं। हाँ, हिन्दी में 'रीति' शब्द का प्रयोग बहुत हुआ है, परन्तु वह अपने ही अन्य विशिष्ट अर्थ में। वह काव्य-रचना-सम्बन्धी नियमों के विधान अथवा कविता करने की रीति सिखाने से ही सम्बद्धित है। इस प्रकार हिन्दी में 'रीति-काल', 'रीति-प्रन्थ' और 'रीति-वादी-आचार्य' आदि जो प्रयोग होता है उसका अर्थ होता है—“काव्य-रचना सम्बन्धी नियमों की शिक्षा देने वाले लक्षणग्रन्थों की प्रधानता वाला काल”, इत्यादि।

रीति-सम्प्रदाय काव्य के कलापक्ष को प्रावान्य देने वालों में गिना जायेगा। इस दृष्टि से आलकारिकों से इसकी नमता है। परन्तु एक

बात से रीतिवादियों का महत्व अपेक्षाकृत अधिक है। आलकारिक काव्यात्मा अलकारो में ढूँढते रहे जब कि यह रीति तथा अन्य सम्प्रदायों की तुलना स्पष्ट है कि काव्य विना अलकारो के भी रहसकता है। रीति के आचार्यों ने काव्यात्मा गुणों में पहचानने की कोशिश की। और वे उसके काफी निकट पहुँच गये, परन्तु इतना फिर भी नहीं पहिचाना कि गुण वस्तुत 'किससे सम्बन्धित है। अत यह कहा जा सकता है कि रीति के आचार्यों ने काव्यात्मा ढूँढने में अलकारवादियों की अपेक्षा अधिक प्रगति की। इसके अतिरिक्त रीतिवादियों द्वारा गुणों का विस्तृत विवेचन किये जाने पर भी वे वास्तविक 'गुणी' का पता न पा सके। गुणों का सम्बन्ध रीति से ही जोड़ दिया, जो वास्तव में काव्य की वाह्याकृति ही हो सकती थी। इस भूल को ध्वनिवादियों ने 'अलकार्य' और 'अलकार' के भेद के विवेक के कारण नहीं दुहराया। उन्होंने काव्यात्मा रूप रस से गुणों का सम्बन्ध पहचानकर यह बताया कि शृंगार और करुण रस में मावृद्ध गुण की विशेषता रहती है, रौद्र, वीर और अद्भुत रसों में ओज मुख्य है और प्रसाद सभी रसों से सम्बन्धित है।

ध्वनि-सम्प्रदाय

पश्चिम के देशों में काव्यशास्त्र की प्रवृत्ति काव्य के उत्कर्षक एवं अपकर्षक नियमों का सम्भवात्र करने की रही, उनमें परस्पर सम्बन्ध निर्बारण कर सुशृङ्खलता स्थापित करने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। फलत वह भारतीय काव्यशास्त्र की तरह समन्वित नहीं हो सका। परन्तु इन्हरे भारतीय आचार्यों की काव्य के सम्बन्ध में भी वही चिरपरिचित दृष्टि रही जो विविध प्रपञ्चात्मक सङ्ग्रहों में एकत्र या अद्वितीय की खोज किया करती है। वे यह अच्छी तरह जानते थे कि दो-चार शब्दों में काव्य का लक्षण बता देना नितान्त असम्भव है, उसके लिए तो काव्यात्मा के रूप में काव्य के मूलभूत तत्त्व को खोजकर काव्य के शरीर और अङ्गोपाङ्गों की अन्विति ठीक से विठानी होगी। तभी काव्यपुरुष का स्वरूप विशद रूप में सामने आ सकता है। ईसा की आठवीं शताब्दी तक भरत के नाट्यशास्त्र, भामह के काव्यालकार, उद्घट के भामहविवरण, वामन के काव्यालकारसूत्र और रुद्रद के काव्यालकार की रचना उक्त दृष्टि को लेकर ही होती रही, परन्तु रसवादियों के सिवाय अन्य आचार्य काव्यात्मा की खोज में सफल नहीं कहे जा सकते, क्योंकि अलकार तथा रीतिवादी आचार्य तो स्पष्टत काव्य के वाद्याङ्ग। तक ही पहुँचे, और रसवाद में भी रमणीय फुटकर छन्दों को काव्यकोटि में लाने के लिए विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी की पूरी सङ्गति न दिखा सकने के कारण, अब्दवत् पड़ती थी।

ऐसी अवस्था में नवी शताब्दी में रजानकानन्दवर्घनाचार्य ने अपने युग-प्रवर्तक ग्रन्थ 'ध्वन्यालोक' के द्वारा ध्वनि को 'काव्यात्मा' के रूप में प्रतिष्ठित कर काव्यपुरुष को सर्वथा सजीव ध्वनिकार का कर्तृत्व रूप में समुपस्थित कर दिया। इन्होंने अपनी रोचक एव पाण्डित्यपूर्ण शैली में निम्न कार्य सम्पन्न कर दिखाये —

- (१) काव्यात्मा रूप ध्वनि का अनुसन्धान।
- (२) ध्वनि के सम्बन्ध में सम्भावित आन्तियो का निराकरण।
- (३) पूर्वप्रचलित रस, गुण, रीति और अलकार आदि भौतो का ध्वनि-सिद्धान्त में समाहार।
- (४) ध्वनि का भौलिक एव अप्रत्यक्ष विशद विवेचन कर काव्य के एक सर्वाङ्गपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन।

यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है कि वया ध्वनि-सिद्धान्त के एकमात्र आदिप्रवर्तक "ध्वन्यालोक" ग्रन्थ के रचयिता आनन्दवर्घनाचार्य ही थे? इस सम्बन्ध में ध्वनिकार ने प्रथम कारिका में ही—काव्यस्यात्मा ध्वनि-रीति दुर्धर्य समानातपूर्व, (काव्यात्मात्पूर्व ध्वनि विद्वानों के द्वारा पहले से ही प्रकाशित होती चली आई है) आदि कहकर स्वत ही स्पष्ट कर दिया है कि ध्वनि-सिद्धान्त सर्वथा नवीन नहीं। वह पूर्ववर्ती विद्वानों द्वारा कथित है। आगे चलकर वृत्ति में—“सूरभि. कथितः इति विद्वद्दुपश्येय-सुक्ति, प्रथमे हि विद्वासो वैयाकरणा ”—इस कथन द्वारा यह भी प्रकट कर दिया कि वे विद्वान् वैयाकरण ही हैं जिनके स्फोट-सिद्धान्त के के आधार पर ध्वनि-सिद्धान्त का उद्भव हुआ है। इसके साथ-साथ ध्वनि की मूल साधिका 'व्यञ्जना वृत्ति' का उल्लेख भारतीय दर्शन-ग्रन्थों में पहले से ही होता चला आया था। इतना होने पर भी यह निर्विवाद है कि ध्वनि-सिद्धान्त का साङ्गेपाङ्ग शास्त्रीय विवेचन प्रथमत “ध्वन्यालोक” ग्रन्थ द्वारा ही हुआ है।

‘ध्वन्यालोक’ की कारिकाओं और वृत्ति के कर्ता एक ही थे या अलग-अलग यह ऐतिहासिक प्रश्न अभी तक विवादात्पद है। डाक्टर बुहलर, डाक्टर डे, और डाक्टर कारणे आदि ने कारिकाओं और ध्वनिकार और वृत्तिकार वृत्ति को दो भिन्न व्यक्तियों की रूचना माना है। इसके विपरीत डाक्टर सकरन ने दोनों को एक ही व्यक्ति की कृति सिद्ध करते हुए परम्परागत मान्यता का समर्थन किया है।

ध्वनि-सिद्धान्त के पुरस्कर्ता अपना गौरव इस उद्घोषणा में मानते हैं कि उनका सिद्धान्त स्व-कल्पित या आविष्कृत नहीं अपितु “विद्वदुपज्ञेय-सुक्ति” (विद्वन्मतानुसारी कथन) है। विद्वानों ध्वनि-सिद्धान्त का उद्भव से उनका तात्पर्य वैयाकरणों से है, जिनके गम ‘स्फोटवाद’ स्फोट-सिद्धान्त के आधार पर इन्होंने ध्वनि-सिद्धान्त का विस्तार किया। अब यहाँ पर यह देख लेना आवश्यक है कि वैयाकरणों का उक्त स्फोट-सिद्धान्त क्या है, ताकि ध्वनि सिद्धान्त के उद्गम की कहानी स्पष्ट हो जाय।

वैशेषिक दर्शन के अनुसार शब्द का आश्रय आकाश है तथा उसका ग्रहण कर्णेन्द्रिय या रेडियो आदि यन्त्रविशेष के द्वारा होता है। और उसकी उत्पत्ति के तीन कारण हो सकते हैं—(१) सयोग (२) विभाग और (३) शब्द। धटा या भेरी आदि के वजने पर जो शब्द होता है वह सयोग है, क्योंकि भेरी और दण्ड के सयोग से उत्पन्न हुआ है। बाँन की दो खपच्चों को फाड़ने से जो शब्द पैदा होता है वह दलद्वय के फटने के जारण उत्पन्न होने से विभागज है। और मूख द्वारा जिस शब्द का उच्चारण किया जाता है वह भी नयोगज या विभागज ही है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भी स्वरयन्त्र के स्वत्ततुओं (Vocal Chords) के नयोग और विभाग से होती है। और इस प्रकार ने पैदा हुये सयोगज और विभागज ‘शब्द’ कर्णेन्द्रिय तक एक विशेष चक्रमयी-शब्द-नरञ्जोंकी शूद्धिलाको पैदाकरते

हुए पहुँचते हैं। जिस प्रकार तालाव में फैका गया पत्थर चारों ओर को लहरों के वृत्तों की शृङ्खला को प्रवाहित कर देता है, उसी तरह आकाश में पदार्थों का सयोग या विभाग चक्रमयी-शब्द-तरङ्गों की शृङ्खला को जन्म देता है। इस शृङ्खला में आदि का प्रथम शब्द सयोगज या विभागज है और उसके बाद के सब शब्दज हैं। घण्टे पर मुगरी के प्रहार में जो प्रथम सयोगज शब्द पैदा होता है वह दूसरी शब्दतरङ्ग को पैदा करता है। इस दूसरी शब्दतरङ्ग से तीसरी, तीसरी से चौथी, वस यही शब्द-धारा का क्रम आकाशस्थ बायुमण्डल में व्याप्त हो जाता है। और जहाँ कही शब्द ग्रहण करने का यत्र करण आदि होता है वह सुना जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आकाश में अहर्निश पैदा होने वाली अनन्त शब्द-धाराओं में आदि शब्द सयोगज या विभागज होते हैं और शेष सभी शब्दतरङ्ग पूर्व शब्द से पैदा होने के कारण शब्दज हैं। हमारे कानों में दूरस्थ घण्टानाद का जो शब्द पड़ता है वह व्याप्त शब्दतरङ्ग की एक मध्य की कड़ी होने से शब्दज है। शब्द-श्रवण-प्रक्रिया की इस प्रगति को पारिभाषिक शब्दावली में ‘वीचिन्तरङ्गन्याय’ के द्वारा स्पष्ट किया जाता है।

शब्द-श्रवण-प्रक्रिया को ध्यान से देखने से यह भी ज्ञात होता है कि चक्रमयी-शब्द-तरङ्गों की धारा हमारे कान तक जब पहुँचती है तो शब्द सुनाई देता है और जब वह आगे बढ़ जाती है तो सुनाई देना बन्द हो जाता है। इस अवस्था में नैयायिक कहते हैं कि शब्द का नाश हो गया और वह अनित्य है। इसके विपरीत वैयाकरणों की मान्यता है कि शब्द नित्य है, वह नष्ट नहीं होता, उसका तिरोभावमात्र होता है। कुछ भी हो, परन्तु इतना तो उभयसम्मत है कि श्रूयमाण शब्द क्षणिक है।

जब शब्द क्षणिक है तो कई वरणों से मिलकर बने पद और पदों से बने वाक्यों का श्रवण कैसे सम्भव है? क्योंकि घट, पट इत्यादि पदों के उच्चारण के समय प्रत्येक वरण का क्रमिकरूपेण उद्भव और विनाश

होना चला जायेगा, समुदाय-रूप में पद की स्थिति कभी सम्भव नहीं। घट के घृ के श्रवण के समय आकार की उत्पत्ति ही नहीं हुई है और जब तक अ वर्ग का उच्चारण किया जायेगा तब तक घृ उत्पन्न होकर विनष्ट या तिरोभूत भी हो चुकेगा। इन प्रकार पद और वाक्य का समुदाय रूप में जब श्रवण ही सम्भव नहीं तो अर्थवोद कैसे सम्भव है, वह तो दूर की बात है।

उक्त समस्या का नमायान शब्द-विज्ञान के अद्वितीय ग्रन्थ “महा-भाष्य” में पतञ्जलि मुनि ने स्फोट-सिद्धान्त की कल्पना द्वारा किया। इनके अनुसार श्रूयमाण वर्ण (वैयाकरण व्वनि या नाद कहते हैं) अर्थ की प्रतीति कराने में समर्थ नहीं, क्योंकि वे आशुतर विनाशी अववा तिरोभावी हैं। अर्थप्रतीति तो “सदसदनेकवर्णविगाहिनी-पद-प्रतीति” (विद्यमान और पहिले तिरोभूत अनेक वर्णों का ग्रहण कराने वाली जो पदप्रतीति है वह) में होती है। और “सदसदनेकवर्णविगाहिनी-पद-प्रतीति” पहिले के अमश श्रूयमाण और विलुप्त वर्णों के अनुभव से उत्पन्न सम्कारों के साथ अन्तिम वर्ण का श्रवण करने पर होती है। इसका आवाय यह हुआ कि क्षणिक वर्ग श्रोता की बुद्धि में अपने सम्कार छोड़कर तिरोभूत हो जाते हैं। इन्ही सम्कारों के बल पर पूरे पद का सकलन हो जाना है जिनसे पदप्रतीति होती है। इसी पदप्रतीति ने अर्थप्रतीति हो जाती है और वही सकलित-समुदाय-रूप पदप्रतीति “स्फोट” है, क्योंकि इनी से अर्थ न्युटित होता है—“स्फुटित अर्थः यस्मात् स्सफट।”

श्रूयमाण शब्द (ध्वनि या नाद) बुद्धि में न्योट (सकलिन समुदाय-रूप पदप्रतीति) का जनक या अभिव्यजक है। वैयाकरणों के मत में यही न्योटात्मक शब्द नित्य है। इनका तात्पर्य यह हुआ कि वैयाकरण “ध्वनति इति ध्वनि” इन व्युत्पत्ति के आधार पर ‘स्फोट’ को अभिव्यक्त करने वाले श्रूयमाण कर्त्ता को ध्वनि कहते हैं। इनी के साम्य में आलकारिकों ने भी उन शब्द और अर्थ आदि के लिए ध्वनि

शब्द का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया जो वाच्य और वाचक से भिन्न व्याख्या का बोध कराते हैं। आगे चलकर व्यजनावृत्ति, व्यञ्जनार्थ और व्यञ्जनप्रधान काव्य के लिए भी ध्वनि शब्द का प्रयोग होने लगा। उक्त पांचों ग्रंथों में प्रयुक्त होने के लिए ध्वनि शब्द की निम्न प्रकार व्युत्पत्तियाँ की जा सकती हैं—

(1) “ध्वनतीति ध्वनि” इस व्युत्पत्ति से जो अब या अर्थ व्यञ्जनार्थ को ध्वनित करे वह ध्वनि है।

(ii) “ध्वन्यते इति ध्वनि” जो ध्वनित हो, अर्थात् व्यञ्जनार्थ, वह ध्वनि है।

(iii) “ध्वननं ध्वनि” इस व्युत्पत्ति से जो ध्वनन रूप व्यापार है वह व्यजनावृत्ति भी ध्वनि हुई।

(iv) “ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनि” इत्त व्युत्पत्ति से जिसमें पूर्वोक्त चार प्रकार की ध्वनि (व्यजक शब्द या अर्थ, व्यञ्जनार्थ और व्यजनाव्यापार) हो वह काव्य भी ध्वनि कहाया।

“काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति (काव्यात्मा ध्वनि है) ध्वनिकार का यह आदिवाक्य सम्पूर्ण ध्वनि-सिद्धान्त का बीजभूत है। इसका आशय

यह है कि काव्य में मुख्यतया वाच्यार्थ का नहीं काव्य के भेद— अपितु व्यञ्जनार्थ (ध्वनि) का सौन्दर्य होता

“ध्वनि-वाक्य” है। जैसे आत्मा की स्थिति से शरीर प्राणवान् होता है वैसे ही ध्वनि की उपस्थिति से काव्य

सजीव होता है। यह व्यञ्जन-प्रधान काव्य ही उत्तम कोटि का है अत उसे ध्वनिकाव्य कहते हैं। ध्वनिकाव्य का निरूपण अथवा ध्वनि का लक्षण ध्वनिकार ने निम्न प्रकार किया है—

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थसुपसर्जनीकृतस्वार्थौ।

व्यंक काव्यविशेष स ध्वनिरिति सूरिभि. कथित ॥

“जहाँ अर्थ अपने यापको अवदा शब्द अपने वाच्यार्थ को गौण
वनाकर “तमर्य”—उस प्रतीयमान अर्थ को—अभिव्यक्त करते हैं उस
काव्यविशेष को विद्वानों ने ध्वनि नाम से
ध्वनि का स्वरूप कहा है।” यहाँ पर तमर्य का विशेष महत्त्व
व लक्षण है। इसे पृथक् कारिका में बड़े रोचक ढंग से
न्यष्ट किया गया है।

प्रीघ्यमानं पुनरन्यदेव, वस्त्रस्ति वाणीपु महाकवीनाम् ।
यत् तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं, विभाति लावण्यसिवागनाम् ॥

“प्रतीयमान कुछ और ही चीज है जो महाकवियों औं वाणी में
(वाच्यार्थ ने व्यतिरिक्त रूप में) रमणियों के प्रसिद्ध मुख्यनामिकादि
ने अलग उनके लावण्य के नमान भासित होता है।” इन प्रतीयमान
अर्थ की विशेषताएँ भी बतायी हैं—

मरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्पत्तिमाना महता कवीनाम् ।
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम् ॥

“उन न्वादु (आन्वाद्य रूप) ग्रन्थन्तर्थ को प्रतिहित दर्शने वारी महा-
कवियों की वारी उनकी अनौक्तिक एवं प्रनिभासमान प्रतिभाविशेष को
दर्शाती है।”

इन प्रकार वाच्यार्थ की अपेक्षा जब व्यञ्ज (प्रतीयमान) प्रदं अधिक
चमत्कारक हो तब ध्वनिकाव्य (उत्तमकाव्य) नमाना चाहिदे।
ध्वनिकार ने उपमहार बरते हुए ध्वनि के प्रावान्य की प्रांग दिशेय रूप
से ध्यान आकृष्ट किया है—

सर्वेष्वेव प्रभेष्टु स्फुटत्वेनावभासनम् ।
यद् व्यंग्यस्याग्निभूतस्य तत्पूर्णं ध्वनिलश्छम् ॥

उद्यो० २। का० ३३ ॥

“ध्वनि के सभी भेदों में प्रधानभूत ध्वनि की जो स्फुट रूप से प्रतीति

होती है वही ध्वनि का पूर्ण लक्षण है।” व्यञ्जनार्थ की अप्रधानता होने पर काव्य मध्यम कोटि का हो जायेगा। अर्थात् वाच्यार्थ की अपेक्षा यदि व्यञ्जनार्थ गौण (कम रमणीय या समान रमणीय) हो तो मध्यम काव्य या गुणीभूत व्यञ्जन होता है।

काव्य-भेद का तीसरा प्रकार चित्रकाव्य है, इसे अधम कहा गया है। इसमें व्यञ्जनार्थ का अभाव रहता है, और अर्थचारूत्व भी नहीं होता। ध्वनिकार की यह उदारता ही समझनी आवश्यक है कि उन्होंने इसे काव्य-कोटि में स्थान दिया, अन्यथा अभिनवगुप्त और विश्वनाथ ने तो रसाभाव के कारण चित्रकाव्य को काव्य ही नहीं माना। इस प्रकार व्यञ्जनार्थ की सापेक्षिक प्रधानता के आधार पर ध्वनिवादियों ने काव्य के तीन भेद किये हैं—[१] उत्तम (ध्वनिकाव्य) [३] मध्यम (गुणी-मूलव्यग्य) और [३] अधम (चित्रकाव्य)।

ओर स्वयं ध्वनि (ध्वन्यते इति ध्वनि) भी तीन प्रकार की है—
 [१] रस-ध्वनि [२] अलकार-ध्वनि और [३] वस्तु-ध्वनि। काव्य में जब आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव और सचारी ध्वनि के तीन प्रकार के संयोग से पुष्ट होकर स्थायीभावं-रस रूप में अभिव्यक्त होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। जिन स्थलों पर विभावादि से रसाभिव्यक्ति बिना किसी व्यवधान के होती है वे रस-ध्वनि के उदाहरण माने जाते हैं। असलक्ष्यक्रमव्यग्यध्वनि के उदाहरणों में काव्य के शब्दार्थ सीधे रसाभिव्यक्ति करते हैं। अत वहाँ रस-ध्वनि ही रहती है। परन्तु जहाँ शब्दार्थ द्वारा किसी अलकार या वस्तु की व्यञ्जना हो वहाँ क्रमशः अलकार-ध्वनि कही जायेगी। सलक्ष्यक्रमव्यग्यध्वनि में या तो अलकार-ध्वनि होती है या वस्तु-ध्वनि। इन तीनों के क्रमशः उदाहरण देखने चाहिए।

रसध्वनि का उदाहरण.—

रसध्वनि सा निषाद् प्रतिष्ठां ख्वसगमः शाश्वती समा. ।
यक्षौल्वमिथनादेकमवधीः कामस्मोहितम् ॥

इन शब्दों से ऋषि के शोक की भावना सीधे करुण रस के रूप में प्रतीयमान है। इसी प्रकार—

सख्ती सिखावत मान विधि, सैननि वरजति वाल ।

‘हरुए’ कहु मो हिय बसत सदा विहारीलाल ॥ विहारी ॥

मान की शिक्षा देने वाली सखी के प्रति नायिका की उक्ति है। 'हरहुए' पद से विहारीलाल में अनुराग सूचित होता है, जिससे सम्भोग-शङ्खार ध्वनित है।

अलकार-ध्वनि का उदाहरण.—

मैं नीर भरी दुख की बदली !

विस्तृत नभ का कोई कोना ,

मेरा न कभी अपना होना।

परिचय इतना इतिहास यही,

उमड़ी कल थी मिट आज चली ।

मैं नीर भरी दुख की बदली !

“मुझे नीर में भरी दुख की बदली समझ मिलते हो, पर भाग्य उम वदली जैसा भी नहीं, व्योकि मझे उमकी तरह विस्तरनभ-प्राङ्गण

रूप किसी की मुखद गोद का एक कोना भी
पाल्त न हो सका—विरक्षिती जो हड्डी।”

इस वाच्यार्थ से बदली आंर विरहिणी की नमता ध्वनित होनी है। बदली नीरभरी है तो विरहिणी अशुपूरण-आंर दोनों को उमड़ते के साथ ही (विरहिणी, उठते यांवन में ही) वरसना पढ़ा (विरहिणी को रुदन करना पढ़ा)। परन्तु उपमान में उपमेय की न्यूनता बताने के कारण चमत्कार बढ़ गया है। अत यहाँ “व्यतिरेकालकार”-स्वप्न ध्वनि कही जायेगी।

वस्तु-ध्वनि का उदाहरण ।—

कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखि ! कहहु को अहहि तुम्हारे ?

सुनि सनेहमय मंजुल बानो, सकुचि सीय मन मँह मुसिकानी ॥

ग्राम-ललनाथ्रो के सीधे से प्रश्न के उत्तर में, सीता जी सकोचपूर्वक मन ही मन मुसिकाने लगी । इस वाच्यार्थ में रामचन्द्र जी का पति होना रूप वस्तु व्यग्य है ।

वस्तु-ध्वनि

अलकार, वस्तु और रस-ध्वनियों में

रस-ध्वनि का ही महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि

वस्तु और अलकार कभी वाच्य भी होते हैं, परन्तु रस कभी वाच्य नहीं होता । और इसीलिए पण्डितराज जगन्नाथ ने इसे उत्तमोत्तम ध्वनि-काव्य कहा है । रस-ध्वनि ही काव्य का सर्वोत्तम रूप है । यह उत्तम में भी उत्तम है और दूसरे शब्दों में रस ही काव्य कामर्वशेष तत्त्व है ।

ऊपर व्यञ्जकार्थ को आवार मानकर ध्वनि के भेद किये गये हैं । इसके अतिरिक्त व्यञ्जक (पद, वाक्यादि) की दृष्टि से भी ध्वनि के भेद किये जाते हैं । इस प्रकार ध्वनि के मुख्य भेद ५१ ही नहै, परन्तु अनेक आचार्यों ने अवान्तर और मिश्र भेदों के प्रदर्शन द्वारा यह सख्त हजारों तक पहुँचा दी है ।

ध्वनिकार ने ध्वनि के अस्तित्व को सिद्ध कर सामान्यतया दो मुख्य भेद बताये हैं — [१] अविवक्षितवाच्य और [२] विवक्षितान्य-परवाच्य । — अस्ति ध्वनि । स चाविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्विविधि सामान्येन ॥ यहाँ इनका विवरण देख लेना आवश्यक है —

[?] अविवक्षितवाच्य (लक्षणामूला ध्वनि) — लक्षणा के ग्राहित-

रहने वाली इस ध्वनि में वाच्यार्थ की विवक्षा नहीं रहती। वाच्यार्थ वाधित होने से अर्थप्रतीति नहीं कराता अपितु अविवक्षितवाच्य ध्वनि इस (ध्वनि) के व्यञ्जनाव्यापार में लक्षणावृत्ति तथा वक्तविवक्षा आदि सहकारी होते हैं जिनमें लक्षणावृत्ति का ही सर्वाधिक प्रभाव होने से यह लक्षणामूला भी कहाती है। इसमें दो स्थितियाँ सम्भव हैं। एक में तो वाच्यार्थ अर्थान्तर में सक्रमित हो सकता है और दूसरी में सर्वथा तिरस्कृत। इसलिए लक्षणामूला ध्वनि के दो भेद होते हैं—[१] अर्थान्तरसक्रमितवाच्य (जहाँ वाच्यार्थ वाधित होकर अन्य अर्थ में सक्रमित हो जाता है) और [२] अत्यन्तरसक्रमितवाच्य (जहाँ वाच्यार्थ सर्वथा उपेक्षित ही रहता है।) अर्थान्तरसक्रमितवाच्य का उदाहरण निम्न है—

स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तविपतो वैललद्वलाका घना. ,
वाता' शोकरिण्. पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कला ।
काम सन्तु दद० कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे ,
वैदेही तु कथ भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥

“स्निग्ध एव श्यामल कान्ति से आकाश को व्याप्त करने दाले तथा वक्तप्रिति ने युक्त मेघ [भले ही उमड़े], जल-विन्दुओं से युक्त वायु [भले ही वहे] और मेघमित्र मयूरों की आनन्दभरी कूके भी चाहे जितनी [श्रवणगोचर हो], मैं तो कठोर-अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य हृदय ‘राम’ हूँ, सब कुछ सह लूँगा। परन्तु वैदेही विचारी की क्या दशा होगी? हे देवि धैर्य धरो।” यहाँ पर ‘राम’ शब्द का सज्जिमात्र राम-स्पष्ट-अर्थ वाधित होकर व्यरय-धम-निष्ठ “अत्यन्त दुःखसहिष्णु राम” का बोध होता है। इस प्रकार राम शब्द का वाच्यार्थ अर्थान्तर में सक्रमित हो गय है। इसी प्रकार—

सीताहरन तात ! जनि कहेड पिता सन जाइ ।
जो मैं 'राम', तो कुलसहित कहहि दसानन आइ ॥

—रामचरितमानस ॥

मरणासन्ध जटायु की दशा को देखकर सीताहरणकारी रावण पर क्रोधिक होने वाले राम की उवित है। इसका वाच्यार्थ है— “हे प्रिय वन्धु जटायु ! (स्वर्ग में) जाकर (स्वर्गस्थ) पिता जी से सीता-हरण का समाचार मत कहना । दूयदि मैं 'राम' हूँ तो रावण स्वय ही कुलसहित आकर कह देगा ।” यहाँ भी मुख्यार्थ वाचित होकर “खरदूषणादि को मारने वाला वीर राम” यह लक्ष्यार्थ ज्ञात होता है। राम रूप मुख्यार्थ का सर्वथा त्याग न होकर 'वीर-राम' इस विशिष्ट अर्थ में सक्रमण हो गया है। अजहत्स्वार्था लक्षणा व्यापार के प्रभाव से व्यञ्जनावृत्ति द्वारा प्रयोजनरूप व्यग्रार्थ की प्रतीति होती है। वह है— राम की वीरता का आधिक्य ।

अब अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य का उदाहरण भी देखिये —

रविसंकान्तसौभाग्यस्तुधारावृतमण्डल ।

निश्वासान्ध इचादर्शरचन्द्रमा न प्रकाशते ॥

“सूर्य में जिसकी शोभा सक्रान्त हो गई है (क्योंकि हेमन्त छठनु में सूर्य भगवान् चन्द्रमा की तरह अनुष्णा और आह्नादमय हो जाते हैं)

ओर तुपार से घिरे मण्डल वाला चन्द्रमा,
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य निश्वास से अन्धे (मलिन) दर्पण के समान,
प्रकाशित नहीं होता ।” यहाँ पर 'अन्ध' शब्द का वाच्यार्थ 'नेत्रहीन' है जो दर्पण में अनुपपन्न होने से वाचित है। तब प्रयोजनवती शुद्धा जहत्स्वार्था लक्षणा से 'अन्ध' का लक्ष्यार्थ हुआ 'पदार्थों को प्रकाशित करने ने अशक्त' और व्यग्रार्थ रूप प्रयोजन हुआ 'अप्रकाशितत्वातिशय' । इस प्रकार अन्ध शब्द अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य

का उदाहरण है, क्योंकि इसने अपने वाच्यार्थ का सर्वथा तिरस्कार कर दिया है।

इसी प्रकार निम्न हिन्दी उदाहरण में भी—

कह श्रंगद—सलज जग माँहीं । रावण तेहि समान कोऊ नाहीं ॥

अगद-रावण-सवाद में अगद की रावण के प्रति उक्ति है। इसका वाच्यार्थ हुआ—“अगद कहते हैं, हे रावण ! तुम्हारे समान ‘लज्जाशील’ जगभर में कोई नहीं है।”

अगद द्वारा धृष्ट रावण को लज्जाशील बताना प्रकरणानुसार सगत नहीं, अत मुख्यार्थ का वाध हो जाता है। और लक्ष्यार्थ हुआ—“हे रावण ! तुम्हारे समान ‘निर्लज्ज’ जगभर में कोई नहीं है।”

इस प्रकार वाच्यार्थ का सर्वथा परित्याग कर दिया गया है, जिसमें जहत्स्वार्था लक्षणा हुई। इसके प्रभाव से प्रयोजनरूप व्यञ्यार्थ हुआ—“निर्लज्जता की पराकाष्ठा ।”

व्यञ्जक की दृष्टि से यदि ध्वनि के भेदों पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि उक्त उदाहरण ‘अन्ध’ इस पदभाव से सम्बन्धित है। अत यह पदगत ध्वनि का ही उदाहरण है। अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि वाक्यगत भी हो सकती है। इसका उदाहरण निम्न है—

सुवर्णपुष्पा पृथिवी चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः ।

शूरस्त्रच कृतविद्यश्च यश्च जानाति भेदितुम् ॥

“सुवर्ण जिस पृथिवी हृष पता का पुष्प है उसका चयन तीन ही पुरुष करते हैं—शूर, विद्वान् और जो सेवा करना जानते हैं।” यहाँ भी त्रिमत्त ‘सुवर्णपुष्पा पृथिवी का चयन’ हृष मुख्यार्थ अनुपपत्त है। लक्षणा द्वारा “प्रभूत धन के अनायानोपार्जन में मुलम् समृद्धिसम्भारभाजनता” यह श्र्यं व्यक्त होता है। और प्रयोजनहृष व्यञ्जित है शूर, कृतविद्य और सेवकों की प्रयत्निः।

[२] विवक्षितान्यपरवाच्य (अभिधामूला ध्वनि) — इसमें वाच्यार्थ विवक्षित रहने पर भी अन्यपरक अर्थात् व्यञ्जनिष्ठ होता है।

यह स्पष्टतया अभिधाशक्ति के आश्रित है।

विवक्षितान्यपरवाच्य इसके दो भेद हैं—[१] असलक्ष्यक्रमध्वनि और [२] सलक्ष्यक्रमध्वनि। अभिधामूला

ध्वनि में वाच्यार्थ की अपनी सत्ता अवश्य होती है परन्तु अन्तत वह व्यञ्जयार्थ का ही माधक होता है। वाच्यार्थप्रतीति और व्यग्यार्थप्रतीति में पूर्वापर क्रम भी अवश्य रहता है, परन्तु जहाँ पर क्रम होने पर भी लक्षित न हो वहाँ असलक्ष्यक्रमध्वनि होती है। जिस प्रकार शतपत्रों को सुई से भेदन करने पर पत्रों के भेदन के क्रम की प्रतीति नहीं होती उसी तरह व्यग्यार्थ (रस) की प्रतीति में क्रम अल-क्षित रहता है। इसे शत-पत्र-भेद-न्याय कहते हैं। असलक्ष्यक्रमव्यग्य के अन्तर्गत समस्त रस-प्रपञ्च (अर्थात् रस, भाव, तदाभास, भावशान्ति, भावोदय, भावमन्धि, भावशबलतारूप आस्वाद प्रधान ध्वनि) आ जाता है। इसके उद्रेक की उत्कटता के कारण क्रम की प्रतीति नहीं होती।

यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि के जो दो भेद किये गये थे वे वाच्यार्थ की प्रतीति के स्वरूप के भेद के

कारण ये, परन्तु विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के

असलक्ष्यक्रमध्वनि दोनो भेद व्यञ्जनावृत्ति के स्वरूप के भेद के कारण हैं। प्रथम असलक्ष्यक्रमध्वनि (रम-ध्वनि) के उदाहरण देखने चाहियें—

शिखरिणि कु नु नाम कियच्चर, किमभिधानमसावकरोत्तप. ।

सुमुखि येन सवाधरपाटलं, दशति विम्बफलं शुकशावक. ॥

“हे सुमुखि ! इस शुकशावक ने किस पर्वत पर, कितनी देर कौन-सा तप किया है जिसके कारण तुम्हारे अघर के समान लाल-लाल विम्ब-फल को काट रहा है ?” इस वाच्यार्थ के साथ-साथ दूसरा यह अर्थ भी

प्रकाशित होता है कि 'उचित तारुण्यकाल में' तुम्हारे अधरारुण्यलाभ से गर्वित विम्बफल का तुम्हें ही लक्ष्य करके रसास्वादन करना पुण्यातिशय-यलभ्य फल है, और इसकी प्राप्ति के लिए जो आवश्यक तपश्चर्या है उसे करने के लिए अनुरागी वक्ता तैयार है।' यहाँ पर व्यञ्जना वृत्ति में फल की पुण्यातिशयलभ्यता और तत्सम्बन्धी अनुरागी का स्वाभिप्राय-स्थापन ये दोनों बातें प्रकट होती हैं। कुल मिलाकर विप्रलम्भ-शृंगार व्यग्र है।

इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी स्पष्ट है कि शब्द और वाच्यार्थ का महत्त्व नहीं है, अत वे गीणा है। व्यञ्जना वृत्ति से प्रकट होने वाले अङ्गचार्य की प्रधानता होने में यह ध्वनिकाव्य (उत्तम) है। परन्तु 'मुख्यार्थ का वाच' जैसी कोई चीज़ भी नहीं है, अत यह लक्षणामूलक ध्वनि न होकर अभिधामूलक है। उसमें भी शृंगार रम के उद्देश की उत्कटता के कारण वाच्यार्थ और व्यग्रार्थ की प्रतीति में जो क्रम है वह भी लक्षित नहीं होता। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि उक्त काव्य, 'रस-ध्वनि' (विप्रलम्भ-शृंगार) की प्रधानता होने में, अमलक्ष्यक्रम-व्यग्र व्वनि का उदाहरण है।

इसी प्रकार निम्न हिन्दी उदाहरण में —

देखन मिषु मृग रिहग तरु, फिरै घहोरि वहोरि ।
निरखि निरखि रघुनेत्र छुवि, बाढ़ी ग्रीति न धोरि ॥

—रामचरितमानम्

वाच्यार्थ है—[जनकपुरी की वाटिका में गीरीपूजन के लिए ग्राउंड डुई सीता जी और रामचन्द्र जी के पूर्वमिलन के समय का प्रसग है] सीता जी पशु-पक्षी तथा वृक्षों को देखने के बहाने उस तरफ बार-बार आती है और श्रीराम की छवि को पुन पुन देखने में भ्रतिशय अनुराग की वृद्धि होती है।

यहाँ भी सीता जी का रामचन्द्र जी के प्रति पूर्व-अनुराग का वर्णन होने से विप्रलभ्म-शृंगार व्यग्य है। अत रस-ध्वनि का उदाहरण है।

जैसा कि ऊपर बताया है, विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का द्वासरा भेद सलक्ष्यक्रम ध्वनि है। इसमें वाच्यार्थ से वयग्यार्थ १ अलकार और वस्तु

रूप ध्वनि) की प्रतीति का क्रम उसी प्रकार

सलक्ष्यक्रम ध्वनि और स्पष्टतया लक्षित होता है जैसे घण्टे के शब्द के उसके तीन भेद पश्चात् उसकी गूँज (अनुरणन या अनुस्वान)।

इस ध्वनि के भी तीन भेद हैं—[१] शब्दशक्त्युद्ध्रव [२] अर्थशक्त्युद्ध्रव और [३] शब्दार्थोभयशक्त्युद्ध्रव (इस तृतीय भेद के लिए द्वितीय उद्योत की २३वी कारिका की वृत्ति देखो)।

शब्दशक्त्युद्ध्रव ध्वनि का एकमात्र मूलावार बोधक-शब्द होता है। उस शब्द के स्थान पर द्वासरा पर्यायवाची शब्द रख देने से काम नहीं चलता। इसके विपरीत अर्थशक्त्युद्ध्रव ध्वनि में शब्दपरिवर्तन के बाद भी अर्थात् पर्यायवाची शब्द के रखने पर भी व्यग्यार्थ पूर्ववत् ध्वनित होता रहता है। इनका भेद उदाहरणों द्वारा स्पष्ट हो जायेगा।

परन्तु उदाहरण प्रस्तुत करने से पूर्व एक शका का समाधान आवश्यक है। वह यह कि शब्दशक्ति के आधार पर दो अर्थों की प्रतीति

श्लेष अलकार में भी होती है। तब फिर श्लेष श्लेष अलकार का और शब्दशक्त्युद्ध्रव ध्वनि की विषय-व्यवस्था का क्या नियम होगा? इसके उत्तर में निम्न कारिका है—

आक्षिप्त एवालद्वकार. शब्दशक्त्या प्रकाशते।

यस्मिन्ननुक्त शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हि सः॥

“जहाँ पर शब्द से अनुकृत (सक्षादसकेतित) होने पर भी शब्द-शक्ति से ही आक्षिप्त—शब्दसामर्थ्य से व्यग्य—अलंकार की प्रतीक्षा

होती है वहाँ शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि होती है। साराश यह है कि शब्द-शक्ति ने वस्तुद्वय की प्रतीति जब वाच्य रूप में हो तो श्लेष अलकार समझना चाहिये मन्यथा शब्दशक्ति से आक्षिप्त—ध्वनित—होकर जो अलकारान्तर की प्रतीति है वह शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि का स्थल है।

निम्न उदाहरणों में वस्तुद्वय प्रकरणाभिप्रेत है अत वाच्य है। और ये उदाहरण श्लेष के ही हैं —

श्लाघ्याशेषतनुं सुदर्शनकर् सर्वाङ्गलीक्षजित-
ग्नैलोक्यां चरणारविन्दललितेनाकान्तलोको हरि ।
विश्वाणा सुखमिन्दुखपमखिल चन्द्रात्मचङ्गुर्वधत्
स्थाने या स्वतनोरपश्यदधिका सा रुक्मिणी धोञ्जतात्॥

यह श्लोक ध्वनिकार का अपना ही है। इसमें कहा गया है कि विष्णु ने जिन रुक्मिणीदेवी को अपने शरीर से उत्कृष्ट पाया वे तुम्हारी रक्षा करें। यहाँ पर विष्णु-शरीर रूप उपमान की अपेक्षा रुक्मिणी-शरीर रूप उपमेय में आधिक्य दिखाया है, अत व्यतिरेक अलकार है। यह अलकार विष्णु के विशेषणों के द्वारा दो अर्थं करने पर सिद्ध होता है। अत कहा जा सकता है कि व्यतिरेक की छाया को पुष्ट करने वाला श्लोक है जो “स्वतनोरपश्यदधिकाम्” इस पद के कारण वाच्य ही माना जा सकता है। श्लोक का अर्थ निम्न प्रकार है —जिनका केवल हाय ही चुन्द्र है (दूसरा अर्थ—मुदर्शनचक्रवारी) जिन्होने केवल चरणार-विन्द के सौन्दर्य से (दूसरा अर्थ—पादविशेष से) तीनों लोकों को आकाश किया है और जो चन्द्र-रूप से केवल नेत्र को धारण करते हैं (अर्थात् जिन न रामप्र मुख नहीं अपितु एक नेत्रमात्र ही चन्द्र रूप है) ऐसे विष्णु ने अखिल देहवापी सौन्दर्य वानी, सर्वाङ्ग सौन्दर्य से ग्रन्तोक्य को विजित करने वाली जीर चन्द्रमा के समान सम्पूर्ण मुख वाली जिन रुक्मिणी जो उचित रूप से ही आगे शरीर में उत्कृष्ट देखा, वे तुम्हारी रक्षा करें।

एक हिन्दी उदाहरण भी देखो —

‘रहिमन’ पानी राखिये, विन पानी सब सून ।

पानी गये न ऊंचे, मोती, मानस, चून ॥

यहाँ पर ‘पानी’ इस शब्द के तीन अर्थं क्रमशः आभा, प्रतिष्ठा और जल अभिधा से प्रतीत होते हैं, क्योंकि मोती, मानस और चून ये तीन प्राकरणिक मौजूद हैं। यह भी श्लेष अलकार का उदाहरण है। ध्वनि का विषय नहीं। अस्तु ।

अब शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि का उदाहरण लेते हैं—“अत्रान्ते
कुसुमसमययुगमुपसहरन्जूभ्यत ग्रीष्माभिधान फुलमखिलकाधट्टलाद्वासो
महाकालः ।” इसका प्राकरणिक वाच्यार्थ है—

शब्दशक्त्युत्थ ध्वनि “इसी समय वसन्तकाल का उपसहार करता
हुआ, खिली हुई मल्लिकाओ (जुही) के, अद्वा-
लिकाओ को धवलित करने वाले, हास से परिपूर्ण ग्रीष्म नामक महाकाल
प्रकट हुआ ।” इस अर्थ की प्रतीति के पश्चात् अनुस्वान (गूज़) के
समान वाच्यार्थ का उपमानभूत दूसरा अप्राकरणिक अर्थ भी प्रतीत
होता है—“प्रलयकाल में कृतयुगादि का उपसहार करते हुए और खिली
जुही के समान अद्वाहास करते हुए महाकाल शिव के समान (ग्रीष्म नामक
महाकाल प्रकट हुआ) ।” अब देखना यह है कि यहाँ पर इस द्वितीय अर्थ
की प्रतीति कैसे हुई ? ‘महाकाल’ के दो अर्थ होते हैं—[१] एक रुद्ध अर्थ
शिव या रुद्र और दूसरा [२] योगिक अर्थ—दुरतिवहकाल श्रथति् ग्रीष्म-
काल । यद्यपि योगिक अर्थ की अपेक्षा रुद्ध अर्थ ही मुख्य माना जाता है
तो भी प्रकरणानुसार अन्वित होने से ‘ग्रीष्म समय’ ही गृहीत होगा ।
अत यहाँ पर प्रकरण के हेतु से अभिधाशक्ति इसी एक अर्थ में
नियन्त्रित हो गई । जहाँ पर एकार्थ नियामक हेतु होता है, वहाँ पर अन्य
अर्थों की प्रतीति न होने से श्लेष का अवकाश ही नहीं रहता । इस
कारण द्वितीय अर्थ की प्रतीति श्लेष से तो नहीं हुई यह स्पष्ट हो

गया। परन्तु दूनरा अर्थ प्रतीत अवश्य होता है जिसके कारण यह गद्यखण्ड उत्तम काव्य माना गया है। इस द्वितीयार्थ की प्रतीति का कारण यह है कि श्राता के मन में 'महाकाल' शब्द का 'रुद्र' यह अर्थ तो भक्तित है ही। और 'महाकाल' इस शब्द के ग्रीष्म और रुद्र इन दोनों अर्थों में जो नादृश्य है उसके सामर्थ्यवश ध्वनन व्यापार भी होता है। इस प्रकार उच्च द्वितीयार्थ भक्तग्रहमूलक और ध्वननव्यापारमूलक होने से शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि कहाया।

इनी प्रकार पन्त जो के 'गुञ्जन' से उद्भूत निम्न प्रार्थना मे—

जग के उर्वर आँगन में
वरसो ज्योतिर्मय जीवन !
वरमो लघु-लघु तृण तरु पर
है चिर अव्यक्त चिर नृतन !

“है चिर अव्यक्त, चिर नवीन ज्योतिस्वरूप जीवन ! (जीवनप्रदाता प्रभो !) नमारक्षेत्र के नप्रुत्तम घाम-पात पर भी जीवन (जलप्रदाता-मेष) के नमान अनुकम्पा करो।” ‘जीवन’ शब्द के दो अर्थ जीवन और जल होते हैं। प्रकारणानुभार प्रथम अर्थ मे ही अभिवा शक्ति के नियन्त्रित हो जाने ने जल स्प द्विनीयार्थ वाच्य नहीं है अपिनु विशेषणों की नमान स्प से अन्वित होने के कारण दोनों अर्थों की समानता के बोध से आविष्ट होकर उपमा अलकार ह्य द्वितीय अर्थ ध्वनित होता है। एन शब्दशक्तिमूलक अलकार ध्वनि का उदाहरण हुआ।

प्रव प्रवरणानुभार मर्यगवत्त्युद्भव ध्वनि का उदाहरण देखना चाहिये—

एव वार्दिनि देवर्दौ पाश्वैं पितुरघोमुखै ।
लीलाकमलपत्राणि गणपामाम पार्वती ॥

* देवर्पिमण्डन के ऐमा (पार्वती-शिव-विवाह की चर्चा और शिव


के विवाहार्थ सहमत होने की सूचना) कहने पर पिता के पास बँठी हुई पार्वती नीचा मुख करके लीलाकमल की अर्थशक्त् युत्थ ध्वनि पसुःियाँ गिनते लगी।” उक्त श्लोक के इस वाच्यार्थ से लज्जा नाभक सचारीभावरूप अर्थान्तर ध्वनित होता है। “लीलाकमलपत्राणि गणयामास” इन शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची अन्य शब्दों के रख देने से भी उक्त भाव ध्वनित होगा। इसलिए यह अर्थशक्तिमूलकसलक्ष्यक्रमव्याख्य ध्वनि है।

रे कपि कौन तू ? अच्छ को घातक, दृत वली रघुनन्दन जी को ।
 को रघुनन्दन रे ? त्रिसरा-खरदूषण-दूषण भूषण भू को ॥
 सागर कैसे तरयो ? जस गोपद, काज कहा ? सिय-धोरहिं देख्यो ।
 कैसे बँधायो ? ऊ सुन्दरी तेरी छुई दग सोवत पातक लेख्यो ॥

—रामचन्द्रिका ॥

अशोक-वाटिका को उजाडने पर मेघनाद ने हनुमान् जी को पकड़कर रावण के पास पेश किया। तत्कालीन रावण-हनुमान् के व्यञ्जित्पूर्ण सम्बाद का यह श्रश है। हनुमान् जी के उत्तरो से व्यग्यार्थ ध्वनित होता है कि श्रीराम महाबलशाली प्रतिद्वन्दी हैं। उनका पराक्रम विश्वविदित है। पर तुम्हें अभी तक उनके बल का पता न लगा, अत तुम्हारा विनाश सन्निकट है। इत्यादि। और अनजाने में सोती हुई परस्त्री के दर्शन के पातक से बढ़ी बना हूँ, इस शर्य के वर्णन से—“जान बूझ कर परस्त्री का अपहरण करने वाले तुम जैसे व्यक्ति का सर्वनाश अवदयमभावी है”—यह बात स्वतः सिद्ध होती है। अत काव्यार्थपत्ति अलकाररूप ध्वनि है। ये सभी ध्वनियाँ किसी पदविशेष के आन्तित न होने से अर्थशक्तिमूलक ही हैं।

यहीं तक काल्य तथा च्वनिकाल्य (उत्तम) के बेदों सा प्रदर्शन कर चुके। उसी को लाइट का रूप में निम्न प्रकार भी दिखाया जा सकता है—



उगर्णा विवरण के अनुसार ध्वनि के १८ भेद होते हैं, जिनकी गणना निम्न प्रकार है—

[२] अविविक्तवाच्य ध्वनि के

- (i) अशर्तात्तरसक्रमितवाच्य
- (ii) प्रत्यन्ततिरस्कृत वाच्य
- [२] विविक्तात्यपरवाच्य ध्वनि के
 - (1) सलक्षकमव्याप्त ध्वनि
 - (ii) श्रांसलक्षकमव्याप्त ध्वनि

१ शब्दशक्तिमूलक (वस्तु-ध्वनि + शब्दकार-ध्वनि)

२ अर्थशक्तिमूलक (स्वत सम्भवी आदि के आधार पार)

३ शब्दार्थशक्तिमूलक

जैसा कि पहिले बताया जा चुका है कि ध्वनि के अठारह भेद व्यय के शायार पर किये गए हैं। एवं, वाच्य आदि को दृष्टि में रखकर भी, व्यञ्जक के आधार पर श्रीरभेद करने पर यह सत्य ५२ हो जाती है। ध्वनिकार के कर्तृत्व को देखते हुये हमें यह बात भी स्मरण रखनी चाहिये कि उन्होंने यपने भे गूर्खवर्ती और परवर्ती श्रन्य भरों का समाहार व्यनि-सिद्धान्त में बड़ी योग्यता भे किया। उनके द्वारा ध्वनि में अन्य प्रतिपदित ध्वनि की महाविपरता को ममझने के लिए काव्य-पुलप के उम समाग चित्र को मर्तों का समाहार मासने रखना पड़ेगा जो उन्होंने कलिप्त किया है। वह निम्न प्रकार श्राद्धित किया जा सकता है—

१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
.
२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२
.
३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
.

१२११२११

ध्वनिकार से पूर्ववर्ती सिद्धान्त रस, गुण, रीति और अलकार ये तथा परवर्ती वकोक्ति व श्रीचित्य । इनमें रस के साथ ध्वनि का तो कोई विरोध हो ही नहीं सकता । भरत के रस-सूत्र रस और ध्वनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और सचारी के नयोग से रस-निष्पत्ति होती है । इनका आशय

यह हैं कि काच्य ने विभाव, अनुभाव और सचारी का ही कथन किया जाता है, मयोग के परिपाकस्त्रूप रस का नहीं । रस उनके सयोग से स्वतः अभिव्यक्त हो जाता है, क्योंकि रस हृदयस्थित वासना की आनन्दमय परिणाम ही तो है । अत रस कभी भी वाच्य नहीं होता, वह सदा अभिव्यञ्जित ही होता है । ऐसी ही मान्यता ध्वनिकार की भी है—“तृतीयस्तु रसादिलक्षणं प्रभेदो वाच्यसमर्थ्याद्विष्टं प्रकाशते, न तु साक्षाच्छब्दव्यापारविषय इति” (तीसरा रसादि रूप भेद वाच्य की तामर्घ से आविष्ट होकर ही प्रकाशित होता है, नाशात् शब्दव्यापार का विषय नहीं होता) । इसी कारण से ध्वनिकार रस को ‘रस-ध्वनि’ कहते हैं । अपनी अनौकिक्षना के कारण ‘रस-ध्वनि’ ही एकमात्र प्रसलध्यक्षमव्यग्र ध्वनि है ।

इसके बाद अब गुण-रीति, अलकार और वकोक्ति रहे । इनका समाहार करने के निये ध्वनिकार ने निम्न युक्ति-क्रम अपनाया । इमें उन्होंने ध्वनि की महाविषयता की मन्त्रक्रीत्या ध्वनि और अलंकार व्यापना की ।

आदि ध्वनि (अङ्गी) के अभाव में गुण-रीति और अलकार आत्मा से विहीन पञ्चतत्त्वों के समान निर्धक है । वे ध्वनि की भृत्ता को प्रकट करने के कारण ही तार्यक हो पाते हैं । गुण और अलकारों की अगता निम्न कार्तिका द्वारा प्रकट की गई है—

तमर्घमवलम्बने येऽङ्गिनं ते गुणा स्मृताः ।

अंगाधितास्त्वलकारा मन्त्रव्या कट्कादिवद् ॥उल्लो० २॥का० ६॥

‘जो अङ्गी (प्रधानभूत ध्वनि) के आश्रित रहते हैं वे गुण, और जो अङ्ग (शब्द और अर्थ) के आश्रय से रहते हैं वे कटकादि की तरह अलकार कहे जाते हैं।’

गुण—गुणों का सम्बन्ध चित्त की द्रुति दीप्ति आदि से है। अत माधुर्यादि गुण ध्वन्यर्थ (रस या आत्मा) के साथ अन्तरग स्प से सम्बन्धित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गौर्यादि गुण आत्मा के गुण माने जाते हैं।

अलकार—अलकार भी काव्य के शारीरभूत शब्द अर्थ से सम्बन्धित है—अलंकारो हि वाह्यालकारसाम्यादङ्गिनारचारुत्वदेतुरुच्यते (उद्यो० २। कारिका १७वी की व्याख्या)। रीति की तरह अलकार नित्य धर्म नहीं, अस्थिर धर्म है। विना शब्दालकार और अर्थालिकार के भी काव्य के शब्द और अर्थ देखे जाते हैं।

रीति—(पदसघटना) इसका सम्बन्ध भी शब्द और अर्थ से है। इसका दर्जा भी अलकारों के समान है। मुख्यतया काव्य के शारीरभूत शब्द अर्थ की उपकारक होकर अन्ततोगत्वा आत्मा (ध्वनि) की ही उत्कर्षक कही जा सकती है।

इसके अतिरिक्त रस, गुण-रीति, अलकार और वक्ता आदि सभी ध्वनि के समान व्यग्य ही रहते हैं। प्रथर्ति ध्वनि रूप में ही उपस्थित रहने के कारण एक प्रकार से ध्वनि की व्याख्या के अन्तर्गत कहे जा सकते हैं। कही भी वाचक शब्द द्वारा माधुर्यादि गुणों, वैदर्भी आदि रीतियों, उपमादि अलकारों और वक्ता का कथन नहीं होता। इन सभी का क्षेत्र ध्वनि से न्यून ही है और ध्वनि की महाविषयता मिछ होती है।

ध्वनि-सिद्धान्त को जिन विरोधी आचार्यों के तर्कों का सामना करना पहा उनका थोड़ा सा अवलोकन करके इस प्रकरण को समाप्त

किया जायगा । सक्षेप में विनोदी आचार्यों की स्थिति निम्न प्रकार है —

[क] भट्टतायक—इन्होंने भावकल्प और भोजकल्प नामक दो नवीन शब्दशक्तियों की उद्भावना करते हुए ध्वनि-मिद्दाल वी आधारन्तर व्यञ्जना शक्ति की अनावश्यकता का प्रतिपादन किया । इनके तर्कों का ध्वन्यानोक के दिनाज व्याख्याना अभिनवगुप्त ने पूरी तरह निराकरण करते हुए व्यञ्जना शक्ति की स्थापना की ।

[ख] चुन्तक—इन्होंने वक्त्रशक्ति वो काव्य का जीवित (प्राण) माना । और उसकी व्यापक व्याख्या करते हुये ध्वनि को उसके अन्तर्गत समाविष्ट करने का यत्न किया ।

[ग] महिमभट्ट—इन्होंने भी ध्वनि की आधारभूत — व्यञ्जना वृत्ति—पर ही कुठाराघात किया । इनके मत में नवद की केवल एक शक्ति—अभिधा—ही हो सकती है । अभिधेयायं से भिन्न प्रथ की प्रतीक्षा अनुमान के द्वारा ही सम्भव है । यदि कोई नग नाम देना ही यभीष्ट है तो उसे ‘काव्यानुभिन्न’ इहा जा सकता है । पन्नु अभिधा और लक्षण के अतिरिक्त यह नवीन व्यञ्जना शक्ति छहाँ ने प्रा टप्पी ?

यह बताने की आदत तो नहीं कि महिम-भट्ट यह मिद्दाल इमुल के अनुभिन्निवाद जैसा ही है । अतः तर्क जो लोंडी पर लक्षण ‘अनुभिन्निवाद’ की तरह यह भी पराल हो जाना है ।

उपर्युक्त विवरण में न्यूट है जि ध्वनि-विचेदी आचार्यों को

प्रधान आपत्ति 'व्यजना वृत्ति' पर ही है। अभिनवगुप्त तथा वाद को मम्मटाचार्य ने उक्त विद्वानों की शकाओं का निराकरण करते हुए व्यजना की स्थापना की है, उसका सारांश निम्न प्रकार है—

१ प्रश्न उठता है कि यदि 'व्यजना वृत्ति' स्वीकार न की जावे तो प्रतीयमान अर्थ का बोध कैसे होगा ?

यदि यह कहो कि अभिधा शक्ति से । तो ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा मानने पर दो अवस्थाएँ हो सकती हैं। या तो अभिधेयार्थ और प्रतीयमान, अर्थ दोनों की प्रतीति साथ-साथ होगी अथवा क्रमिक-रूपेण। यदि साथ-साथ मानी जावे तो यह सर्वत्र सम्भव नहीं, जहाँ पर अभिधेयार्थ विघिरूप और प्रतीयमान निषेधरूप होता है वहाँ पर विधि-निषेध रूप विरोधी अर्थ एक ही व्यापार से एक साथ गृहीत नहीं हो सकते। क्रमिक रूप-वाली दूसरी अवस्था में भी एक ही अभिधा शक्ति प्रथम अभिधेयार्थ की प्रतीति कराकर 'क्षीण-शक्ति' हो चुकती है, पुन व्यजना की प्रतीति कराने में समर्थ नहीं रहती।

अत यह स्पष्ट है कि प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति कराने के लिए अभिधा शक्ति उपयुक्त नहीं। उसके लिए कोई अन्य शक्ति ही माननी पड़ेगी।

२ कुछ के मत में, 'प्रतीयमान' अर्थ की प्रतीति 'तात्पर्य' नामक शक्ति के द्वारा हो जायेगी। यह वात भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्योंकि तात्पर्य शक्ति के मानने वाले अभिहितान्वयवादी स्वय ही इसको केवल पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध के अन्वय, के बोध के लिए ही स्वीकार करते हैं। उनके मत में प्रथम पदों का अन्वित अर्थ उपस्थित होता है। तदनन्तर तात्पर्य शक्ति से पदार्थों का सर्सं रूप वाक्यार्थ उपस्थित होता है। अत अत्यन्त विलक्षण जो प्रतीयमान अर्थ है उसके बोध कराने की क्षमता उसमें नहीं।

३ और यदि यह कहा जाय कि प्रतीयमान अर्थं 'नक्षणा वृत्ति' में वोधित हो नकेगा, तो यह भी असगत है।

"गंगार्या घोष" इस उदाहरण में गगाप्रवाह में ग्राम की स्थिति सम्बन्ध न होने से मुख्यार्थ वाधित है। तब लक्षणा द्वारा तत्सम्बन्धित "गङ्गातट पर ग्राम है" यह लक्ष्यार्थ वोधित होता है। इसका प्रयोजन है ग्राम की शीनलता एव पवित्रता के आधिक्य का वोष कराना। यहाँ पर यह प्रयोजन स्पष्ट अर्थ ही व्यजना वृत्ति द्वारा वोधित होता है। इस प्रकार नक्षणा की मिछि के लिए तीन कारण माने गये हैं—मुख्यार्थ वाध, मुख्यार्थ से सम्बन्ध और प्रयोजन। अब यदि यह कहा जाय कि प्रयोजन रूप अर्थ को लक्ष्यार्थ मान लिया जाय तो नक्षणा के उक्त तीन कारणों को भी दिखाना पड़ेगा। इन अवस्था में गङ्गातट स्पष्ट लक्ष्यार्थ की मुख्यार्थ मानना होगा, इसका वाध तथा प्रयोजन स्पष्ट अर्थ ने सम्बन्ध दिखाना होगा और अन्य किसी प्रयोजन की भी खोज करनी पड़ेगी। स्पष्टनया स्वीकृत तथ्यों के विपरीत होने के कारण इन नकमें से एक की भी कल्पना नहीं की जा सकती। अन यही स्वीकार चरना पड़ता है कि प्रयोजन स्पष्ट अर्थ की प्रतीति के लिए व्यजना वृत्ति को ही मान्यता देनी पड़ेगी, लक्षणा वृत्ति ने उनकी पूर्ति सम्बद्ध ही नहीं।

४ अन्तिम युक्ति यह है कि जब वाच्यार्थ और व्यग्यार्थ सर्वथा अलग-अलग हैं तो उनकी प्रतीति के लिए वृत्तियाँ भी पृथक् ही स्वीकार करनी पड़ेंगी। वाच्यार्थ और व्यग्यार्थ का भेद निम्न तर्कों ने सिद्ध है—

- (i) अनेक उदाहरणों में वाच्यार्थ और व्यग्यार्थ के स्वस्प में भेद देखा जाता है, जैसे एक विधि है तो दूसरा निषेध है।
- (ii) विली वायर का वाच्यार्थ तो एक ही सम्बन्ध होता है, परन्तु व्यग्यार्थ अनेक हो सकते हैं। जैसे—प्रन्त नहोस्तं, (कूप

अस्त हो गया), इस वाक्य का वाच्यार्थ तो यह एक ही है परन्तु वक्ता आदि कि भिन्नता के कारण, अब सच्चा करनी चाहिए, भ्रमणार्थं चलो या काम बन्द कर दो आदि अनेक व्यग्यार्थ होते हैं।

(३३) वाच्यार्थ और व्यग्यार्थ में काल-भेद भी होता है। प्रथम वाच्यार्थ तदनन्तर व्यग्यार्थ की प्रतीति होती है।

'ध्वनि' विषयक सर्वज्ञपूर्ण साहित्यिक सिद्धान्त के इस प्रकार सामने आ जाने से वादो की प्रतिद्विन्द्वता कम हो गई और ध्वनि-सिद्धान्त रस-सिद्धान्त को साथ लेकर साहित्यिक क्षेत्र में प्राय सर्वमान्य सा हो गया। परवर्ती भग्नटाचार्य ने सभी सिद्धान्तों का समन्वय करते हुए ध्वनि का विस्तृत विवेचन कर उसकी पुष्टि की। इसी प्रकार विश्वनाथ ने भी ध्वनि की सर्वज्ञपूर्णता को ही पुष्ट करते हुए रस को अधिक महत्व देने की चेष्टा की, जिसका विरोध पण्डितराज जगन्नाथ ने किया। साराश यही है कि ध्वनि-सिद्धान्त की मूर्खन्यता प्राय सभी परवर्ती आचार्यों ने स्वीकार की। हिन्दी का अलकार-साहित्य इसी सर्वमान्य परम्परा को लेकर चला। इसीलिए हम देखते हैं कि हिन्दी अलकार-शास्त्र में समन्वित रस और ध्वनि की मान्यता को आवार मान लिया है। आचार्य शुक्ल का रसवाद ऐसा ही है।

वक्रोक्ति-सम्प्रदाय

गढ़-रचना धरुनी अलक चिरबनि भौंह कमान ।

आए चंकर्ह ही चढ़ै तरुनि तुरंगमि लानि ॥—विहारी॥

‘वक्रोक्ति’ शब्द का प्रयोग सस्कृत-साहित्य में पहले से होता आया है, परन्तु श्रव्य की दृष्टि से ऐकमत्य नहीं रहा । विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न अर्थों में इनका प्रयोग किया है । साहित्य एवं लक्षणग्रन्थों में इनका जो प्रयोग हुआ है वह इस प्रसंग में दर्शनीय है —

(१) वाणि और अमरक जैसे साहित्यिकों ने वक्रोक्ति का प्रयोग ‘परिहास-जल्पित’ के अर्थ में किया है । जैसे — अभूमिरेपा भुज्ञ-भन्निभापितानाम्—कादम्बरी ।

(२) दण्डी और भामह दोनों ने वक्रोक्ति को स्वभावोक्ति (साधारण-उत्तिवृत्तात्मक शैली) ने विपरीत बताते हुए क्रमशः ‘श्लेष-पोपित’ और ‘सभी अलकारों का मूल’ माना है । जैसे —

(क) श्लेष सर्वासु पुण्णात् प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम् ।

मिन्नं द्विधा स्वभागोक्तिर्वक्रोक्तिर्वर्तेति धान्नमयम् ॥—दण्डी ॥

(ख) वाचां वक्रार्थशब्दोक्तिरलङ्घाराय कल्पते—भामह ॥

(३) वामन ने वक्रोक्ति को श्र्वालकार मानते हुए एक नवीन अर्थ प्रदान किया, और कहा कि वक्रोक्ति नादश्य पर श्रान्ति लक्षण ही है—“सादृश्याललङ्घणा वक्रोक्ति ।” वामन ॥

(४) रुद्र ने वक्रोक्ति को शब्दानकार माना और उसके दो भेद—कायुवक्रोक्ति तथा श्लेषवक्रोक्ति—किये । रुद्र के अनुकरण में ही ममट आदि प्रायं सभी परवर्ती प्राचार्याँ ने इसे इसी अर्थ में स्वीकार कर लिया । इस प्रदार वक्रोक्ति शब्दानकार के अर्थ में प्रायं सुनिश्चित होकर बैठ रहा ।

(५) परन्तु 'लोचन' में भामह को उद्धृत करते हुए अभिनवगुप्त ने वक्रोक्ति की निम्न व्याख्या की—“शब्दस्य हि वक्रता अभिधेयस्य च वक्रता लोकोक्तीर्थेन रूपेणावस्थानम् ।” अर्थात् शब्द और अर्थ की वक्रता इस बात में है कि वह लोक-प्रचलित रूप से भिन्न असाधारण रूप में सामने आये ।

यह व्याख्या कुन्तक के बड़े काम की सिद्ध हुई । उन्होंने वक्रोक्ति के इसी विस्तृत आशय को लेकर अपने मन्तव्य के विशाल प्रासाद को खड़ा किया । और अन्य मतवादी आचार्यों की तरह एक दिशा के छोर की सीमा में पहुँचकर इसे काव्यात्मा उद्घोषित किया । उनके अनुसार काव्य का लक्षण इस प्रकार है —

शब्दार्थैः सहितौ वक्रकविच्चापारशालिनी ।
बन्धे व्यवस्थितौ काव्य तद्विदाह्नादकारिणी ॥ च० जी० ॥

“सामञ्जस्यपूर्वक मिले हुए शब्द और अर्थ काव्य कहाते हैं । (कब ?) जबकि वे काव्यज्ञो के 'आह्नादजनक' और 'वक्रतामय-कवि-व्यापार वाले' बन्ध में विन्यस्त हो ।”

यहाँ काव्यत्व की तीन शर्तें हैं (१) काव्यज्ञो के लिए आह्नादकत्व, (२) शब्द और अर्थ का सामञ्जस्य और (३) वक्रतामय कवि-व्यापार । इनमें तीसरा वक्रतामय कवि-व्यापार मुख्यतया दर्शनीय है, क्योंकि शेष दो शर्तों के मूल में यही है । सहृदयहृदयाह्नादकत्व एव शब्दार्थसाम-ञ्जस्य दोनों का यही कारण है । इसकी व्याख्या वे निम्न प्रकार करते हैं —

शब्दो विवक्षितार्थैःकवाचकोन्येषु सत्स्वपि ।
अर्थः सहृदयाह्नादकारी स्वस्पन्दसुन्दरः ॥
उभावेतावलङ्कार्यैः तयोः पुनरलङ्कृतिः ।
वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यमङ्गीभणितिरुच्यते ॥ च० जी० ॥

“विवक्षितार्थ का वाचक शब्द, और अपने चमत्कार के कारण सहृदयों का आह्वादक श्रव्य, दोनों ही अलकार्य हैं। इनकी अलकृति ‘वक्त्रोक्ति’ ही है। (वक्त्रोक्ति क्या ?) कवि-कौशल-जन्य-भज्जिमा रूप उक्ति ही वक्त्रोक्ति कही जाती है।” सक्षेपत कवि की विदग्धता के कारण जो ‘असाधारण कथन’ या ‘विचित्र उक्ति’ है वही काव्य का एकमात्र अलकार है, अद्वितीय कारण है और वक्तामय कवि-न्यासार कहाता है। वक्त्रोक्ति को और स्पष्ट करते हुए वृत्ति में लिखते हैं —वक्त्रोक्ति. प्रसिद्धाभियान न्यर्तारेकिणी विचित्रैवभिया, वैदग्ध्यं कविहौरालं भङ्गो विच्छिन्नि ॥ नायारण कथन में व्यनिरिक्त जो कथन का विचित्र प्रकार है वही दर्शेदित है—वक्त्रं प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकवैचित्र्यम् ॥

—री वक्त्रोक्ति को श्राव्यार्थ कुन्तक ने काव्य का प्राण माना ह—
वक्त्रोक्ति काव्यजीपितम् ॥ च० जी० ॥

कुन्तक के विवेचन का तात्पर्य यह है कि काव्य की सर्वोमरि विशेषना यही है कि वह सहृदय जनों को आह्वादक होवे। इस आह्वादकत्व का कारण कवि-कथन की असाधारणता है। कवि की उक्ति शमामान्य या विशिष्ट होती है, जो कथन के सामान्य प्रकार को अतिक्रमत कर जाती है। उक्ति की इस असाधारणता या उक्तिचाल्लव का घास्त्रीय नाम ‘वक्त्रोक्ति’ है। वक्त्रोक्ति ही शब्द और श्रव्य में सामञ्जस्य लाकर उक्त वान्डिन विशिष्टता पैदा करती है। इस कारण यही काव्य में जीवन-न्यज्ञान या हेतु है, काव्य का जीवन है—वक्त्रोक्ति कान्य-पीचितम् ।

उमरे चन्द्रिगिरि कुन्तक ने वक्त्रोक्ति को काव्य का प्राण मानवे हुए भी वदि-प्रतिना और रूपना पर वहुत जोर दिया है, क्योंकि उन्होंने वक्त्रोक्ति (या वक्त न्यज्ञापार) का श्रव्य ही वंदग्ध्य-ज्ञनित चाह उचित निया है। वहि परि में पतिगा नहीं दीगी तो ‘कथन की असामान्यता’ विभूत्युल है उन्मन-प्रनाप की तरट उपहास्य ठहराई जायेगी और

वह सहृदय के लिए आळादक नहीं हो सकती। नवजार्य-नामाङ्गजन्म्य तथा यही रहस्य है। अत यह मानना पड़ता है कि प्रतिभा के बिना उक्ति में वैचित्र्य सम्भव नहीं। कवि का वैदर्घ्य ही उक्ति-वैचित्र्य का कारण है। अर्थात् कवि-प्रतिभा ही उचित-चारुत्व की जननी है। इस प्रकार उनके मत से काव्य में 'कवि-प्रतिभा का व्यापार' या 'कवि-व्यापार' दहून महत्व का है। परन्तु 'कवि-व्यापार' के ऊपर उन्होंने अधिक प्रकाश नहीं डाला। सम्भवत इसलिए कि काव्य-मृष्टि के लिए सर्वमम्मत कारण होने पर भी वह अनिर्वचनीय ही है। कवि-व्यापार की इस अनिर्वचनीय शक्ति का उल्लेख महाकवि पन्त ने भी 'पल्लव' की भूमिका में इस प्रकार किया है—“ किसी के कुशल करो का मायावी स्पर्श उनकी (शब्दों और अर्थों की) निर्जीवता में जीवन फूँक देता, वे अहल्या की तरह शाप-मुक्त हो जग उठते, हम उन्हे पाषाण-खण्डों का समुदाय न कह ताजभहल कहने लगते, वाक्य न कह काव्य कहने लगते हैं।”

एव कुन्तक की स्थिति यह हुई कि 'वक्रोक्ति' काव्य का प्राण है। परन्तु वक्रोक्ति भी 'कवि-प्रतिभा के व्यापार' पर निर्भर है। अत काव्य में 'कवि-व्यापार' की वशता का महत्व सर्वोपरि है। यह वर्ण-विन्यास से लेकर प्रबन्ध-लेखन तक में सम्भव है। इसलिए इसके उन्होंने छ भाग किये हैं—(१) वर्ण-विन्यास-वक्रत्व (२) पदपूर्वांव-वक्रत्व (३) प्रत्यय-वक्रत्व (४) वाक्य-वक्रत्व (५) प्रकरण और (६) प्रबन्ध-वक्रत्व। कवि में प्रतिभा है, वैदर्घ्य है तो वह काव्य के प्रत्येक अङ्गोपाङ्ग में असाधारणता ला सकता है और काव्य सहृदयाळादक बन जाता है।

अब हम कुन्तक की दृष्टि से काव्य का एकाध उदाहरण देख सकते हैं—

ततोरुणपरिस्पन्दमन्दीवृत्तवपुः शशी ।

दध्रे कामपरिचामकामिनीगरहपाण्डुताम् ॥

“इसके बाद अत्यादय के कारण निष्प्रभ गरीर वाले चन्द्रमा ने दान-प्रसिद्ध कामिनी के दंपोलो की पाण्डुता को धारण किया।” यहाँ पर तत्वनीय दान के बल इतनी है कि “मूर्योदय होने पर चन्द्रमा की आज्ञा फौकी पड़ गई।” नाधारण लोक-व्यवहार में इसका कथन इसी प्रकार सीधे ढग ने किया जाता है। परन्तु प्रतिभा-सम्पन्न कवि इसी उक्ति तो गपने वैद्यन्त के बल पर कुछ दूसरे ढग में कहेंगे। “तीखे ढग” की गपेदा जो ‘दूसरा ढग’ है वही वक्तोक्ति है। इस वक्तोक्ति की बजह ने चन्द्रना सचेतन की तरह व्यवहार करने लगता है और काम-परित्त दानिनी की पाण्डुता को धारण कर लेता है। इसी में उन उपित में आङ्कोदकृत्व आ जाता है। अत यह काव्य है।

इसी काव्य के साथ बाल्मीकि रामायण की मुख्यमिह राम की यह उक्ति—“न म सकुचित् पन्था येन वाली हत्तो गतः।”—भी रखी जाती है। ‘जिन प्रकार बाली मारा गया उसी प्रकार तुम भी मारे जा सकते हो, इन नानान्द ग्रन्थ को “वह मार्ग बन्द नहीं हुआ है जिसमें मरकर जानी गया है” इन घग्गावारण ल्य में प्रकट करने में उक्ति में काव्यत्व पाया रहा है। महात्मि निराग द्वारा एक उक्ति को देखिये—

देयों यह कपोतकण्ठ, घाटु बल्ली कर सरोज

बलत उरोज पीन — धीरु कटि—

नितन्द्र भार — चरण सुहृमार — गति मंद मंद

गृष्ट जाता धैर्य झूपि-मुनियों का

देयो—भोगियों की तो यात ही निराली है ॥

इसी पर यस्तु उक्ति इतनी है—‘यह गृन्ति गति कमनीय है।’ उक्ति ने यसने निराने उद्दन-प्रतार में इसे गो बांधा—“यह ग्रत्यग तो चारों दर्शों, छुपि-मुनियों नह गा धैर्यं छूट जाता है, तब देवारे भोगियों जी नहि तो निराली ही होगी।” इथन के उस निरानेपन को ही वराह दर्शते हैं। यह भी राव्यत है।

अलकारवादियों की दृष्टि में यहाँ काव्यार्थापत्ति होने से काव्यत्व है, क्योंकि कृषि-मुनियों के धैर्य के छूट जाने से भोगियों का धैर्य छूट जाना स्वतं सिद्ध है। और ध्वनिवादियों की दृष्टि से यह रस-ध्वनि का उदाहरण है क्योंकि वाच्यार्थ की अपेक्षा शृङ्खार-रस-रूप-व्यग्रार्थ अधिक चमत्कार है। अस्तु ।

कुन्तक की वक्रोक्ति के स्वरूप को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका प्रयोग उन्होंने बहुत व्यापक अर्थ में किया है। वक्रोक्ति नामक अलकार भी है, पर यहाँ यह अति सकुचित अर्थ में—वक्रीकृता उक्ति—प्रयुक्त हुआ है। भामह और अभिनव की व्याख्या के अनुसार वक्रोक्ति को उन्होंने विस्तृत अर्थ में ही ग्रहण किया है। भामह ने अपने मत का प्रतिपादन करते हुए बताया कि किसी भी बात को कहने के अनन्त प्रकार हो सकते हैं। ये प्रकार या साँचे ही 'अलकार' हैं, इनमें अपनी बात को ढालकर प्रस्तुत करने से उचित में काव्यत्व आ जाता है। अत अलकार ही काव्यात्मा रूप से स्वीकरणीय है। इसके आगे भामह यह भी न्योकार करते हैं कि सभी अलकारों का मूल वक्रोक्ति है—वक्राभिधेय-शब्दोक्तिरिष्टा वाचामलकृतिः। अलकारवादी भामह और कुन्तक में केवल इतना ही भेद है कि काव्यात्मा की खोज करते हुए भामह 'अलकारों' पर ही अटक गये, जबकि कुन्तक अलकारों के भी मूल में रहने वाली 'वक्रोक्ति' तक जा पहुँचे। अत कुन्तक को अलकार-सम्प्रदाय का ही पोषक माना जाय तो कुछ हानि नहीं। इसी तथ्य को डाक्टर नगेन्द्र ने डाक्टर कारणे के साथ सहमति प्रकट करते हुए लिखा है—“वक्रोक्ति-सम्प्रदाय अलकार-सम्प्रदाय की ही एक शाखा थी जिसके द्वारा कुन्तक ने अलकारवादी आचार्यों की वक्रता को ही नवीन काव्य-ज्ञान के प्रकाश में व्यापक रूप देने का कुशल प्रयत्न किया था।”

कुन्तक ने अपने काव्य की परिभाषा देते हुए “बन्धे व्यवस्थितौ” भी कहा है। इससे रीति-सम्प्रदाय को भी अपने समीप लाने की चेष्टा

की है। वैसे भी उन दोनों सम्प्रदायों की दृष्टि वाह्य स्पष्ट पर ही होने ने निकट ही है। प्रागे चनक्य कुन्तक ने स्वयं ही गुणों की व्याख्या कवि-व्यापार के प्रकरण में की है। कवि-व्यापार के उन्होंने तीन भाग किये—शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। उनकी अभिव्यक्ति के माध्यम नुकुमार आदि तीन मार्ग हैं जो कि माधुर्यादि गुणों पर आश्रित हैं। इन प्रकार उन्होंने गुणों को भी अपने काव्य-विवेचन में स्थान दे दिया।

इसी प्रकार रम श्रीरघ्वनि भी वक्त्रोक्ति की सीमा में नमेटे गये हैं। वक्त्रोक्ति की परिभाषा में अति-व्याप्ति रौप भले ही हो, श्रव्याप्ति नहीं। अति-व्याप्ति इसलिए कि “जहाँ वक्त्रोक्ति है वहाँ काव्यत्व भी है” यह मान्यता प्राजन्त्रीकार नहीं की जा सकती, इससे सूक्षियाँ भी काव्य-कोटि में गिनी जाने लगेंगी। उसके विपरीत “जहाँ व्यनित्व या रसत्व होगा वहाँ वक्त्रत्व भी होगा” ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं। घननि व्यञ्जना वृत्ति के आश्रित होने से इतिवृत्तात्मकता ने भिन्न होकर कवि-प्रनिभा नामेध्य है। अत वहाँ पर अनावारणता होना न्यायालिक है। और रम के न्यून में भी इसी प्रकार की अनात्मन्यता न्यून मिछ है, क्योंकि वह एक वैज्ञानिक तत्त्व है कि रम या भाव दीक्षित के अपनान पर उस्तिन में विनिष्टता आ ही जाती है। वास्ती भानानुकूल होकर विलक्षणता को स्थान् वरण कर नेती है। हाँ, इस के नम्बन्द में उनका वैज्ञानिक नामा ने दूर है। ये वास्ती की विलक्षणता के बास्तव भावों की विलक्षणता मानते हैं, जबकि मन्य वह है कि वास्ती की दीक्षित के कारण धार्णी में अनुकूल प्रायंग पैदा हो जाता है।

इन प्रकार गुनरुद्धनि-विगोधिरो भी प्रभाववादी दोटि में न होकर घननि हो भास्त (गांठ) या नक्षत्रा-प्रदूत मानने वालों की धोनी में आते हैं। और ‘रम’ के नम्बन्द में उनका मन्तव्य यही है कि वह वैज्ञानिक का एक तत्त्व-माप है, अभिवाय नहीं। वाय-व्यपत्ता के प्रमाण में उन्होंने रस और रमवदादि की नमीक्षा की है।

अलकारवादियों की दृष्टि में यहाँ काव्यार्थापत्ति होने में काव्यत्व है, क्योंकि ऋषि-मुनियों के धैर्य के छूट जाने से भोगियों का धैर्य छूट जाना स्वतं सिद्ध है। और ध्वनिवादियों की दृष्टि से यह रस-ध्वनि का उदाहरण है क्योंकि वाच्यार्थ की अपेक्षा शृङ्खार-रस-रूप-व्यग्रार्थ अधिक चमत्कार है। अस्तु ।

कुन्तक की वक्रोक्ति के स्वरूप को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका प्रयोग उन्होंने बहुत व्यापक अर्थ में किया है। वक्रोक्ति नामक अलकार भी है, पर यहाँ यह अति सकुचित अर्थ में—वक्रीकृता उक्ति—प्रयुक्त हुआ है। भामह और अभिनव की व्याख्या के अनुसार वक्रोक्ति को उन्होंने विस्तृत अर्थ में ही ग्रहण किया है। भामह ने अपने मत का प्रतिपादन करते हुए बताया कि किसी भी बात को कहने के अनन्त प्रकार हो सकते हैं। ये प्रकार या साँचे ही 'अलकार' हैं, इनमें अपनी बात को ढालकर प्रस्तुत करने से उन्नित में काव्यत्व आ जाता है। अत अलकार ही काव्यात्मा रूप से स्वीकरणीय है। इसके आगे भामह यह भी स्वीकार करते हैं कि सभी अलकारों का मूल वक्रोक्ति है—वक्राभिष्ठेय-शब्दोक्तिरिष्टा वाचामलकृतिः। अलकारवादी भामह और कुन्तक में केवल इतना ही भेद है कि काव्यात्मा की खोज करते हुए भामह 'अलकारों' पर ही अटक गये, जबकि कुन्तक अलकारों के भी मूल में रहने वाली 'वक्रोक्ति' तक जा पहुँचे। अत कुन्तक को अलकार-सम्प्रदाय का ही पोषक माना जाय तो कुछ हानि नहीं। इसी तथ्य को डाक्टर नगेन्द्र ने डाक्टर काणे के साथ सहमति प्रकट करते हुए लिखा है—“वक्रोक्ति-सम्प्रदाय अलकार-सम्प्रदाय की ही एक शाखा थी जिसके द्वारा कुन्तक ने अलकारवादी आचार्यों की वक्रता को ही नवीन काव्य-ज्ञान के प्रकाश में व्यापक रूप देने का कुशल प्रयत्न किया था।”

कुन्तक ने अपने काव्य की परिभाषा देते हुए “धन्वे व्यवस्थितौ” भी कहा है। इससे रीति-सम्प्रदाय को भी अपने समीप लाने की चेष्टा

की है। वैसे भी इन दोनों सम्प्रदायों की दृष्टि बाह्य स्पष्ट पर ही होने से निकट ही है। आगे चलने कुत्तक ने स्वयं ही गुणों की व्याख्या कवि-व्यापार के प्रकरण में की है। कवि-व्यापार के उन्होंने तीन भाग किये—शक्ति, व्यूत्पत्ति और अभ्यास। इनकी अभिव्यक्ति के भाष्यम् नुकुमार आदि तीन भाग हैं जो कि माधुर्यादि गुणों पर आधित हैं। इन प्रकार उन्होंने गुणों को भी अपने काव्य-विवेचन में स्थान दे दिया।

इसी प्रकार रम और ध्वनि भी वक्तोक्ति की सीमा में समेटे गये हैं। वद्गोक्ति की परिभाषा में श्रति-व्याप्ति दोष भले ही हो, अव्याप्ति नहीं। प्रनि-व्याप्ति इमलिए कि “जहाँ वक्तोक्ति है वहाँ काव्यत्व भी है” यह मान्यता आज स्वीकार नहीं की जा सकती, इससे सूक्तियाँ भी काव्य-कोटि में गिनी जाने लगेंगी। इसके विपरीत “जहाँ ध्वनित्व या रनत्व होगा वहाँ वक्त्व भी होगा” ऐसा मानने में कोई भाष्यता नहीं। ध्वनि व्यञ्जना वृत्ति के आधित होने से इतिवृत्तात्मकता में भिन्न होकर कवि-प्रनिभा नापेश्य है। अन वहाँ पर अनापारणता होना भ्वामाविक है। और रन के न्यून में भी इसी प्रकार की अनामान्यता स्वत निर्द है, यदोकि यह एक दैनानिक तब्दि है कि रम या भाव दीनि ये ग्रन्थने पर उद्धिन में विगिष्ठता आ ही जाती है। वाणी भावानुकूल होने पर विनष्टगता को हठात् बरगा कर जेती है। हाँ, क्रम के नम्बन्य में तुलना दैनानिक नव्य ने दूर है। ये वाणी की विलक्षणता के कारण भावों की विनष्टगता मानने हैं, जबकि नव्य यह है कि भावों की दीनि के रागण वाणी में अनुकूल प्राप्ति प्रदा हो जाता है।

इन प्रकार कुनक ध्वनि-विरोधियों की प्रभाववादी कोटि में न होकर ध्वनि को भावत (गीण) या नक्षन्या-प्रसूत मानने वालों की श्रेष्ठी में छाने हैं। और 'रस' के नम्बन्य में उनका भन्तव्य यही है कि वह वद्गोक्ति का एक तत्त्व-भाव है, अनिवार्य नहीं। वाक्य-वक्ता के प्रस्तुत में उन्होंने रन और रमवदादि की समीक्षा की है।

सारं रूप में कुन्तक की मान्यताएँ निम्न हैं —

- (१) जहाँ वक्ता होगी वहाँ काव्यत्व होगा । जहाँ वक्ता नहीं वहाँ काव्यत्व नहीं । अत 'स्वाभावोक्ति' में काव्यत्व नहीं हो सकता ।
- (२) काव्यत्व के लिए वक्ता (उक्तिवैचित्र) अनिवार्य है । अत काव्यत्वाधिवास उक्ति में है, व्यग्य वस्तु या भाव में नहीं ।
- (३) वक्तोक्तिवाद कवि-प्रतिभा के व्यापार अथवा वैद्यत्य पर आश्रित है । अत यह वहुत व्यापक है ।

यद्यपि कुन्तक ने अपने मन के मण्डन में अच्छी सूझ-बूझ और विचेचन में मौलिकता का परिचय दिया है तो भी उनका मत उन्होंने वक्ता सीमित रहा, विस्तार न पा सका । इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वक्ता की परिभाषा में अनिव्याप्ति का भारी दोष था, जो 'ध्वन्यालोक' जैसे ग्रांड पन्थ की विवेचना के सामने मान्य न हो सका । उसने काव्य का सर्वाङ्गपूर्ण विवेचन उत्तिष्ठत फर ऐसे मनों के लिए अवकाश ही न रहने दिया ।

- - -

